खण्ड-140, अंक-1
सोमवार, 15 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(6 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 140 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन, ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर श्री, सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले,
उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरूप्रसाद पांडेय, श्री
गुरूप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलालजाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल , श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

उपस्थित सदस्यों की सूची

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीम, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवाल, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
बिष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
बीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन सिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह, यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री

श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश,सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी,श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोबिन्द पंत, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नजूल भूमि के किसनों की बेदखली

*१—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या भूमि सुधार योजना के अधीन सरकार नजूल भूमि के नियमो में भी परिवर्तन करने जा रही है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—जी नहीं ।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार नजूल के किसानों की अ.म बेदखली रोकने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—नजूल की जमीन खास हालतों में खास शर्तों के साथ दी जाती है और इस ख्याल से दी जाती है कि उन की जरूरत हो तो वह वापस ले ली जाय । अगर कोई ऐसा मामला हो जिस की ओर उन का ख्याल हो तो व्यक्तिगत मामले पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आमतौर से नजूल लैंड पर बेदखली तब ही होती है जब वक्त खत्म हो जाता है । या शर्त पूरी हो जाती है इसलिये इस तरह का कोई आम प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि नजूल जमीन के संबंध में बेदखली होने पर किसान को उसी आपत्ति का सामना करना पड़ता है जैसा कि उसे जमींदारों की जमीन से बेदखल होने पर करना पड़ता था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो जमीन किसानों को दी जाती है वह आम तौर से किसान के पास उतने वक्त तक के लिये अवश्य रहती है जितने वक्त के लिये वह उन को दी जाती है। इसलिये वह पहले से तैयार रहते हैं, लेकिन अगर कोई खास केस हो तो वह नोटिस में लाया जा सकता है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार को मालूम है कि ज्यादातर ९० फीसदी किसानों को साल दो साल का पट्टा मिलता है और कुछ ही लोगों को ३० वर्ष या अधिक वर्षों के पट्टे मिलते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—आम तौर से जो पट्टे मकान बनाने के लिये होते है वह ३० साल के होते है और जो नजूल की जमीन शहरों या म्युनिसिपैलिटी के अन्दर होती है उन के बहुत दिनों के पट्टे नहीं दिये जाते हैं। क्योंकि शहरों की आबादी बढने पर दिक्कत हो जाती है इसलिये इन जमीनों का पट्टा ज्यादा दिनों के लिये नहीं हो सकता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत सी जमींने ऐसी है, जिन पर बर्षों से बुवाई जुताई होती है, लेकिन पट्टें हर साल बदले जाते है?

श्री मोहन लाल गौतम—ज्ञात है।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को विदित है कि शहरों में और की वजेह उस से मिली हुई जमनों में जो ऐसी नजूल लैंड हैं उन के मकान बनाने के शरायत ऐसे सख्त है कि जिन से मकान बनाने में दिक्कत होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे ताल्लुक नहीं रखता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आमतौर से पट्टे के वक्त किसानों को जमीन का लगान बढ़ाने पर बाध्य किया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—लोकल बोर्ड जिस के इंतजाम में जमीन है वह नये पट्टे के वक्त कोशिश कर के जितना लगान चाहे ले सकता है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार को मालूम है कि पट्टा खत्म होने पर ५० फीसदी लगान बढाने के अलावा नजराने की बोली बोलने की आज्ञा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, नजूल लैंड जब दी जाती है तो उस में प्रीमियम और लगान दोनों लिये जाते है।

तारांकित प्रश्न

दैवी आपत्तियों से फसलों को क्षति

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत के किन-किन जिलों में गत फरवरी मास में पड़े हुये ओले, वर्ष तथा पछवा हवा से फसल को हानि हुई है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—इस प्रदेश के २३ जिलों में रबी १३६१ की फसल को ओले, वर्षा तथा पछुवा हवा से अधिक हानि हुई है। उन जिलों के नाम संलग्न सूची में दिये हुये है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७० पर।)

*२—रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षतिग्रस्त जिलों में सरकार की ओर से क्या क्या सहायतायें प्रदान की गई हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिलों के क्षति ग्रस्त क्षेत्रों में नियमानुसार लगान की छूट, तकावी तथा अहेतुक सहायता के वितरण, टेस्ट वर्क्स खोलने तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली को स्थगित करने की कार्यवाही की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया देवरिया, आजमगढ़ के जो बाढ पीड़ित जिले हैं उन क्षेत्रों में रबी की फसल पछवा हवा से मारी गई थी और सहायता नहीं प्रदान की गई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मेरे पास जो सूची है उसमें बलिया, देवरिया और आजमगढ़ नहीं है। इससे जाहिर होता है कि वही नहीं मारी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार किसी गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा जांच करवायेगी कि देवरिया में ओला पड़ा था या नहीं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी नहीं। सरकार ऐसी किसी जांच की जरूरत नहीं समझती है, थोड़े बहुत पड़ गये होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में किन स्थानों पर ओलों की जगह टैस्ट वर्क खोले गये है ?

श्री चरण सिंह—यह तो कहीं लाजिमी नहीं है कि ओले पड़ जायं तो टैस्ट वर्क खोले जायं। इसकी सूचना की आवश्यकता होगी कि कहां-कहां ओले पड़े और वहां टैस्टवर्क खोले गये है या नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या कृषि मंत्री जी को ज्ञात है कि गत फरवरी, मार्च में मुजफ्फरनगर जिले में यमुना की बाढ से बिड़ौली तहसील के बहुत से परगनों को क्षति पहुंची थी ?

श्री चरण सिंह—इतनी तफसील मुझको इस वक्त मालूम नहीं है

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में जो हानि हुई तो कितने गांवों में कितने रुपये की छूट दी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अलीगढ जिले के २१ गांव है और ३,१८९ रुपये की छूट दी गई और १० हजार रुपया तकावी के लिये मंजूर किया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पछुवा हवा ओलों और वर्षा से मेरठ जिले में कहां-कहां रबी की फसल को हानि हुई ?

श्री चरण सिंह—पछुवा हो, ओले हों, वर्षा हो जब यह सब आपदायें बीत जायं और फसल के पकने का वक्त आये, तब यह होता है कि कितना नुक्सान हुआ। किस फसल को कितना ओला से नुक्सान हुआ यह तफसील नहीं रहती। फसल की आखिरी हालत देखी जाती है। इसलिये यह बतलाना कि कितना नकसान हवा से हुआ ओलों से हुआ यह बताना मश्किल है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि रबी की फसल में गेहूं के पकने के वक्त मेरठ बुलन्दशहर अलीगढ़ इन जिलों में फसल और सालों के मुकाबले में आधी बैठी है ?

श्री चरण सिंह—फसल कुछ कम जरूर हुई। इसमें मेरठ जिले का जिक्र है, फेहरिस्त में और जिले नहीं है। इससे मालूम होता है कि और जिलों में मेरठ की अपेक्षा कम नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान हुआ यह मालूम है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांत के २३ क्षति-ग्रस्त जिलों में अलग-अलग कितनी मालगुजारी में छूट दी गई और कितनों टैस्ट वर्क में खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष—हर एक का अलग-अलग बताना तो मुश्किल है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—टेस्ट वर्क में कितना खर्च हुआ यही बता दें ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—टैस्ट वर्क की फिगर नहीं है । ग्रेट्युट्स रिलीफ में बिजनौर जिले में २० हजार.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्षति ग्रस्त जिलों में टैस्ट-वर्फ में कुल कितना खर्च हुआ ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसकी फिगर नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या यह सही है कि सरकार ने आदेश निकाला था कि ओला-ग्रस्त क्षेत्र के लिए जब तक कोई दूसरी फसल न हो तब तक वहां को मालगुजारी और दूसरे पंचायत कर वगैरह सब स्टे रहेंगे ?

श्री चरण सिंह—सरकारी देय के मुल्तवी करने का जब आदेश निकलता है तो उसका मतलब यह होता है कि अगली फसल में वसूल किया जायगा ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि बनारस में जहां ओला पड़ा था वहां आज तक कोई ऐसी फसल हुई ही नहीं, जो कि फसल कही जा सके और आज भी वह क्षेत्र सूखाग्रस्त है ?

श्री चरण सिंह—मैं बनारस जिले को ऐसा बदकिस्मत जिला मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह सही है, माननीय राजस्व मंत्री जी का यह कहना कि बनारस जिला बदकिस्मत जिला नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चहता हूं कि सरकार की बदकिस्मती से जो वहां पर सूखा पड़ गया है, उसके लिये वह क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरण सिंह—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह तो मौजूदा सूखा का जिक्र कर रहे हैं उसमें तो जो मुनासिब समझा जायगा किया जायगा ।

श्री राजनरायण—मेरा यह कहना था कि ओला वहां पड़ा हुआ था । उसमें बनारस की लिस्ट दी हुई है । तो बनारस में आज तक फसल कोई हुई नहीं । तो क्या माननीय राजस्व मंत्री जी सरकारी ड्यूज इस समय वहां स्टे कराये हुये है या वह वसूल हो रहा है ?

श्री चरण सिंह—उसके बाद कोई भी फसल नहीं हुई इस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है । जहां ओला किस इलाके मे पड़ा था, उसके लिए मै आपकी इजाजत से कहना चाहता

हूं, जितनी बनारस में हमने सहायता पिछली रबी के जमाने में दी उतनी और जहां जहां ओले पड़े है और कहीं नहीं दी ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब बारिश, ओला और पछुवा हवा से नुकसान हुआ उस वक्त देवरिया का कोई डेपुटेशन उनसे मिला था ?

श्री चरण सिंह—ओला तो हर साल हर जिले में किसी न किसी गांव और कस्बे और खेत में पड़ ही जाता है। जिन ओलों का हमसे वास्ता है वह वें हैं जिनसे आठ आने से अधिक फसल को नुकसान पहुंचता है। देवरिया की खबर आयी या नहीं आयी, यह इस वक्त मुझे याद नहीं है अगर माननीय मित्र जानना चाहें तो मैं उनको फाइल निकालकर बता सकता हूं कि कोई तार या कोई खबर आयी या नहीं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)—क्या माननीय मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमाकर बतायेंगे कि बनारस में और जिलों से अधिक खासतौर से सहायता देने की वजह क्या थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बनारस के २०२ गांवों में ओला पड़ा था। इसलिये ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ी।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि आपने अभी जवाब में फरमाया था कि दूसरी जगहों के मुकाबिले में मैंने बनारस को अधिक सहायता दी, उस अधिक की वजह क्या है, क्यों दूसरे जिलों से बनारस को मुमताज बनाया गया, क्या इसकी वजह माननीय मंत्री जी बताने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री चरण सिंह—अब मैं यह समझता हूं कि शायद मेरे बतलाने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त खुद ही समझ गये होंगे।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मेरठ जिले में फसल ओलों से खराब हो गई थी और बहुत कम पैदावार हुई तो क्या सरकार उन काश्तकारों की सहायता करने पर विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—मेरठ जिले में हापुड़ तहसील में केवल १५ गांव थे जहां आठ आने से ज्यादा नुकसान हुआ। ८,००९ रुपये की वहां मालगुजारी में छट दी गई है।

मीनाशयों पर व्यय तथा उनसे मछली पकड़ने के नियम

*३—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मत्स्य विभाग की तरफ से मल्लाहों को मछली मारने के लिये सरकार की तरफ से क्या-क्या सुविधायें दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—स्थानीय मल्लाहों को उन तालाबों, पोखरों और जलाशयों इत्यादि में जो मत्स्य विभाग को जमींदारी विनाश के बाद प्राप्त हुये है जहां तक संभव है या तो मछलियां मारने का ठेका दिया जाता है या उन्हें रोजाना मजदूरी पर रखा जाता है। गैर पेशे वाले मल्लाहों की अपेक्षा पेशे वाले मल्लाहों को ठेका देने की तथा संभव सुविधा भी दी जाती है और उनसे रकम की वसूली किस्तों में की जाती है।

*४—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन जिलों में मत्स्य विभाग की तरफ से मछलियां मारी जा रही हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आज कल निम्नलिखित १४ जगहों में मछलियां मारी जा रही हैं:—

१—इलाहाबाद
२—जौनपुर
३—मिर्जापुर
४—बनारस
५—बांदा तथा हमीरपुर
६—गोरखपुर
७—झांसी
८—गोंडा (बलरामपुर) तथा बस्ती
९—सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ तथा फ़ैजाबाद
१०—उन्नाव तथा कानपुर
११—आगरा
१२—बरेली तथा शाहजहांपुर
१३—खीरी
१४—कुमायूं

*५—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस विभाग से सरकार को वार्षिक कितने का लाभ होता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मत्स्य विभाग को अभी तो कोई लाभ नहीं होता।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गैर पेशे वाले मल्लाहों की अपेक्षा पेशे वाले मल्लाहों को क्या खास सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अगर माननीय सदस्य गांव समाज मैनुअल को देखने का कष्ट करेंगे तो उसमें लिखा है कि पेशे वाले मल्लाहों की बोली ७५ रुपये की गैर पेशे वाले मल्लाहों की १०० रुपये के बराबर समझी जायेंगी । इसके अलावा १३५९ फसली में जिन मल्लाहों का मछली मारने के कागजात में इन्दराज है , उनके लिये जो सुविधायें हैं वह उनको दी जाती हैं और जहां-जहां पहले वह मुफ्त में मछली मारते थे वह जगह नीलाम नहीं की जाती है और वह सुविधा उनको पहले से ही दे दी गई है । इन पेशेवर मल्लाहों को खासतौर से ट्रेनिंग देने का भी प्रबंध किया गया है और बनारस में एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला है, जहां पर इनको ५० रुपये स्टिपेंड दिया जाता है और जाल वगैरह बुनने की ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या आनरेबिल मिनिस्टर को मालूम है कि कुछ ऐसे मजहबी त्योहार होते हैं जिन मौकों पर मछलियों के गिरफ्तार होने से रोक दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह—इसका मुझे कोई इल्म नहीं है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले में किन-किन ठेकों पर मछली मारने के लिये दी गई हैं ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में मछली मारी जा रही हैं वहां पर सरकार की तरफ से पालने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जहां जहां मछलियां हैं वहां मछलियों के बीज डाले जाते हैं और बढ़ाया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिन जिलों में मछलियां मारी जाती हैं तो नई मछलियों की गुंजायश के लिये या व्यापारिक लाभ के लिये मारी जाती हैं?

श्री चरण सिंह—पहले बढ़ाई जाती हैं, पैदा की जाती हैं और फिर मारी जाती हैं।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब से यह तरीका मछलियों के पालने वगैरह का सरकार की तरफ से हुआ उस वक्त से मछली के भाव में क्या कमी हुई है?

श्री चरण सिंह—यह तो खाने वाले ही बता सकते हैं। हमें तो कुछ पता नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बीज जिसके मुताल्लिक अभी कहा गया कि वह डाल देते हैं, ये कहां मिलते हैं? किस तरह मिलते हैं और उनको दूसरी जगह लाकर डालने की क्या सूरत होती है?

श्री चरण सिंह—जिस चीज के जरिये इन्सानी जिन्दगी पैदा होती है, चाहे वह इन्सान हो या जानवर या मछली, वह बीज ही कहलाता है और जो उसका उचित क्षेत्र होता है वहां डाला जाता है—चाहे खुश्की का क्षेत्र हो या पानी का तालाब हो।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मछलियां जो तालाबों से मारी जाती हैं, वह विदेशों में भी टिन में बन्द करके भेजी जाती हैं बिक्री के वास्ते?

श्री चरण सिंह—बाहर से हमने मंगाई तो हैं, अभी भेजने की नौबत नहीं आई।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—प्रश्न ५ के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि अभी लाभ आना शुरू नहीं हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि मत्स्य विभाग की कार्यवाही कितने सालों से हो रही है और इसमें उन सालों में कितना खर्च हुआ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हमारे पास सन् १९५१ से १९५४ तक के फिगर्स हैं। अगर इजाजत दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—हां, पढ़िये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५१-५२ में कुल खर्चा ३,४८,९९३ रुपया। सन् १९५२-५३ में ४,५९,०१९ रुपया। सन् १९५३-५४ में ५,७५,१७३ रुपया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मछलियां मारने से जो बिक्री हुई इन सालों में, वह कितनी हुई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५१-५२ में तो १९,३५९ रुपया की आमदनी हुई। सन् १९५२-५३ में १,४७,९३७ रुपये और १९५३-५४ में २,५१,११३ रुपये की हुई।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार इस घाटे वाले विभाग को बन्द करने पर विचार कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी, इस वक्त तो घाटे का है, लेकिन आगे इसकी मुनाफ़े का विभाग हो जाने की उम्मीद है। जैसा कि माननीय दोस्त ने देखा, हर साल आमदनी बढ़ रही है।

श्री केशव गुप्त—मछली विभाग के खोलने से पहले, १९५०-५१ के पहिले, मछलियों से कितनी आमदनी सरकार को तालाबों के जरिये से होती थी ?

श्री चरण सिंह—विभाग खोलने से पहले आमदनी का सवाल ही क्या उठता है ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी जिससे कि मत्स्य विभाग से सरकार को आमदनी होने लगे ?

श्री चरण सिंह—ऐसी योजना बनायी गई है । ये तो सन् १९५२-५३ के आंकड़े हैं, लेकिन तब से काफी इस विभाग की आमदनी में तरक्की हुई और होने की उम्मीद है । जमींदारी अबालीशन की वजह से जो बड़े-बड़े तालाब मिले हैं वह ४ अगस्त, १९५३ को विभाग को दिये गये हैं । हमारे अधिकारी उम्मीद करते हैं कि बजाय नुक्सान के यह एक आध साल में मुनाफे का विभाग हो जायगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी पिछले ४ साल, ५ साल को देखने के बाद यह निश्चय करेंगे कि सारे प्रान्त में मछलियों का कारोबार कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हो और मत्स्य विभाग में थोड़े एक्सपर्ट रखे जायं, जो सलाह दिया करें ?

श्री चरण सिंह—अब भी जो हमारे मछली विभाग के राज कर्मचारी हैं वह १४ जिलों में हैं, बाक़ी में नहीं हैं, सिर्फ डी० एल० ओज० हैं उन्हीं के जरिये यह कार्य होता है । हम इस विभाग के कर्मचारियों की तादाद बढ़ाना नहीं चाहते हैं । कोआपरेटिव्ज का जहां तक ताल्लुक़ है हम उनको एन्करेज करना चाहते हैं, लेकिन यह काम कोआपरेटिव्ज पर छोड़ दिया जाय, यह आज मुनासिब नहीं होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि प्रान्त के बहुत जिलों में मीनाशयों की मालगुजारी मल्लाह दे रहे हैं और खतौनी में उनके नाम भी हैं फिर भी भूमि प्रबन्धक समितियों ने उन्हें ठेका न दे कर और जातियों या और लोगों को ठेके दिये हैं ?

श्री चरण सिंह—आजमगढ़ जिले में दो-तीन ठेके ऐसे हुये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी शिकायतें जो उनके पास आयी हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सरकार की ओर से की गई ?

श्री चरण सिंह—एक गांव में तो आपस में उन लोगों में मुक़दमा चल रहा है, इसलिये कार्यवाही का सवाल नहीं उठता है । दूसरे गांव की बाबत यह मालूम हुआ कि उन मल्लाहों ने कोई बोली ही नहीं लगाई । मैं खुद आजमगढ़ जब गया था मुझे मालूम हुआ था और मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से तहकीकात करने को कहा था और यह भी कहा था कि गांव समाज को ताकीद करें जिससे नियमों का उल्लंघन न होने पाये ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री प्रान्त के उन तमाम मल्लाहों के लिये जो जमींदारी उन्मूलन के पहले अपने ग्राम क्षेत्रों में मछलियां मारा करते थे एक विशेष राज आज्ञा द्वारा न्यायिक अधिकार देने की सोच रहे हैं, जिन्हें ग्राम समाज बेदखल कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—अब आदेश यह हैं कि जहां मल्लाह लोग या मछ मुफ्त मछली मारा करते थे रिवाजन और जमींदार उनसे कुछ लिया नहीं करते थे, वहां गांव समाज भी ठेका नहीं उठायेंगे, अर्थात् नीलाम नहीं करेंगे । लेकिन एक शर्त है कि जब वह सर्वसम्मति से ऐसा निश्चय करें और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रजामन्द हो जायें तब बेशक बोली बोली जायगी और तीसरी शर्त यह है कि ऐसी बोली ७५ फीसदी ग़ैर मल्लाहों के मुकाबले में छोड़ी जायगी । इन तीन सूरतों में जहां मछली मुफ्त मारते रहे हैं वहां भी नीलाम बोला जा सकता है, परन्तु आमतौर पर नहीं ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने मछली की नस्ल सुधारने की कोई योजना बनाई है ?

श्री चरण सिंह—योजना तो बनायी है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि माननीय मित्र जो सवाल मुझसे कर रहे हैं और जितनी उम्मीद मेरी जानकारी की बाबत मुझसे कर रहे हैं मुझे शायत दो महीने की फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तब जाकर बता सकूंगा।

श्री देव मूर्ति राम (जिला बनारस)—क्या सरकार को यह पता है कि गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियों में जो मल्लाहों के जरिये से मछलियां मारी जाती हैं उनका हिसाब भी सरकारी आंकड़ों में आता है ?

श्री चरण सिंह—जहां बोली बोली जाती है हमारी तरफ से वहां तो हिसाब हम रखते हैं और बाक़ी जो मछलियां वैसे ही मर रही हैं उनका हिसाब कैसे रखा जा सकता है।

जमींदारी उन्मूलन कोष में एकत्र धन की वापसी

*६—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार के प्रादेशिक कार्यालय को इस प्रकार की कोई जानकारी है कि प्रदेश के किन जिलों से कितने व्यक्तियों ने जमींदारी उन्मूलन कोष में ३१ दिसम्बर, १९५३ तक कितनी रक़म जमा की, उनमें से कितने व्यक्तियों को कितनी रक़म के एवज में भूमधरी सनद प्राप्त हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, वांछित सूचना संबंधी सूची में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१–७३ पर)

*७—श्री गेंदा सिंह—जमींदारी उन्मूलन कोष की रकम कहां जमा की गई है और जमा रक़म पर कोई सूद भी मिलता है ? यदि हां, तो कितना सूद अब तक मिला है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जमींदारी उन्मूलन कोष की अधिकांश रक़म भारत सरकार की सिक्यौरिटीज़ में लगा दी गई है। इस रक़म पर ब्याज मिलता है मार्च १९५३ तक कुल ७५,२०,६१२ रुपया ब्याज मिला है।

*८—श्री गेंदा सिंह—सरकार ने ज़मींदारी उन्मूलन कोष में आंशिक रूप में जमा करने वाले किसानों को उनकी जमा की हुई रक़म को वापस करने के लिये जो राजाज्ञा ज़िलों को भेजी है क्या वह उसकी प्रतिलिपि मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा की हुई रकम की वापसी के सम्बन्ध में जारी की हुई राजाज्ञा की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४ पर)

श्री गेंदा सिंह—माननीय राजस्व मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में ३२ लाख ७ हजार ३ सौ ५० रु० जमा हुये और ५८ लाख २७ हजार ४८ रुपये की सनदें इश्यु हुईं ?

श्री चरण सिंह—तहरीर में ग़लती मालूम होती है, कहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी झांसी, बलिया, बस्ती और देवरिया के आंकड़े पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—झांसी में तो रुपया जमा करने वालों की संख्या ७६, ३७७ है और जमा की हुई धनराशि ४४,११,५३० और सनदें जो जारी की गयीं उनकी संख्या ७२,११४। और जो सनदें जारी हुईं उनकी एवज में जितनी रक़म मिली है सह संख्या उपलब्ध नहीं है।

बलिया में जमा करने वालों की संख्या है ७७,५८७, रकम जो जमा की गयी – २६,७६–२२२, सनदें जिनको दीगयीं उनकी संख्या है ७६,८०९ और जो सनदें जारी हुईं उनके एवज में जितनी रक़म मिली वह संख्या उपलब्ध नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रकम का क्या मामला है।

दूसरे, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह इतने आंकड़े हैं, इसकी एक प्रति माननीय गेंदा सिंह जी को मिल गयी है और एक प्रति माननीय राजस्व मंत्री जी के पास है। हम लोगों के पास बिल्कुल कोई आंकड़े नहीं हैं। ऐसी दशा में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, और अनुपूरक प्रश्न कैसे कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—हर एक को यह लम्बी लिस्ट नहीं मिल सकती।

श्री राजनारायण—मालूम होता है कि हर जिले में जितनी रकम जमा नहीं हुई उतनी से ज्यादा सनदे मिल गयीं।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि उन्होंने वही जिले लिये हैं जिनके बारे में उनको सप्लीमेंटरी करने हैं।

श्री राजनारायण—तो हम लोग कैसे जानेंगे।

श्री अध्यक्ष—जो जवाब श्री गेंदा सिंह को मिला है वह आप गेंदा सिंह जी से ले कर देख लीजिये।

श्री राजनारायण—वह तो मान लिया कि हम कर लें, लेकिन दूसरे।

श्री अध्यक्ष—इतने फीगर्स सदन में नहीं पढ़े जा सकते।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५३ तक जमींदारी उन्मूलन कोष में कुल कितनी रक़म इकट्ठा हुई ?

श्री चरण सिंह—३३ करोड़ ८० लाख रुपया।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि एक ही जमीन के संबंध में अधिक से अधिक व्यक्तियों ने भूमिधरी ली है और सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया है ?

श्री चरण सिंह—यह बिलकुल ग़लत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को पता है कि बावजूद राजाज्ञा के देवरिया जिले की पडरौना तहसील में सात-आठ लाख रुपया जमा है, जिनको न सनद दी गयी और न वापस किया गया है ?

श्री चरण सिंह—ऐसा कोई इल्म सरकार को नहीं है ?

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ जिलों के नाम दिये थे जिसमें सिर्फ एक ही दो जिलों के आंकड़े बताये गये । बाक़ी जिलों के भी आंकड़े बता दिये जायं।

श्री चरण सिंह—देवरिया में ८३ लाख जमा की हुई रक़म है और ६९ लाख की सनदें दी गयीं। बस्ती में १ करोड़ ७४ लाख रु० जमा हुआ और १ करोड़ ४६ लाख की सनदें दी गयीं। आजमगढ़ में ४८ लाख रु० जमा हुआ और ४१ लाख ७९ हजार रु० की सनदें दी गयीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सच है कि देवरिया जिले में ८३ लाख १८ हजार ५९५ रुपये जमा हुए और ६८ लाख रुपये की सनदें दी गयीं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो पढ़ कर सुना दिया।

श्री गेंदा सिंह—उन्होंने ७३ लाख कहा।

श्री चरण सिंह—यह तो कहने की ग़लती होगी या उनके सुनने की ग़लती होगी। यह तो ८३ लाख लिखा हुआ है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि कुल कितना रुपया जमा हुआ और कुल कितने रुपये की सनदें दी गयीं ?

श्री चरण सिंह—३१ दिसम्बर, १९५३ तक ३३ करोड़ ८० लाख रुपया जमा हुआ। और ३१ मई, १९५४ तक, पांच महीनों में २१ लाख रुपया और जमा हुआ। तो ३४ करोड़ १सौ रुपया ३१ मई, १९५४ तक जमा हुआ। सनदें जो दी गयीं उसकी फीगर जैसा कि सवाल था यह था कि ३१ दिसम्बर, १९५३ तक २९ करोड़ ८७ लाख १५ हजार ७ सौ ५३ रुपये की सनदें दी गयीं। लेकिन इसमें तीन जिलों के आंकड़े नहीं हैं। झांसी, रायबरेली और बलिया के। इनमें १ करोड़ २१ लाख रु० दिया गया और जिन और जगहों में सनदें नहीं मिली वहां का औसत रहा ८ परसेंट यानी १ करोड़ १० लाख रुपये और लगा लें तो इस तरह से ३१ करोड़ ८० लाख रुपये में से ३१ करोड़ की सनदें मिल चुकी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिनकी धन-राशि जमा है और सनद नहीं मिली है तो न मिलने का कारण क्या है ?

श्री चरण सिंह—मैंने पहले ही अर्ज किया कि कारण ९५ से ९९ फीसदी यह है कि आपस में उनका झगड़ा है या रक़म पूरी जमा नहीं की।

जिला नैनीताल में तुमड़ानी की साफ़ कराई गई भूमि का वितरण

*९—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी जिला नैनीताल के टनकपुर मंडी के पश्चिम की तरफ जो तुमड़ानी जगह जंगल से खारिज कराके साफ करायी गयी है वह क्या भूमिहीनों के लिये है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह भूमि भूमिहीनों के लिये ही सुरक्षित नहीं है, पर उनको भी दी जा सकती है।

*१०—श्री खुशीराम—क्या उपर्युक्त जगह आज तक प्लाट बनाकर किसी को दी गयी या नहीं ? यदि दी गयी, तो किस-किस को ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस भूमि में से केवल ३० बीघा श्री कृष्ण सिंह मेहरा को दी गयी है।

श्री खुशी राम---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भूमिहीन लोगों के अलावा और किन-किन लोगों को यह जमीन दिये जाने का विचार है ?

श्री चरण सिंह---कुल भूमि का रकबा ५६ बीघे खाम है और ३० बीघे खाम वहां के सुपरिंटेंडेंट ने मेहरा साहब को दे दी। अब २६ बीघा खाम बची है इसके सिलसिले में गवर्नमेंट ने कोई आदेश नहीं दिया है और खाम को सुपरिंटेंडेंट जो मुनासिब समझें वैसा कर सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेहरा साहब जिनको जमीन दी गयी उनके पास पहले से जमीन थी इस बात का सरकार ने पता लगा लिया था ?

श्री चरण सिंह---यह जमीन उनको सन् ५१ में दे दी गयी थी और उस वक्त गवर्नमेन्ट आसपास के लोगों को बुला-बुला कर जमीन दे रही थी चाहे उनके पास पहले से रही हो या न रही हो। लेकिन जब लोगों ने ज्यादा आना शुरू किया और जमीन की कमी महसूस हुयी तब प्रतिबन्ध लगाने का विचार किया गया।

श्री खुशी राम---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस भूमि के चाहने वालों ने कोई दरख्वास्तें दी थीं, अगर हां तो कितनी ?

श्री चरण सिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने इन खाम सुपरिंटेंडेंट तेराई और भाबर को इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि भविष्य में तुमड़ानी जैसी जगहें केवल भूमिहीन लोगों को ही एलाट की जायं ?

श्री चरण सिंह---ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। यह आदेश जरूर है कि बजाय १००,१०८ एकड़ जमीन के जो पहिले दी जाती थी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी सज्जन को न दी जाय। यह ३० एकड़ जमीन भी अगर किसी को दी जायगी तो वह लैन्ड-रिफार्म कमिश्नर के हुक्म के बिना नहीं दी जायगी।

श्री खुशी राम---क्या यह सच है कि इस बाकी २६ बीघा जमीन को कुछ लोगों ने बिना मंजूरी के कब्जा कर लिया है ?

श्री चरण सिंह---बाकी २६ बीघा जो खाम जमीन है उस पर कुछ झगड़ा लोगों में जरूर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उपर्युक्त आदेश जो खाम सुपरिंटेंडेंट को दिये गये हैं उनको दिये हुए कितना समय बीत गया ?

श्री चरण सिंह---१० एकड़ से ज्यादा न देनेका पहला आदेश जूलाई ५२ में दिया गया था और १५ एकड़ से ज्यादा किसी को न दिया जाय, यह आदेश दिये हुए ३,४ महीने हुए होंगे।

लगान की दरें

*११---**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतानेकी कृपा करेगी कि प्रांत में लगान की दर कम से कम क्या है और अधिक से अधिक क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस प्रश्न का सही सही उत्तर पाने के लिये सारे प्रांत के हर खातेका परता निकालना पड़ेगा जिसमें बहुत वक्त लगेगा और बहुत ज्यादा खर्चा होगा।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि एक ही गांव में और एक ही परगने में एक किस्म की जमीन पर लगान में अन्तर है ?

श्री चरण सिंह—ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सैटिलमेंट में एक-एक खेत को देखा जाता है और उनकी किस्में मुकर्रर की जाती है और उस किस्म के आधार पर ही उसका लगान मुकर्रर किया जाता है, इसलिये एक किस्म की जमीन पर अलग-अलग लगान नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रांत के कोलोनाइजेशन क्षेत्र में लगान की दर क्या है ?

श्री चरण सिंह—५ रुपया फी एकड़ से लगाकर ७ रुपया फी एकड़ तक।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि जमींदारी अबालिशन के पहले जो लगान की दरें थीं उन दरों से जो नये तरीके से दरें बढ़ी हैं उनसे सरकार की आय कितनी बढ़ी है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जौनपुर में कृषि आय-कर से कितनी आय हुयी है ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने व्यक्तियों पर नोटिस तामील हुयी थी उनमें २६५ व्यक्तियों पर टैक्स लगा, तो बाकी लोग क्यों कर बरी हो गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उन लोगों की असेसेबिल इन्कम नहीं थी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नोटिस जारी करने के पहले इस बात की अच्छी तरह से जांच नहीं की गयी थी ?

श्री चरण सिंह—पिछले साल ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट में संशोधन हुआ उससे असेसी की तादाद बहुत बढ़ गयी और ३२ हजार आदमियों को नोटिस देना पड़ा। ५० एकड़ से ३० एकड़ करने पर कर की लिमिट बहुत नीची हुयी। इसलिये आफिसरों ने हर उस आदमी को नोटिस दे दिया जिसके पास ३० एकड़ जमीन कहीं हो सकती है। एक जगह लोगों की जमीन नहीं थी कहीं पर ५ एकड़ कहीं पर ६ एकड़ थी इस तरीके से उनको इत्तला नहीं थी और उन्होंने बहुत तादाद में लोगों को नोटिस दे दिया। लेकिन अब हमने इस तरह से कर दिया है कि आगे इस तरह का नोटिस उनको ही दिया जाय जिनकी इन्कम टैक्सबिल हो।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतलायेंगे जितने लोगों को नोटिस दी गयी थी उनमें कुछ लोग मुकदमा लड़कर बरी हो गये ?

श्री चरण सिंह—मुकदमा लड़ने की उसमें बहुत गुंजाइश है। सही इनकम हो और सही रकबा हो तो उसकी बिना पर वह मुकदमा लड़ सकते हैं।

जौनपुर जिले में कृषि आय-कर का आरोपण

*१२—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में गत वर्ष कितने आदमियों पर कृषि आयकर की नोटिस तामील की गयी और अन्त में कितने व्यक्तियों पर यह टैक्स लगाया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनपुर जिले में १३६० फसली की आय पर १३६१ फसली में कृषि आयकर की वसूली के लिये २९१ व्यक्तियों को नोटिस दी गयी, २६५ पर नोटिस तामील हुयी और उनमें से ६५ पर कर लगाया गया।

श्री केशव गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन काश्तकारों को मुआवजा दिया गया उनमें से कितने काश्तकार ऐसे निकले जिनके पास ३० एकड़ से कम भूमि थी ?

श्री चरण सिंह--जौनपुर जिले के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी, सारे सूबे के आंकड़े बता सकता हूं।

*१३-१५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[२३ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न सख्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६--**श्री झारखण्डे राय** (जिला आजमगढ़)--[४ अक्तूबर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७-१८--**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)--[१४ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१९-२१--**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)--[२७सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२--**श्री नेकराम शर्मा**--[४ अक्तूबर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बारा, जिला उन्नाव में दस गुना लगान जमा करने वाले किसानों को भूमिधरी क अधिकार

*२३--**श्री राम प्रसाद** (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बताये कि जिन काश्तकारों ने २९-६-५० ई० को भूमिधर बनने के लिये दस गुना लगान सरकारी खजाना स्थान बारा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में जमा किया था क्या उन सब को भूमि धर की सनदें दी जा चुकी हैं और उन का लगान आधा कर दिया गया ?

श्री चरण सिंह--जी हां।

*२४--**श्री राम प्रसाद** (अनुपस्थित)--यदि नहीं, तो ऐसे काश्तकारों को सनद और लगान आधा न करने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं द्वितीय वर्ष १९५४-५५ के अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में मैं एक सूचना देना चाहता हूं। १३ तारीख को इस पर सामान्य विवाद होगा और १४ तारीख को इन अनुदानों के ऊपर राय ली जायगी।

आगामी कार्य-क्रम

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, क्या १३ तारीख की छुट्टी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---१२ तारीख को इतवार है, १३ की छुट्टी नहीं है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुमकिन है आज रेंट कंट्रोल बिल समाप्त हो जाय और कल से लैण्ड रिफार्म्स बिल जो सेलेक्ट कमेटी से वापिस आ गया है, पेश हो जाय। चूंकि १५ अक्तूबर तक उस पर प्रेसीडेंट की असेंट आजाना है, इसलिये अगर कोई मजबूरी न हो तो १३ तारीखसे उस पर विचार कर लिया जाय। सप्लीमेंटरी के लिये कोई दूसरी तारीख निश्चित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---नियम यह है कि इसके लिये सदन के नेता और मुझसे परामर्श होकर एक तारीख नियुक्त होती है। चूंकि सदन के नेता ने इसकी स्वीकृति दे दी है, इसलिये जब तक वे मेरे पास संशोधन के बारे में लिख कर न भेजें तब तक बीच में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---यहां तो हमें मालूम है कि ९ से १२ तक सदन नहीं बैठेगा, लेकिन क्या ८ तारीख को सदन बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ८ तारीख के बारे में कुछ फैसला हो चुका है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी, ८ तारीख को बन्द रहेगा।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सदन ८ तारीख को क्यों बन्द रहेगा क्या इसका कोई कारण है ?

एक सदस्य---उस दिन आपने ही तो कह दिया था।

श्री राजनारायण---मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन में कम से कम ऐसा असत्य भाषण तो न होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह तो किसी ने कुछ मजाक किया है।

श्री राजनारायण---इस आदरणीय सदन में तो मजाक नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जब वातावरण बहुत गंभीर हो जाता है तो सदस्यों को प्रसन्न करने के लिये थोड़ा मजाक होता ही है।

श्री राजनारायण---मनोरंजन करने वाला विनोद तो मुझे भी पसंद है, लेकिन यह मक्खी मारने वाला विनोद मुझे पसंद नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार कमेटी की अवधि ३१ तारीख तक थी मैं जानना चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट कब तक पेश होगी ?

श्री अध्यक्ष---उस रिपोर्ट पर सदस्यों के दस्तखत हो गये हैं सभापति के भी दस्तखत हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि उसके छपने में देर हो रही है। उसके छप जाने पर सदन में उपस्थित करने की तारीख मुकर्रर कर दी जायगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, ८ तारीख का जवाब नहीं मिला कि ८ तारीख को यह सदन क्यों नहीं बैठेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पहले से कुछ ऐसा था कि मुहर्रम की तातील ९ और १० की थी मगर मालूम यह हुआ ८ तारीख को भी मुहर्रम की छुट्टी चाहिये। इसलिए ८ तारीख को इसमें शामिल किया गया है।

१९५१ की उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन*

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं सन्, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी १९५१ की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन जो माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२६६/१—अ—१०५६—५४ दिनांक १७ अगस्त, १९५४ के अधीन दिनांक२१ अगस्त, १९५४ के उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित हुए, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो ये रूल्स हैं इन पर विवाद करने के लिये कोई समय निश्चित किया जाय।

श्री चरण सिंह—उसके लिये तो निश्चय हो ही गया है कि एक दिन रखा जायगा तो उस दिन इस पर भी विवाद हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दो-तीन अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसे ही नियम बने थे जिनके सम्बन्ध में यह फैसला मैं दे चुका हूं कि कोई दिन मुकर्रर होगा। तो कृपा करके शीघ्र कोई दिन सरकार की ओर से मुकर्रर हो जाय जिसमें वे सब कार्यक्रम में आ जांय और फिर इनको भी कार्यक्रम में ले लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब तक कार्य-क्रम में कोई विषय नहीं आता तब तक आशंका यह हो सकती है कि कहीं यह पिछड़ न जांय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कई नियम आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि चार-पांच नियम हैं। उसके विवाद के लिये एक दिन तो नाकाफी है।

श्री अध्यक्ष—जब वह मेरे पास आ जायगा और कार्यक्रम में आ जायगा तो फिर हम लोग विवाद के दिन के सम्बन्ध में निश्चय कर लेंगे।

†यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४

‡खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर विचार जारी रहेगा।

उस दिन श्री शिवनारायण जी भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले शुक्रवार को जो संशोधन कि श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने पेश किया था उसका विरोध कर रहा था। यह अमेंडमेंट जो है उसमें साफ दिया गया है कि सब जब कोई टिनेंट रहेगा अपने मकान में किसी लैण्ड लार्ड के यहां तो वह काम करता रहेगा। और जिस वक्त काम नहीं करेगा उस वक्त उसको वैकेट कर देगा। श्रीमन्, उन्होंने अपने अमेंडमेंट में "एकी" एक ऐसा कामन शब्द रखा है जिससे इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि यह कोई

---

* छापे नहीं गये।

†२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

‡३ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

जेनुइन बात है । जैसा कि उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि अगर तपेदिक हो जाय, या मरता हो, या कोई बीमारी हो, इस तरह की बातें उन्होंने अपनी स्पीच में तो कहीं, लेकिन इस अमेंडमेंट में उसका कोई इशारा नहीं है जिससे यह पता चलता है कि अभी भी उनके दिमाग में वही पुरानी बातें भरी पड़ी हैं कि हम उनके मालिक रहें, चाहे उसमें भूसा रखें, चाहे कंडा रखें और चाहे जो चीज भी रखें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको लखनऊ और कानपुर के बारे में बतला सकता हूं कि बहुत से मिडलक्लास के लोग ऐसे हैं, जो छोटी-छोटी तनख्वाह वाले हैं, उनके ठहरने का कहीं ठिकाना नहीं है और वे रात में चारबाग स्टेशन पर प्लैटफार्म पर सोते हैं । जिस तरह से वे कहते हैं कि इसको बैन कर दिया जाय इसका मतलब यही है कि हम किरायेदारों से ज्यादा से ज्यादा पैसा बनावे । हमारे यहां के निवासी जो ऐसे मकानों में रहते हैं, गरीब हैं, लेकिन जो हमारे पुराने लैन्डलार्डस हैं उनके दिमाग में अभी भी वही डंडे वाली बात बाकी है कि हम उन पर काबिज रहें ।.....

श्री अध्यक्ष--अब तो वह बात खत्म हो चुकी है ।

श्री शिवनारायण--मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल रखा है वह शहरों के मकान की जरूरत के हिसाब से रखा है । आवश्यकता आविष्कार की जननी है । इस समय मकानों की कमी है और सरकार के पास भी पैसे की कमी है । आये दिन आफतें आती रहती हैं । परेशानी सरकार को भी है । पूर्वी जिलों की बाढ़ से खराबी हो रही है और लाखों, करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि गवर्नमेंटमकान नहीं बनाती है । गवर्नमेंट गाफिल नहीं है । गवर्नमेंट जानती है कि आज कस्बों में, म्युनिसिपैलिटियों में, शहरों में, सब जगह मकानों की कमी है और अगर आज सरकार मकानों को अपने कंट्रोल में नहीं रखती है तो हमारे अफसरों को या सरकार के कार्यकर्ताओं को उन के ठहरने का स्थान नहीं मिल सकता है और कहीं भी प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापकों को ठहरने का स्थान नहीं मिलता सकता है । इसी कारण से सरकार ने यह कानून रखा है इसलिये मैं आपकी इजाजत से कहूंगा कि यह संशोधन व्यर्थ है । बिल में खुद गवर्नमेंट ने रख दिया है कि लैण्डलार्ड उस हालत में स्वयं प्रबन्ध कर सकता है । यह जो कुछ किया जा रहा है यह भी कमेटी की रिपोर्ट को देख कर ही किया जा रहा है । कमेटी ने खुद रिकमेंड किया है "We therefore, recommend that if a house owner requires the house for his personal use, he should apply to the District Magistrate for securing eviction of the tenant, the District Magistrate after adjudging the genuineness and of reasonableness of his needs...."
अगर जिनुइन नीड हो तो स्वयं इंतजाम डी०एम० की इजाजत से कर सकता है । यह ४ साल के लिये किया जा रहा है ताकि काम चलता रहे और प्रदेश का नुकसान न हो और सदन की यह राय है कि जो पहले से है कि डी० एम० की इजाजत से बेदखली अपने लिये कराई जा सकती है वही ठीक है । इसमें सरकार की कोई नीति हरेस करने की नहीं है अगर जीनुइन नीड होगी तो डी०एम० से इजाजत लीजा सकती है । इसलिये मैं आपकी इजाजत से श्री अवधेश प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें उसकी कोई जरूरत नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं और निवेदन करूंगा कि यदि मेरे माननीय मित्र इसका तथ्य देखते तो मुमकिन है कि उन को इसे पेश करने की जरूरत न पड़ती । मूल अधिनियम में सेक्शन ३ के अन्दर कुछ शर्तें रखी गयी हैं, अगर इन शर्तों के अन्दर बात आ जाती है तो मालिक मकान को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और वह सीधे ही बेदखली करा सकता है, लेकिन हमारे माननीय मित्र ने उन शर्तों के अन्दर एक शर्त को बढ़ाने के लिये यह संशोधन रखा है और उस में कहा गया है कि यदि मालिक मकान खुद अपनी जरूरत के लिये मकान चाहे तो फिरउसको डिस्ट्रिक्टमैजिस्ट्रेट से इजाजत

[श्री शिवनाथ काटजू]

की जरूरत नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो हमारा अधिनियम है और उस के अन्दर जो कायदे बने हैं उनके अन्दर एक कायदा यह अधिकार देता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मालिक मकान की दरख्वास्त पर गौर करे यदि मालिक मकान उस से कहे कि मुझे अपनी जरूरत के लिये मकान की जरूरत है तो उसे बेदखली का दावा करने की इजाजत दी जा सकती है लेकिन अगर यह संशोधन मान लिया गया और दफा ३ के अन्दर इस को रख दिया गया तो यह झंझट की बात हो जाती है । फिर मालिक मकान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा बल्कि वह खुद ही समझ लेगा कि मुझे जरूरत है, सीधा दावा कर सकता है । तो श्रीमन्,अब बात यह रह जाती है कि इसका निर्णय कौन करे कि मालिक मकान की मांग जरूरी है या गैर जरूरी है । अब तक जो इस वक्त हमारे यहां का जो नियम है और कायदा बना है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, उसके अन्दर इसका निर्णय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है । मैं निवेदन करूंगा कि मुनासिब भी यही है कि वही बात रखी जाय और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार हो कि जब मकान मालिक अपनी जरूरत समझे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी समझे कि उसकी जरूरत सही है तो उस हालत में उसको बेदखली की स्वीकृति दी जा सकती है । लेकिन यहां यह संशोधन मान लिया गया तो फिर एक और झंझट की बात आ जायगी और मुकद्दमे के अन्दर यह एक मसला आजायगा जिससे और मामला बढ़ सकता है । तो मैं निवेदन करूंगा कि जो मेरे माननीय मित्र अवधेश प्रताप सिंह जी चाहते हैं कि अगर मकान मालिक को अपनी जरूरत हो तो उसको बेदखली की इजाजत हो वह तो इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसमें जो शर्त है वह यह है कि इसका निर्णय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा । तो जिस तरह से नियम है वही मुनासिब है । और अगर यह संशोधन रखा गया तो और झंझट हो सकता है और इससे किरायेदारों की हकतलफी होने का अंदेशा है और किरायेदारों को ख्वामख्वाह अदालतों में ले जाये जाने का डर है । मैं निवेदन करूंगा कि जब वह बात पहले ही से मौजूद है तो इस संशोधन के रखने की जरूरत नहीं । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें उन्होंने जो यह शब्द रखे हैं "that house owner requires any accommodation for his personal use."

यह ऐसा वेग और वाइड टर्म है कि जब मकान मालिक चाहे तो किरायेदार को परेशान कर सकता है । अध्यक्ष महोदय.....

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)——श्रीमन्, मैं एक सवाल करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष——माननीय जोरावर वर्मा नहीं बैठ रहे हैं ।

(थोड़ी देर बाद वह बैठ गये ।)

श्री अध्यक्ष——वह बैठ गये अब आप कहिये ।

राजा वीरेन्द्र शाह——श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि नम्बर, ५ पर जोरावर वर्मा जी का एक संशोधन है जिसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है । तो मेरी समझ में नहीं आया कि यह विरोध कैसे कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, पता नहीं राजा साहब दूसरों को डिस्टर्ब करने में क्यों आनन्द लेते हैं। मैं यह कह रहा था कि जो इन्होंने संशोधन रखा है अगर अध्यक्ष महोदय इसकी उपमा उससे दें कि जिस पर प्रकार जमींदारी टूटी और भूतपूर्व जमींदारों की एक बात कह दी गयी कि अधिक अन्न उपजाओ स्कीम के लिये आप जमीन तोड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने उस अधिकार का दुरुपयोग किया इसी तरह यह अधिकार अगर मकान मालिकों को सौंप दिया जाय तो मैं समझता हूं कि किरायेदारों को ये लोग परेशान कर सकते हैं। अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो स्पीच दी उसमें कोई ऐसा कारण नहीं बताया जिससे यह सिद्ध हो कि इस प्रकार से पर्सनल यूज के लिये मकान दे देने का जो अधिकार वह कोर्ट से इस बात का फैसला ले ले कि जब चाहे जिन परिस्थितियों में चाहे किराये दारों को निकाल दे। एक बात उन्होंने यह कही थी कि अगर कोई मकान मालिक बीमार हो तो उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह किरायेदार को मकान से निकाल सके अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर बीमारी के कारण ही यह अधिकार दिया जाना हो तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जो इतने अस्पताल खोल रक्खे हैं और मरीजों का इंतजाम है तो वहां पर कोई भी मरीज चाहे जमींदार हो, मकान मालिक हो या किराये दार हो, वहां जा करके अपनी दवा करा सकता है, इसलिये सिर्फ इस ग्राउण्ड पर उसको यह अधिकार दे दिया जाय कि वह कोर्ट में जाकर के इस प्रकार का फैसला ले लें, यह उचित नहीं है। कुछ लोगों ने यह कहा कि नियमों में कलेक्टर को यह अधिकार दिया हुआ है कि कलेक्टर जिस समय चाहे, अगर वह ऐसी परिस्थिति देखता है तो वह मकान मालिक को यह अधिकार दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उन्होंने इसको काफी गलत इंटरप्रेट किया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनकी शिकायत पर उसी हालत में यह विचार कर सकता है जब मकान खाली हो गया हो या मकान खाली होने वाला हो। लेकिन हमारे माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी यह चाहते हैं कि मकान मालिक को यह अधिकार दे दिया जाय कि बिना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से परमीशन लिये हुए जैसे उसमें धारा ३ में कुछ ऐसी शर्तें जुड़ी हुयी हैं कि जिस समय मकान मालिक इन परिस्थितियों में हो तो वह कोर्ट में जा सकता है, उसी तरह उसमें वह यह एक धारा और जोड़ना चाहते हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो जाय कि जिस दिन चाहे मकान मालिक किरायेदार को निकाल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब कि शहरों में मकानों की इतनी कमी है, लोगों को अपना जीवनयापन करने के लिये मुश्किल से रहने को मकान मिलता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह अधिकार वह किस प्रकार से चाहते हैं कि जब उनको किसी परसनल यूज के लिये आवश्यकता पड़ जाय तो उनको यह अधिकार दे दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि मकान मालिक अपना मकान किराये पर तभी उठा सकता है जब उसका मकान फालतू होता है या उसकी आवश्यकता से अधिक होता है। तो इस प्रकार की धारा के जोड़ने का प्रयत्न करना मैं समझता हूं कि आज जो परिस्थिति है, उसके बिलकुल प्रतिकूल है और मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके विरोध में अनेक प्रकार की युक्तियां कही गयी हैं, मगर बड़े ताज्जुब की बात है कि मकान मालिक जिसने हजारों रुपए खर्च करके मकान खड़ा किया है और अगर उसको दरअसल जरूरत है उस मकान में रहने की, तो उसको इतनी मुसीबत उठानी पड़े कि एक मर्तबा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त दे, चार छः महीने लगे और जैसा कुछ कलेक्टर के यहां होता है, वह सब बरते, अगर इत्तफाक से इजाजत मिल भी जाय तो दीवानी अदालत जाना हो। तो दो-दो खर्चे, दो-दो तवालतें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उम्मेद सिह]

उसे उठानी पड़ें । तो ऐसी सूरत में यह संशोधन महज यह चाहता है कि बजाय इसके कि दो जगह पैरवी की जाय, सिविल कोर्ट जो कि एक काम्पीटेंट कोर्ट है इसके सामने इस बात का फैसला हो जायगा कि आया मकान मालिक को दरअसल रहने की जरूरत मकान की है या नहीं है और वह अदालत भी सरकार का एक अंग है । ऐसा तो नहीं है कि वह बेजा फैसला कर देगा कि जरूरत न होगी और वह लक्जरी के लिये चाहता हो । अगर दरअसल जेनुइन नीड होगी तभी सिविल कोर्ट इजाजत देगी । तो इस संशोधन का तात्पर्य सिर्फ यही था कि मकान मालिक को दो पैरवी से छुट्टी मिले और सिर्फ एक अदालत से वह फैसला करा ले कि उसको जरूरत है या नहीं । अब इसके साथ यह युक्तियां दी जाती हैं कि सबै भूमि गोपाल की तो इसमें भी अगर ऐसा हुआ कि मकान मालिक पेड़ के नीचे रहे और अपने मकान में न रह सके या जिस मकान में वह रहता है वह बिक गया या गिर गया तो वह अपने मकान में न रह सके तो यह दरअसल एक बड़ी दिक्कत की चीज है । जो संशोधन है इसमें कोई गवर्नमेंट का लास नहीं है । सिविल कोर्ट फैसला करेगी और दो-दो जगह पैरवी करने की मुसीबत से बचाने के लिये यह संशोधन है ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय अवधेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं पहला व्यक्ति होता अगर वर्तमान विधेयक में मकान मालिक को मकान व्यक्तिगत जरूरत पर प्राप्त करने के लिये कोई सहूलियत न दी गयी होती तो मैं इसका अवश्य समर्थन करता । लेकिन जब मैं देखता हूं कि वर्तमान विधेयक की धारा ३ में एक ऐसा प्राविजन मौजूद है जिसके अनुसार कोई भी मकान मालिक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अर्जी दे सकता है तो मैं इस संशोधन के माने जाने की आवश्यकता नहीं समझता हू । आखिर इस विधेयक की धाराओं के अनुसार कुछ नियम बने हुए हैं और उन नियमों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सब से पहले तो नियम ६ है जो इस धारा ३ के मातहत बना हुआ है, इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं:-

"6. OCCUPATION BY LANDLORD. When the District Magistrate is satisfied that an accommodation which has fallen vacant or is likely to fall vacant is *bona fied* needed by the landlord for his own personal occupation the District Magistrate may permit the landlord to occupy it himself."

इसके अलावा दूसरा नियम ८ का एक प्राविजो है । जो मकान एलाट किये जाते हैं उनके लिये नियम ६ है और दूसरे के लिये नियम ८ है तो नियम ८ के इस प्रतिबन्ध की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वह इस प्रकार है "Provided always that the District Magistrate shall at any time after such allotment, on being satisfied on the application of the landlord that he requires the accommodation *bona fied* for his personal residence grant him permission under section 3 of the Act for ejectment of the tenant." दो नियम इस सम्बन्ध में बने हुए हैं और आपकी कृपा से मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के लिये कुछ आंकड़े भी पेश करना चाहता हूं जिनसे साबित होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने नियम ६ के अनुसार अपने अधिकार मकान मालिकों के विरोध में प्रगट नहीं किये हैं बल्कि मकान मालिकों की बात को ही माना है और उनको प्रसनल यूज के लिये मकान दिये हैं और सहूलियत दी है १९५१ में नियम ६ के अनुसार १९४९ अर्जियां सारे प्रांत के मकान मालिकों की पड़ी कि उनको पर्सनल यूज के लिये मकान दिया जाय तो इनमें से ११९४ मंजूर हुयीं और केवल ७५५ नामंजूर हुयीं । इसी प्रकार १९५२ में कुल २,०३१ अर्जियां पड़ीं और १४८५ मंजूर हुयी और केवल ६४६ नामंजूर हुयीं । १९५३ में ३,१२५ अर्जियां पड़ीं जिनमें से २,१९४ मंजूर हुयीं और ९३१ नामंजूर हुयीं । इसलिये अगर मकान मालिकों का यह दावा हो कि उनकी प्रत्येक बात को ठुकराया जाता है और किरायेदारों को ही सहूलियत दी जाती है तो मैं समझता हूं कि उनका दावा गलत है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके साथ-साथ मेरा दूसरा एतराज इसकी भाषा से भी है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने अपने संशोधन में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह यह है कि "that the house owner requires any accommodation for his personal use." हाउस ओनर नाम का कोई शब्द इस विधेयक में नहीं है। इसमें तो लैन्ड लार्ड इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसकी परिभाषा इस विधेयक में नहीं है और न आपने ही इसकी परिभाषा लिखी है, इसलिये यह अधूरा पड़ता है और इसके अलावा उन्होंने 'एनी एकोमोडेशन' लिखा है तो एकोमोडेशन दो प्रकार की होती हैं। एक तो रेजीडेंशल एकोमोडेशन यानी घरेलू एकोमोडेशन और दूसरी नान रेजीडेंशल एकोमोडेशन यानी दुकाने वगैरह के लिये, तो इस प्रकार से दो प्रकार की एकोमोडेशन्स हैं। इनके भी विशलेषण करने की जरूरत है। एक आम तरीके से कुछ रख देना कि रेज़ीडेश्यल एकोमोडेशन हो या नान-रेज़ीडेंश्यल एकोमोडेशन हो, कैसी हो, हम किसी परसनल यूज़ में खाली करवा देंगे, अगर ऐसा जनरल प्राविज़न विधेयक में हो जायगा तो इस विधेयक का मंशा ही ग़लत हो जायगा। सब से बड़ी बात तो यह है कि अगर यह कहा जाय कि चुंकि बम्बई में है, आसाम में है और यही उसूल सी० पी० बरार में है, इसलिये रख दिया जाय, तो वहां तो आलटरनेटिव एकोमोडेशन की व्यवस्था है, वहां तो कहा गया है कि अगर किसी मकान मालिक को अपनी आवश्यकताओं के लिये मकान की जरूरत हो और यह साबित हो जाय कि उनकी मांग बोनाफ़ाइडी और रीज़नेबिल है तो टिनेंट के लिये आलटरनेटिव एकोमोडेशन की व्यवस्था है। हमारा विधेयक उस माने में अधूरा है। इसमें आलटरनेटिव एकोमोडेशन की कोई गुंजायश नहीं है, जब कि माननीय जुगल किशोर कमेटी और बनारसीदास कमेटी दोनों ने स्पष्ट कहा है कि जब कभी भी मकान मालिक को इस बात का मौक़ा दिया जाय कि मकान पर क़ाबिज़ हो सके अपनी ज़रूरत के लिये, तो टिनेंट के लिये आलटरनेटिव एकोमोडेशन उसके बदले में मिलना चाहिये। तो मैं तो सरकार को यह सुझाव देता कि जहां कहीं भी टिनेंट को इस प्रकार से इविक्ट किया जाय और जिला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार की परमीशन दें, या मकान खाली घोषित करने के पश्चात् किरायेदार को किसी प्रकार भी इविक्ट होने की नौबत आये तो उसे रेजिडेंश्यल आलटरनेटिव एकामोडेशन या नान-रेजिडेंश्यल आलटरनेटिव एकामोडेशन जरूर देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं श्रीमान् आपका ध्यान जुगल किशोर इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट के पेज ९० की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि-- "We also recommend that the tenants evicted in order to provide houses to the landlords for their personal use should necessarily be given alternative accommodation elsewhere."

दूसरी जगह उनको मकान दिया जाय। इसी सम्बन्ध में जो माननीय बनारसी दास जी की कमेटी रिपोर्ट है उसके पेज २४ की तरफ भी मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं -"There is also, on the other hand, a genuine difficulty of tenants when permission to evict them is granted."

दूसरी तरफ उन किरायेदारों की भी दिक़्क़त है कि जिनको निकाले जाने की इजाजत दे दी जाती है --"There is no legal provision for providing them with alternative accommodation."

कोई भी कानून में इस प्रकार का नियम नहीं है, जिसके अनुसार उनको दूसरी जगह मकान रहने को दिया जा सके--"So in many cases they are left without shelter."

अब ऐसे बहुत से उदाहरण दिये गये हैं जब कि उनके पास शरण की जगह नहीं रह जाती तो आलटरनेटिव एकोमोडेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय अवधेश प्रताप सिंह के संशोधन में ऐसी कोई गुंजायश नहीं दिखाई देती।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस के सम्बन्ध में मैं "लैंडलार्ड" की परिभाषा की ओर भी आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बम्बई के ऐक्ट में जहां परसनल यूज की बात कही गयी है वहां "लैंडलार्ड" की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है कि लैंडलार्ड की परिभाषा में किसी प्रकार "रेंट फ़ार्मर" "रेंट कलक्टर", या "स्टेट मैनेजर" नहीं है। हमारे यहां लैंडलार्ड की परिभाषा के अन्दर "रेंट फार्मर" या "रेंट कलेक्टर" या "स्टेट मैनेजर" इस प्रकार का कोई व्यक्ति न आवे।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ एक प्रश्न और भी हमारे सामने आता है कि इस बात की एक नहीं, कई मिसालें मिली हैं, जो कि बनारसी दास कमेटी के सामने भी आयी हैं, कि बहुत से मकान मालिकों ने मकान तो इस बहाने से खाली करा लिया कि उनको अपने व्यक्तिगत फायदे के लिये, कार्य के लिये, मकान चाहिये, लेकिन बाद को उन्होंने दूसरे तरीकों से उनको अलाटमेंट करा दिया या अपने व्यक्तिगत काम में नहीं लिया। तो इस बनारसी दास कमेटी में एक सुझाव दिया गया। इसमें लिखा था कि —

"Instances were also referred in which landlords occupied the house, got vacated by them through the civil courts, but at the same time they let out the accommodation, in which they had been living previously, on exhorbitant rents."

जहां पहले वह रहते थे अपने मकानों में, वहां तो किरायेदार रख दिया और जहां पुराने किरायेदार थे उनसे मकान खाली करा कर खुद रहने लगे और इविक्शन इस तरह से डुप्लीकेशन करा लिया। उन्होंने कहा कि—

"We think that this is a flagrant misuse of the legal remedy provided to the landlords for getting their houses vacated for their own use. Such dishonest landlords deserve punishment."

ऐसे जो लैन्डलार्ड हैं, जो ग़लत तरीके इस्तेमाल करते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिये। फिर इसके बाद —

"We think that if a house is not occupied by the house owner within two months after getting it vacated for his personal use, the house should be re-allotted and this lapse of the landlord should be treated as a contravention of the provisions of the Act."

उन्होंने इस तरह से यह स्पष्ट कर दिया है, बनारसीदास कमेटी ने, कि अगर व्यक्तिगत मामले के अन्दर मकान मालिक यह कह कर कि मुझे अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये मकान चाहिये, मकान पर काबिज हो जाय तो उस मकान को रिअलाट किया जाना चाहिये और उनको इस प्रकार की सज़ा देनी चाहिए मानो इस ऐक्ट की मुखालिफत में काम हुआ है। तो श्रीमन्, कहां तो इस प्रकार की गुंजायश माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को करनी चाहिये थी लेकिन इसके विपरीत माननीय अवधेश प्रताप जी एक ऐसा आम और ख़तरनाक हथियार कानून के ज़रिये दे देना चाहते हैं जिसके ज़रिये इस सारे विधेयक की मंशा खत्म हो जाय। बम्बई और दिल्ली वग़ैरह के ऐक्ट में तो और भी गुंजायश रखी गयी है कि अगर मकान मालिक मकान की मरम्मत के लिये भी मकान ख़ाली कराता है तो मरम्मत के बाद वह मकान उसी किरायेदार को एलाट कर दिया जायगा। यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर हम लोग वास्तव में यह चाहते हैं कि किरायेदार का हित हो और मकान मालिक और किरायेदारों के बीच में झगड़ा न बढ़े तो कम से कम इस संशोधन को नामंजूर किया जाना चाहिये, क्योंकि यह संशोधन मंजूर होने से झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन की भी आवश्यकता नहीं होगी और सीधे लोग कोर्ट में जायंगे। तो इससे यह होगा कि जिस मुक़दमेंबाजी को माननीय मंत्री जी कम करना चाहते हैं वह बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि माननीय अवधेश

प्रताप सिंह भी चाहते होंगे कि मुक़दमेबाजी न बढ़े। जितने मौजूदा नियम हैं उनको भी स्पष्ट करने की गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को माननीय अवधेश प्रताप जी अगर वापस लें तो वह इस विधेयक का भी कल्याण करेंगे और मकान मालिक और किरायेदारों का भी कल्याण करेंगे।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य तो श्री नारायण दत्त तिवारी और काटजू साहब और अन्य मित्रों ने बहुत सरल कर दिया है। जो संशोधन पेश किया गया है वह ऐसा है कि उसको किरायेदारों के हित में और स्वयं उनके हित में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार पहले से ही दे रखा है कि यदि मकान मालिकों की आवश्यकता सही हो तो उसके लिये वह इजाजत दे सकते हैं। इसके द्वारा वह चाहते थे कि मुन्सिफ कोर्ट में जा कर वह इस बात के औचित्य को सिद्ध करें कि मकान की आवश्यकता वास्तव में है। इस सम्बन्ध में नारायणदत्त जी ने जो कुछ प्रश्न पैदा किये थे आल्टरनेटिव एकोमोडेशन वग़ैरह के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार देने का अर्थ यही है कि जिस वक्त वह किसी मकान मालिक को इजाजत दे दें तो सारे प्वाइंट्स को अपने सामने रखे और यह सरकार की नीति है कि जो इस प्रकार की इजाजत दी जाय तो उनका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ध्यान रखे, आल्टरनेटिव एकोमोडेशन देने के लिये। तो इस दृष्टि से हमारा मौजूदा अधिनियम और राज्यों से बहुत हालतों में बेहतर है। जो मंशा अवधेश प्रताप सिंह जी की है वह भी पूरी हो जाती है मौजूदा विधेयक से। गवर्नमेंट की मंशा यह हर्गिज नहीं है कि जो लोग वास्तव में अपने लिये मकान चाहते हों उनको मकान न मिल पाये लेकिन साथ ही साथ इस चीज को जरूर चाहती है कि आज जब मकानों की कमी है तो एक प्रकार से एकोमोडेशन का राशनिंग हो। यह भी नहीं हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर मकान मालिक मकान को ख़ाली करा लें और इसमें भी सन्देह नहीं है कि मकान मालिक मकानों को ख़ाली करा लेते हैं और फिर किराया ज्यादा वसूल करने के लिये सब-टेनेन्ट्स को या दूसरे टेनेन्ट्स को रख लेते हैं जिसके लिये कोई अथारिटी की जरूरत नहीं है। मुझे खेद है कि श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) में प्रस्तावित खंड (g) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (h) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(*h*) that the house owner requires any accommodation for his personal use."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***राजा वीरेंद्रशाह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) में प्रस्तावित खंड (g) के अन्त में शब्द "determine" के बाद फुलस्टाप निकाल कर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"or that the landlord stands in genuine need of the accommodation for his personal use or that he is in need of selling the same in order to pay off his debts."

श्री अध्यक्ष—पहला हिस्सा तो आप डिलीट कर दें वह गिर गया। आप दूसरा हिस्सा पेश करें।

राजा वीरेंद्रशाह—जी हां, यह रख दिया जाय। "or that the landlord stands in genuine need of selling the same in order to pay off his debts."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—संशोधन के शब्द इस तरह से होंगे "or that the landlord stands in genuine need of selling the same in order to pay off his debts."

राजा वीरेंद्र शाह—जी हां। श्रीमन्, मुझे इसलिये इस संशोधन को पेश करना पड़ा कि जमींदारी अबालिशन के बाद अपने प्रान्त की हालत को हमारे मंत्री जी और सरकार अच्छी तरह से जानती है। आज जमींदारों के ऊपर जो आफत आई हुई है, आमदनी उनके पास है नहीं, कर्जा उनके ऊपर है, उसको अदा करना जरूरी है। जिनके जरिये वह कुछ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं जो उनके पास मकानात आदि हैं, उन्हें कर्जदारों ने पहले ही से रेहन करवा रखा है और थोड़े से पेमेंन्ट पर वह इमारतें ले लेना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि यह टेम्पोरेरी मेजर है। इसमें माननीय नारायणदत्त जी या किसी दूसरे माननीय सदस्यों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह तो बहुत दिन चलेगा नहीं। यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सिविल कोर्ट को देख लेना चाहिये कि अगर मालिक मकान कर्ज की अदायगी में अपना मकान बेचना चाहता है तो उसको इजाजत मिल जाय। तो उस मकान की कीमत अच्छी मिल जायगी और क़र्जा अदा हो जायगा। साथ-साथ उसको रोटी खाने के लिये भी कुछ बच जायगा। यह तो हम सब को मानना ही चाहिये कि किसी की जायदाद खामख्वा कम क़ीमत में जाय और किसी का फायदा न होता हो और उसकी हानि हो, यह हममें से कोई भी नहीं चाहेगा। सिर्फ इसलिये कि एकोमोडेशन की जरूरत है। मैं कहता हूं कि मिलना चाहिये, लेकिन मैं समझता हुं कि अगर यह बात सही है कि वह मकान सिर्फ इसलिये बेचता है कि अपने कर्ज को अदा करेगा, और उसके साथ-साथ कुछ पैसे, रोटी खाने के लिये बच जायेंगे तो सरकार को भी इसमें फायदा होगा। वैसे सरकार को उनको रिहेबिलेटेट करना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी से भी सरकार बच जायगी। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से सरकार की हम सहायता ही कर रहे हैं। इसके टेम्पोरेरी मेजर में संशोधन स्वीकार कर लेने से तो यह होगा कि उन मालिकों पर जिनके मकानों पर कर्जा चढ़ा हुआ है वह बेच लेंगे, उनकी अच्छी क़ीमत मिलने पर क़र्जा अदा हो जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन के पहले हिस्से का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं।

राजा वीरेंद्रशाह—वह पेश ही नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू—जहां तक दूसरे हिस्से का संबंध है मैं पुनः निवेदन करूंगा कि यह भी अगर माननीय मंत्री जी मुनासिब समझें तो एक ऐसी चीज है जो कि नियमों में डाली जा सकती है। जहां तक मेरे मित्र ने यह बात कही कि मकान मालिकों के ऊपर क़र्जे का बोझ हो और वह उसको बेचना चाहते हों तो अगर वह किरायेदार उस मकान से चला जाय तो उसकी कीमत अच्छी मिल सकती है यह एक ऐसी बात है जिस पर सरकार को गौर करना चाहिये लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया अगर यह दफा इसके अन्दर आती है तो फिर झगड़े की बात आ जाती है, इसका कौन फैसला करेगा। क्योंकि बहुत मुमकिन है महज़ मकान को खाली कराने के लिये उन्होंने क़र्जे की बात पेश की कि मकान खाली नहीं होता इसलिये क़ीमत अच्छी नहीं मिलती। मेरे ख्याल में यह नामुनासिब न होगा और सरकार मेरे सुझाव पर गौर करेगी।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहले तो यह संशोधन इसमें फिट इन नहीं करता। सेक्शन ३ का 'जी' जो है उसमें एक पर्टिकुलर रिफरेन्स है और यह जो संशोधन आया है यह जनरल नेचर का है। तो एक तो यह उसके स्कोप से बाहर मालूम होता है, यह अलग से रक्खा गया होता क्योंकि इसमें तो फिट इन करता नहीं।

इसके अलावा माननीय शिवनाथ काटजू इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनको मालूम होगा कि जब कोई इममूवेबिल प्रापर्टी ट्रान्सफर होती है तो ट्रान्सफरआफ प्रापर्टी ऐक्ट के मातहत उसके आब्लिगेशंस भी, लायबिलिटीज भी ट्रान्सफर हो जाती हैं। इस ऐक्ट में मकान बेचने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इसके आ जाने से कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं हो जाता। इसलिये यह भी एक बेकार सा संशोधन है। प्रश्न केवल यह है कि यह भी एक तरीका है जिससे मकान खाली कराया जा सकता है। एक इनडाइरेक्ट सा संशोधन है मकान खाली कराने के लिये यह कह कर कि मकान की कीमत बढ़ जायगी और अगर मकान खाली कर दिया जाय। यह एक और सुविधा मकान मालिक को मिलेगी मकान खाली कराने के लिये, लेकिन अगर इसको दूसरी तरफ इवेलुएट करें जहां कि ९० से ९५ फीसदी आदमी किराये पर रहते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, जो कि बाहर से आ कर सर्विस करते हैं, या छोटे-मोटे रोजगार करते हैं, या जो मकान बना नहीं सकते उसके लिये यह इनडायरेक्ट तरीका सीक किया जाता है मकान खाली कराने का तो उसके लिये हमें एक्नामिक कंडीशंस पर विचार करना होगा। इस संबंध में जो पहला अमेंडमेंट आया था उस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट मकान मालिक को इस सम्बन्ध में काफी गुंजायश देता है, कोई भी प्रतिबन्ध उसमें उपस्थित नहीं होता कि मकान ट्रान्सफर करने में कोई दिक्कत हो। फिर जो वर्तमान संशोधन बिल आया हुआ है उसमें काफी सुविधाओं का ख्याल किया गया है किराये के सेटिलमेंट के लिये, मकान खाली कराने के लिये, मकान के एलाटमेंट के लिये। ये तमाम सुविधाए इस नये संशोधन विधेयक में मकान मालिक को दी गई है। आज की दुनिया में इससे ज्यादा की आशा करना जब कि मकानों की बड़ी दिक्क़त हो, जब लोग मारे-मारे फिरते हों, डाक्टर और प्रोफेसर बाराण्डों में रहते हों, एक-एक कमरे में कई आदमी रहते हों, तब इस तरह का और संशोधन स्वीकार करना मेरी राय में जन हित के विरुद्ध होगा, ९५ फीसदी जनता के हित के विरुद्ध होगा। तो मेरा यही निवेदन है कि यह संशोधन इसमें फिट इन नहीं करता और दूसरे ट्रान्सफर आफ प्राफिट ऐक्ट के यह खिलाफ भी जाता है क्योंकि यह दूसरा बतलाता है कि मकानों की ज्यादा कीमत ली जाय। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन का विरोध करुंगा। माननीय वीरेन्द्रशाह जी का संशोधन अगर स्वीकार कर लिया जाय तो इस वक्त जितने मकान किराये पर हैं उन सब मकानों के मालिकान कर्जदार बनने की कोशिश करेंगे। कर्जदार बनना बहुत आसान बात हो जायगी। इसके अलावा सबूत ढूंढ़ना कि इसने किस काम के लिये कर्जा लिया और कर्जा लिया या नहीं यह बड़ा भारी काम सरकार के लिये हो जायगा। इस बात का सबूत ढूंढ़ना कि इसने कर्जे की रक़म नहीं ली है और यह बगैर कर्जे के बेचना चाहता है तो मैं समझता हूं कि बहुत टेढी खीर सरकार के लिये ही जायगी। ऐसा मेरा ख्याल भी है कि संशोधन को स्वीकार कर लेने के बाद इस सारे कानून की जरूरत ही नहीं रह जायगी। अगर इनका यह एक ही संशोधन मान लिया जाय तो फिर यह सारे क्लाज ही निरर्थक हो जाते हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने इस बात को सोचा नहीं होगा कि वह इस सारे कानून को निरर्थक करने के चिये ऐसा संशोधन लाये हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जब माननीय वीरेन्द्रशाह जी के ध्यान में यह बात लायी जायगी इस बात के लिये तैयार हो जांयगे कि इसको वापस लिया जाय। यदि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये मकान रखा जाय और सही माने में जो मकान के मालिक हैं उनको तकलीफ न हो यह बात सही है, लेकिन कभी-कभी यह बात जरूर हो जाती है कि जो सही मकान मालिक हैं उनको तकलीफ होती है और हमारे जिला मैजिस्ट्रेट इस बात पर जरा कम ध्यान देते हैं और उनको कोई जिद हो गयी या किसी ने ऊपर से कह दिया या कोई ऐसी बात उनकी इच्छा के विरुद्ध हो गयी तो फिर उस मकान मालिक के लिये बड़ी मुसीबत हो जाती है। अगर कोई बात जिला मैजिस्ट्रेट की मर्जी के खिलाफ हो गयी तब तो वह ऐंड़ी चोटी एक

[श्री गेंदासिंह]

कर देते हैं जिससे वह सरकार के हुकुम की तामील कर पायें। ऐसा देखा गया है यह बात हो सकती है कि इसका अपवाद हो। यह हो सकता है कि जिला मैजिस्ट्रेट को कहीं-कहीं पर जिद आवे और उस जिद का भी इलाज हो सके। इसलिये मैं सोचता हूं कि जब वीरेन्द्र शाह जी का ध्यान इस ओर दिलाया जायगा तो वह इसको वापस ले लेंगे। मैं अधिक न कह कर माननीय वीरेन्द्र शाह जी से अपील करूंगा कि पहले उन्होंने इस प्रकार से सोचा न होगा कि इसका यह परिणाम होगा। मैं उनके सामने जो दलील रखता हूं उन दलीलों में अगर उनको कुछ बल मालूम हो तो मैं यह आशा करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री उम्मेदसिंह--मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। हमारा खयाल है कि शब्द लैन्डलार्ड पर कुछ माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी है। वह यह समझते हैं कि यह वही पुराने ताल्लुकदार या जमींदार हैं। यह हो सकता है कि मकान-मालिकों के पास पहले धन रहा हो जब कि उन्होंने मकान बनाया होगा मगर अब वह बहुत गरीब हैं और अधिकांश में उनकी हालत अच्छी नहीं है, बल्कि जो कर्जदार हो गये हैं वह मजबूरी की हालत में कर्जदार हुए हैं और उनके जो किरायेदार हैं वह बहुत जबर्दस्त लोग हैं और बहुत से ऐसे हैं कि जो अच्छी-अच्छी जगहों पर काम करते हैं और हर तरीके से वह उन पर दबाव डाल सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यह लैण्डलार्ड बहुत गरीब हैं और बहुत से कर्जदार हैं। उनकी सहूलियत के लिये उनके ऊपर भी रहम करना चाहिये, क्योंकि वह भी भारतवर्ष की प्रजा हैं। वही पुराना ख्याल करके कि यह लैण्डलार्ड हैं इस नीति को अपनाना उचित नहीं मालूम होता है। दूसरी बात यह है कि शायद कांस्टीट्यूशन के मुताल्लिक भी लोगों को कुछ भूल है। हमारा संविधान प्रापर्टी को गारंटी करता है, जबकि यह कंट्रोल ऐक्ट तो चंद रोजा है। कहा यह जाता है कि किरायेदार परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि किरायेदार जबर्दस्त पड़ रहे हैं और मकानदार दबे हुए हैं। उनकी आवाज भी सुनायी नहीं देती। तो ऐसी हालत में जबकि मालिक मकान मकरूज है, उसका एक मात्र सहारा मकान ही है तो उसको यह सहूलियत दिया जाना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही केवल एक मालिक नहीं हुआ करता। वहां और भी अधिकारी होते हैं, लोगों की सिफारिशें होती हैं। अगर यह कर दिया जायगा तो लैन्ड लार्ड की कुछ बचत हो जायगी और वह कुछ खर्च करके फैसला तो हासिल कर सकेगा, ताकि उसको आइन्दा अच्छी कीमत मिल सकेगी।

श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने सदन के सामने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं मेरे भाई पद्मनाथ सिंह जी ने सदन के सामने बताया कि कानून से कोई बाधा नहीं होती, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जरूर बाधा होती है। उन्होंने कहा कि इस हालत में ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट लागू होता है लेकिन वह उन हालतों में लागू होता है जबकि मकानों के ऊपर बार होता है, लेकिन माननीय वीरेन्द्रशाह जी का संशोधन यह है कि अगर कोई मकान मालिक चाहता है कि अपने कर्जे को चुकाने के लिये वह मकान बेचे तो उसके बेंचने में बाधा नहीं होनी चाहिये। बेंचने में बेशक कोई कानूनी बाधा तो नहीं है। लेकिन अगर कोई मकान मालिक अपना मकान बेचना चाहता है और उसकी कीमत २० हजार मिल सकती है तो जरूर उसको २-३ हजार रुपया कम मिलेगी क्योंकि हर खरीदने वाला यह चाहता है कि उसको कब्जा मिलना चाहिये लेकिन मौजूदा बेकानून के हिसाब से कब्जा नहीं मिलता। क्रियात्मक रूप यह है कि जो किरायेदार उसमें होता है उसको १-२ हजार रुपया मिल जाता है। नतीजा यह होता है कि मकान की कीमत में से वह कम हो जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसी हालत में मेरा निवेदन यह है कि जो संशोधन माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने प्रस्तुत किया है वह उचित है। जहां तक इस बात का सवाल है कि किरायेदारों को परेशानी होगी और लोग नाजायज तरीके से बेच देंगे, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा क्योंकि जिस प्रकार से मकान मालिक अगर किसी अदालत में दावा करता है तो सब बातें जांच कर ली जाती हैं उसी प्रकार यह भी जांच हो सकती है कि उसको बेचने की गरज है या नहीं। इससे किरायेदार को कोई मुसीबत नहीं होगी बल्कि मकानदारों की मुसीबत कुछ कम हो जायगी।

†श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेन्द्रशाह के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सज्जनों ने जो बातें कहीं वहां पर लैन्डलार्ड का प्रयोग राजा साहब ने जिस मंशा से किया था, उस मंशा के अलावा और भी कई अर्थ पहनाये गये। राजा साहब ने अपने भाषण में लैण्डलार्ड को बताते हुए यह बतलाया था कि उन भूतपूर्व जमींदारों की परिस्थिति जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् खराब हो गयी।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, मैं परसनल एक्सप्लेनेशन दे दूं।

श्री अध्यक्ष---पहले आप उनको कह लेने दें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---उन भूतपूर्व जमींदारों के ऊपर बहुत से कर्जे हैं और अगर वे कर्जे अदा करना चाहते हैं तो उनके जो मकान हैं, उनको यदि वे बेचना चाहते हैं तो वे उसकी कीमत ज्यादा नहीं पा सकते हैं यदि उसमें किरायेदार हों। इसलिये उन्होंने अपने संशोधन का मंशा यह बतलाया कि अगर वे बेचना चाहें तो इन मकानों को खाली करा लिया जाय, तब उनको उचित दाम मिल सकता है। यही उन्होंने अपने भाषण में कहा था। मैं एक बात इस सम्बन्ध में बतला दूं कि जो भूतपूर्व जमींदारों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि वे अधिकतर देहातों में रहते थे उन लोगों के मकान यदि शहर में थे तो बहुत कम और वे कभी-कभी मुकदमेबाजी के सिलसिले में या और किसी खास कार्य के लिये या मनबहलाव के लिये शहरों में आते थे तो उसमें रहा करते थे। उनको कोई आवश्यकता सही तौर पर रहा नहीं करती थी, इसलिये उन्होंने अपने मकानों को किराये पर उठा दिया। कर्जे जो बहुत से हैं उसके तो वे बहुत पुराने मरीज हैं। कोई आज से नहीं, बल्कि यदि इतिहास को उठा कर देखा जाय तो मालूम होगा कि वे लोग बहुत दिनों से कर्जे से लदे हुए हैं। और अंग्रेजों के जमाने में उनको कर्जे से बचाने के लिये बहुत से कानून बनाये गये लेकिन फिर भी उनकी हालत सुधरी नहीं। इसलिये कर्जा अदा करने के लिये तो उनको कोई और जरिया ढूंढ़ना चाहिये, जिससे वे उसकी अदायगी कर सकें। अगर उनको यह हथियार दे दिया जाय तो मेरा विश्वास है कि उसका वे दुरुपयोग करेंगे और कल ही से फिर अदालतों में झूठे मुकदमे इस किस्म के दावा होने लगेंगे और नतीजा यह होगा कि जो बेचारे गरीब किरायेदार हैं वे मकानों से निकाल दिये जायेंगे और उनकी दुर्दशा होने लगेगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो उसको अर्थ पहनाया वह उस वक्त तो राजा साहब के दिमाग में भी नहीं रहा होगा। यह बात सही है यदि यह संशोधन पास हो जाता है तो वही परिस्थिति होगी जिसका कि जिक्र हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने किया। मेरे मित्र श्रीमान् मित्तल जी ने एक और ही दृष्टिकोण अपना रखा। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मित्तल जी ने जो दृष्टिकोण रखा है वह दृष्टिकोण उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में रखा है जो कि शहरों के छोटे-छोटे मकानों के मालिक हैं। असल में राजा साहब का जो मंशा था उससे भी आप आगे बढ़ गये हैं।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवनाथ काटजू---ए प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन सर। माननीय सदस्य ने माननीय वीरेन्द्र शाह के लिये राजा शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन द्वारा राजा की उपाधि स्वीकृत मानी गयी है ?

श्री अध्यक्ष---अगर कोई आपत्ति माननीय वीरेन्द्र शाह जी को नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संशोधन में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि वे कोई खिताब तो ले नहीं रहे हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी को जानता हूं, राजा के नाम से ही मैंने उनको पहले जाना। इसी तरह की प्रथा है कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, इसलिएमैंने इसका प्रयोग किया। और मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मित्तल जी ने जिस बात को कहा वह मंशा राजा साहब की नहीं थी इसलिये मित्तल जी के संशोधन पर इस तरह से जोर देना मुनासिब नहीं मालूम होता। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विषय में जो भाषण हुए उन को मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं सब से पहले अपने माननीय मित्र मित्तल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे संशोधन की उपयोगिता को समझते हुए उस को स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखा और हमारी जो मंशा थी उसको व्यक्त किया। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो कहा कि संशोधन रखते वक्त हमने उसकी हानि जो होगी उस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं उनसे कहूंगा कि उनको नहीं मालूम है कि अगर यह पास नहीं हुआ तो आप कितना बड़ा अन्याय करेंगे उन लोगों के साथ जो लोग कर्जे से डूबे हैं और मकान भी उनके अगर कम कीमत में चले जायेंगे तो उनका क्या हाल होगा इसकी आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको बतलाऊंगा कि जिन्होंने ५,००० के ७५ हजार लिखा रखे हैं और ऐसे-ऐसे बैंक हैं कि १३ लाख के ४० लाख रुपया अदा कर चुके हैं लोग और फिर भी कुछ अदा नहीं हुआ है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन वह आपके ही प्रदेश के बड़े-बड़े बैंक हैं और आप देखेंगे कि उनको सरकार जो मुआविजा देगी या रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देगी वह सब देने पर और घर का तमाम सामान देने पर भी उन का कर्जा अदा न होगा, इसलिये मैं बतलाऊंगा कि मेरा सिर्फ यही मंशा है कि ऐसे पीड़ित लोग अगर दरख्वास्त दें तो उनको बेदखली की इजाजत दी जाय। ताकि वह उनको अच्छी और मुनासिब कीमत पर बेंच कर कर्जा अदा कर सकें। जो सुझाव काटजू साहब ने मेरे संशोधन में दिया है, मैं उसको भी मानने को तैयार हूं अगर मंत्री जी आश्वासन दें कि कोई दरख्वास्त देगा कि मार्केट रेट पर उस की जायदाद को लाने के लिये डी०डी० एम० से इजाजत दिलायी जायगी। इसलिये कोई चाहे बड़ा रहा हो, लेकिन जो भी प्रांत में रहता है उस के हित को हमें देखना चाहिये। थोड़े आदमियों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिये और हर एक के साथ, चाहे वह कोई हो, न्याय होना चाहिये। अगर इतना करने से उसका घर और उसकी जायदाद कुछ बच जाती है तो क्या वजह है कि सरकार उसके साथ न्याय न करे, जो इस तरह से

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परेशान हैं और कर्जे से लदे हैं। मैं आपको बतला दूं कि जिन मकानों का पजेशन बिकने के वक्त मिलता है उनकी कीमत दूसरी होती है और जिनका नहीं मिलता उनकी दूसरी होती है। तो मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें क्या आपत्ति है। हमारे संशोधन को माननीय काटजू साहब ने और आपकी तरफ के सदस्य श्री मित्तल ने सपोर्ट किया है। इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है और जो संशोधन हमारे मकसद को समझ कर सरकार इसके मुताल्लिक समझे इसमें संशोधन कर ले, रूल में रख लें, लोगों के साथ न्याय होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह इसको स्वीकार कर लें।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को वीरेन्द्र शाह जी ने उपस्थित किया है और जिस रूप में उपस्थित किया है मुझे वह स्वीकार नहीं है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के संशोधन पर और इस प्रकार की दिक्कतों पर, जिनका जिक्र अभी राजा वीरेन्द्र शाह जी ने किया, हमने स्वयं विचार किया था। परन्तु यह समझकर और इस डर से कि इस प्रकार की व्यवस्था का मकान मालिक काफी दुरुपयोग कर सकते हैं इसे सम्मिलित नहीं किया गया, मैं यह बात वीरेन्द्र शाह जी को बता देना चाहता हूं कि कभी-कभी ऐसे एक-आध बोनाफाइडो केस अवश्य आ जाते हैं जिनमें सरकार को स्वयं दिक्कत महसूस होती है और वह यह समझती है कि मकान मालिक को मकान का पजेशन दिला देना न्यायोचित होगा। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के मामले सरकार के सामने आयेंगे तो सरकार जिलाधीशों को उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये कहेगी यों भी सरकार को विश्वास है कि जिलाधीश इस प्रकार के जिनुइन केसेज का अवश्य ध्यान रखेंगे।

मैं इस आश्वासन के साथ वीरेन्द्र शाह जी से नम्रता से निवेदन करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जोरावर वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (g) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (h), (i), (j) और (k) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(*h*) If the tenant is a habitual defaulter and pays rent on notice.

(*i*) That the accommodation is an old one and the owner requires it to be pulled down for reconstruction.

(*j*) If the tenant runs away by mere locking up his premises, for a period of more than one month without informing the owner and Rent Control and Eviction Officer in writing about his whereabouts, the Rent Control and Eviction Officer may open the lock and the goods found in the premises be auctioned and their sale-proceed to be appropriated towards the arrears of rent due and surplus, if any, to be deposited with him for payment to the tenant absconding.

(*k*) If the tenant allows any person whether his relation, guest or any other person for any consideration whatsoever for more than fifteen days without any allotment order of Rent Control and Eviction Officer, such person to be treated as Trespasser liable to eviction and conviction of the provision of this Act"

[श्री जोरावर वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखा जाता है कि जब किरायेदार मकान मालिक को परेशान करना चाहता है तो एक पालिसी अख्तियार कर लेता है कि उसका जो रेन्ट होता है वह नहीं देता है। यद्यपि हमारा जो ३ (ए) है उसमें प्राविजन है कि एक महीने के अन्दर अगर किराया जमा नहीं करता है तो वह इस प्रकार का मुकद्मा अदालत में कर सकता है। लेकिन यह प्राविजन नहीं है, इसलिये वह बराबर इस पालिसी को अख्तियार करता है कि बिना नोटिस रेंट नहीं देता है। तो ऐसी हालत में लैण्डलार्ड क्या करेगा। इसलिये मैंने (h) संशोधन रखा है ताकि जो मकान में किराये पर रहते हैं तो उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि उनको हर महीने किराया दे देना चाहिये। हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा मौका आ पड़े कि हर महीने किराया न अदा हो सके तो यह कभी-कभी हो सकता है कि वह न किराया अदा करे, लेकिन कई किरायेदार इस प्रकार का रवैया अख्तियार कर लेते हैं कि वह कई महीने तक रेन्ट नहीं देते हैं और जब तक उनके ऊपर नोटिस न सर्व हो जाय या जब तक वह मजबूर नहीं हो जाते हैं तब तक रेन्ट नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो दूसरा (i) है वह यह है कि बहुत से मकान पुराने हो जाते हैं। मालिक मकान चाहता है कि उसको बनवाये। लेकिन आपस के कहने सुनने से भी किरायेदार मकान को खाली नहीं करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में मकान मालिक जो है वह नहीं बनवा पाता और उसकी जो प्रापर्टी है वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। मुझे स्वयं अनुभव है, इस बात का। जब मैं कानपुर में रहता था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसकी छत टूट गयी थी, उसकी कड़ियां गिर गयी थीं और वह मकान बर्बाद हो रहा था। मकान मालिक ने कई बार प्रार्थना की और कहा कि मैं तुम्हीं को मकान दूंगा, केवल मुझे बनवाने की मोहलत दे दो। लेकिन जब तक मकान मालिक ने उस किरायेदार को इस बात के लिये मजबूर नहीं कर दिया कि उसको मकान छोड़ना पड़े, तब तक उसने मकान नहीं छोड़ा अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहता हूं कि मकान मालिक अगर मकान बनवाने के लिये खाली करवाना चाहे तो उसको यह अधिकार होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे हैं कि जिनको मकानों की विशेष आवश्यकता नहीं है लेकिन सिर्फ इसलिये वह मकान में ताला डाले हुए हैं कि ताकि वह मकान किसी दूसरे को न उठ जाय और जब उन्हें जरूरत हो तो वह आकर उस मकान में रहने लग जायं। मकान मालिक को इस बात का पता नहीं रहता है। जब वह किराया लेने जाता है तो उसे इस बात का पता ही नहीं चलता है कि वह कहां है। तो अगर इस प्रकार का कोई टेनेंट है कि वह एक महीने तक अपने मकान को बन्द रखे है और इसकी लिखित इन्फार्मेशन मकान मालिक को या रेण्ट कंट्रोल ऐंड इविक्शन आफिसर को नहीं दी है कि वह क्यों बाहर जा रहा है और कब तक आवेगा तो मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में यह अधिकार होना चाहिये कि रेंट कंट्रोल ऐंड इविक्शन आफिसर उस मकान को खोल सके और उसकी जो प्रापर्टी है उसको अपने पास वह रख सके और वह भागा हुआ आदमी जब आ जाय तो उसको वह प्रापर्टी दे दी जाय। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रायः होता है कि लोग मकान मालिक को परेशान करने के लिये ऐसा करते हैं कि कई आदमी जब मकान में रहते हैं तो जब वह भागना चाहते हैं तो किसी को अपना रिश्तेदार बनाकर और किसी को अपना मेहमान बनाकर मकान में रख लेते हैं और इस प्रकार से उसको अपना पार्टनर बनाकर के अपने मकान में छोड़ करके चले जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो तो वह कहते हैं कि भाई मैं तो पार्टनर हूं और इसमें बहुत दिनों से रहता हूं। तो इसलिये यह कायदा कर दिया जाय कि १५ दिन के बाद अगर इस प्रकार का कोई आदमी रहता है, जो कि उसमें खुद किरायेदार के नाम से नहीं है और रिश्तेदार के या मेहमान के नाम से रहता है तो उस आदमी के खिलाफ रेंट कंट्रोल इविक्शन आफिसर कार्यवाही कर सके।

अध्यक्ष महोदय, यह बातें मैंने इसलिये रखी हैं कि मकान मालिकों को भी कुछ ऐसी सुविधायें दी जायं ताकि वह मकान बनवा सकें और उनका उचित प्रबन्ध कर सकें और उनकी प्रापर्टी बर्बाद न हो। मैं समझता हूं कि मकान मालिकों की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही किरायेदारों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिये, क्योंकि जो मकान हैं वह राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं और उनका किसी भी तरह दुरुपयोग न होना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इन प्राविजंश को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---माननीय लक्ष्मण राव कदम, आपका भी संशोधन इसी तरह का है।

श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष---अगर आप इसके सपोर्ट में भाषण देना चाहते तो दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मण राव कदम---मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री जोरावर वर्मा ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

जो अधिकार इस रेंट कंट्रोल ऐक्ट के मातहत लिये जाते हैं वह करीब-करीब ऐसे हैं कि एक मंथली पेमेंट पर टेनेंट के यहां यूसूफ्रकटअरी (usufructuary) मार्गेज हो जाता है और उसका राइट आफ रिडैम्पशन कलेक्टर के पास चला जाता है। केवल मिल्कियत में नाम हाउस ओनर का जाता है यदि थोड़ा सा रिलीफ उनको मिल जाय तो मैं समझता हूं कि उचित ही होगा। इसमें कुछ कंडीशन्स दी हुयी हैं जिनमें उसको न्यायपूर्वक रिलीफ मिल सकता है और वह उनको मिलना चाहिये। उसके सेकेण्ड क्लाज में यह है कि:

"That the accommodation is an old one and the owner requires it to be pulled down for reconstruction."

यानी मकान खराब हालत में है। मुझे एक केस की जानकारी है जिसमें म्युनिसिपैलिटी ने एक सज्जन को नोटिस दिया कि आपका मकान डेंजरस कंडीशन में है, इसलिये या तो आप उसको फौरन बनवाइये या फिर वह गिरवा दिया जायगा। मकान मालिक ने चुनांचे टी०आर० ओ० को दरख्वास्त दी कि मकान डेंजरेस कंडीशन में है लिहाजा खाली करा दिया जाय ताकि वह बनवाया जा सके। टी० आर० ओ० ने कई महीने बाद फैसला दिया, जो नाम कमिटल सा है, यह माना कि मकान डेंजरेस कंडीशन में है लेकिन बरसात का मौसम है और किरायेदार को दूसरी जगह ढूंढने में मुश्किल होगी, इसलिये उसके खाली करने का हुक्म नहीं दिया। बरसात भी निकल गयी लेकिन मकान खाली नहीं हुआ। कमिश्नर के यहां अपील की गयी लेकिन वहां से वह रद्द हो गयी। मामला गवर्नमेंट तक आया। जब गवर्नमेंट ने पूछा तो रिपोर्ट आती है कि पैच रिपेयर्स से काम हो जायगा। जिसके माने हैं कि मकान खाली नहीं होगा चाहे उसका रिपेयर्स में फिर से नया मकान बनाने के बराबर खर्चा हो जाय, मालिक चाहता है कि नये तौर से मकान को बनाये तो नहीं बनवा सकता है। इस तरह की घटनायें मैं समझता हूं कि अक्सर होती रहती हैं और इसमें जो किरायेदार हैं वह बेजा फायदा उठाते हैं। जैसा कि मेरे मित्र मीतल जी ने कहा कि पगड़ी केवल लैन्ड लार्ड ही नहीं लेते बल्कि टेनेन्ट्स भी लेते हैं। जब पगड़ी टैनेन्ट्स को मिल जाती है तो मकान खाली हो जाता है और तभी उसका सेल हो जाता है। इसलिये इसको भी रोकने का प्रबन्ध होना चाहिये।

दूसरी मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिसमें एक एकोमेडेशन लीज पर थी। जितनी एकोमोडेशन थी उसका आधे के करीब किराये पर उठे हुए हैं लेकिन इस तरह से उठी हुयी हैं कि कानून से उसका साबित किया जाना कठिन है आप किरायेदार को

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

निकाल नहीं सकते । कहीं नोटिस सर्व नहीं होता और कहीं होता है तो कह दिया जाता है कि मकान मालिक की दूकान की ब्रांच खोलने की डिमांड जैनुइन नहीं है किरायेदार जहां रहता है वहां के अधिकारियों को प्रभावित तो कर ही सकता है । मकान मालिक दूसरी जगह रहता है वह दुकान खोलना चाहता है लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है कि अपनी जरूरत की वास्तविकता सिद्ध कर सके । अगर बहुत दौड़ धूप के बाद सूट फाइल करने की इजाजत मिल भी गयी तो अपील में वह खारिज हो जाती है । कोर्ट में इस प्रकार अपने क्लेम को साबित करने का अवसर उसे नहीं मिल पाता। यह ऐसी बातें हैं जो अक्सर होती रहती है । मैं समझता हूं कि हमारी दृष्टि संकुचित नहीं होनी चाहिये । और हमें न्याय करना चाहिये । जहां तक बेजा फायदा लैन्ड लार्ड टेनेन्ट्स की मजबूरी से उठाते हैं उसे रोकना चाहिये । मैं समझता हूं कि इसके लिये काफी प्राविजन इस ऐक्ट में है जिनके द्वारा यह किया जा सकता है । लेकिन दूसरी तरफ भी निगाह रखनी चाहिये कि ऐसा न हो कि टेनेन्ट्स भी बेजा फायदा उठाने लगें । इसलिये जो इस संशोधन में कंडीशंस दी हुयी हैं उनके मातहत अगर परमिशन वगैरा का सवाल न रहे तो बहुत अच्छा होगा और मकान मालिक अदालत में जाकर न्याय पा सकेगा ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन, श्री जोरावर वर्मा जी का जो संशोधन उपस्थित है, मैं उसका विरोध करूंगा। यहां पर, श्रीमन्, सदन में इस समय एक ऐसा समा बंध गया है जिससे ऐसा लगता है कि लैंडलार्डस् को सुभीता मिलना ही न्याय है और जो टेनेंट है बेचारा, वह हर तरीके से लैंडलार्ड को परेशान करता है। यद्यपि मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि इस सदन में बहुत बड़ा विशाल बहुमत इस संशोधन के विपक्ष में होगा, लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि जितनी बात कही जा रही है, लैंडलार्ड के पक्ष में कही जा रही है तो मैं बोलने पर मजबूर हुआ। लैंडलार्ड के टेक्नीकल अर्थ में मैं नहीं जाना चाहता, उसका अर्थ यह है कि शहर में रहने वाले, टाउन एरियाज में रहने वाले वे लोग जिनके पास मकान हैं और जिनके मकान में बिना घर बार वाले किराये पर रहते हैं, वह लैंडलार्ड कहे जा रहे हैं। इस संशोधन के पक्ष में किसी भी इस भवन के सम्मानित सदस्य ने उस किरायेदार की मुसीबत की चर्चा नहीं की कि आखिर उस पर क्या आफत पड़ी है, वह किस तरह से रहता है, किस तरह से उससे किराया वसूल होता है, मालिक मकान किस तरह से उस घर को गिराने के लिये तैयार रहते हैं और चाहते हैं कि घर गिर जाय । अगर इस चीज का माननीय सदस्य जोरावर वर्मा ख्याल करेंगे तो उनकी समझ में आ जायगा कि यह निरर्थक संशोधन है। मैं तो बराबर उनके संशोधन को देखता रहा हूं। इसी सदन में और माननीय जोरावर वर्मा बराबर उनका पक्ष लेते हैं जो असहाय हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और दरिद्र अवस्था में हैं । अब उनके दिमाग में कहां से यह बात आ गयी कि जो किरायेदार है वह असहाय अवस्था में नहीं है और लैंडलार्ड असहाय अवस्था में है ? इसलिये मैं परेशान हुआ ? और उनके सामने विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग लैंडलार्ड और किरायेदार , इन शब्दों को छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष—अभी आप और समय लेंगे ?

श्री रामनारायण—जी हां ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही शुरू हुई ।)

अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं उस समय कह रहा था कि जोरावर वर्मा जी का जो संशोधन है यह येन केन प्रकारेण जो लैंडलार्ड कहे जा रहे हैं उन्हीं के हित का समर्थक हैं, यानी शहरों में, बाजारों में, जो बड़े-बड़े मकान मालिक हैं, जिनके मकान लोग किराये पर ले कर रहते हैं तो किरायेदारों के पक्ष में नहीं, बल्कि उन्हीं मालिकों के पक्ष में इनका संशोधन जाता है। जब यहां मैं किरायेदार और मालिक की बात कहता हूं तो ऐसा किसी को नहीं समझ लेना चाहिये कि यदि मालिक का कोई उचित पक्ष है तो उसका भी मैं विरोधी हूं, ऐसी बात नहीं है। मालिक का अगर कोई उचित पक्ष है तो उसका भी समर्थन किया जा सकता है। मालिक का अगर उचित पक्ष और किरायेदार के उचित पक्ष की नाप कैसे हो इसके लिये हमको देखना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिना घर बार के हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सड़क की पटरियों पर सोते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रेल के डिब्बों में ही सो लेते हैं। तो उधर तो हमारा ख्याल नहीं जाता, बड़ी भारी मुसीबत आ जाती है हमारे इन मित्रों के सामने कि कोई जमींदार साहब हैं, उनको अगर कोई मुसीबत है, एक घर है, उनका क़र्ज़ा देने के लिये किरायेदारों को निकाल कर उसको बेंच दें या उनको कोई जेनुइन नीड (उचित आवश्यकता) है तो उसके लिये किरायेदारों को निकाल दें और जेनुइन नीड क्या है इसके लिये अभी तक सदन में कोई सफाई नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—मैं यह कहना चाहता था कि जो मेरा संशोधन है उस पर आप बोल रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं पुराने संशोधन की।

श्री राजनारायण—उसी पर आ रहे हैं। तो इन बातों को देखा जाय तो बात समझ में आ जायगी कि जोरावर वर्मा जी का संशोधन किसी तरह से मान्य नहीं होना चाहिये। अब मैं जोरावर वर्मा जी का ही संशोधन पढ़ देना चाहता हूं ताकि वह खुद समझें कि उनका संशोधन क्या है और उसको कितने तरीक़े से इंटरप्रेट भाष्य किया जा सकता है :—

"(*h*) If the tenant is a habitual defaulter and pays rent on notice.

(*i*) That the accommodation is an old one and the owner requires it to be pulled down for reconstruction.

अब वह मकान गिराने लायक है या नहीं इसको कौन देखेगा, इसके बारे में संशोधक महोदय की बात को बहुत ध्यान से मैंने सुना लेकिन उन्होंने कोई बात सफ़ाई से नहीं कही। अब जरा उनका तीसरा संशोधन देखा जाय :—

"(*j*) If the tenant runs away by mere locking up his premises for a period of more than one month without informing the owner and Rent Control and eviction Officer in writing about his whereabouts, the Rent Control and Eviction Officer may open the lock and the goods found in the premises be auctioned and their sale-proceeds to be appropriated towards the arrears of rent due and surplus, if any, to be deposited with him for payment to the tenant absconding."

कितना बड़ा अधिकार है जरा इसको अनालिसिस विश्लेषण की जाय। कहते हैं कि अगर एक महीने तक बिना सूचना दिये हुये कहीं वह चला जाय तो जितना सामान हो उसके घर में वह सब ले लिया जाय, नीलाम कर दिया जाय और जितना मकान मालिक का किराया हो काट लिया जाय। सरप्लस भी ले लिया जाय।

चौथा है—

'If the tenant allows any person whether his relation, guest or any other person for any consideration whatsoever for more than fifteen days without any allotment order of Rent Control and Eviction Officer, such person to be treated as Trespasser liable to eviction and conviction of the provision of this Act."

[श्री राजनारायण]

अब जरा यह देखा जाय तो जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पास हुआ और उसमें लगान वसूली के लिये जितना अधिकार सरकार के हाथ में नहीं देना चाहते, न ही उससे कहीं अधिक मकान मालिक को दे देना चाहते हैं कि अगर किसी कारणवश किरायेदार चला गया तो वहां का जितना सामान है सब नीलाम कर दिया जायगा, सब ले लिया जायगा, और यह भी पता नहीं वह सामान कैसे लिया जाय, कैसे क्या हो। कोई व्यवस्था ही इसमें नहीं है। यह संशोधन, मैं कहना चाहता हूं कि कोई मकान मालिक भी जितना अपने हकों की हिफ़ाजत नहीं कर सकता और न चाहता है कि इस रास्ते पर जा कर उसके हकों की हिफाजत की जाय उससे ज्यादा यह संशोधन मकान मालिक की हिफाजत करना चाहता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि यह संशोधन किस तरह से भी पास मत होने दें। सरकार की ओर से जो कमेटी बैठी थी जिसमें कि हमारे मित्र बनारसी दास जी थे उनकी जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि सरकार की भी क्या मंशा है। सरकार जितनी दूर तक जाना चाहती है वही हम काफी समझते हैं, मकान मालिकों के पक्ष में। हम तो कई बार सदन में कह चुके हैं कि शहरों की जमींदारी क्यों तोड़ी नहीं जाती? बहुत सी परती आदि जो पड़ी है उस पर मकान बनाने के लिये कोई सोसाइटी क्यों नहीं बनायी गयी, जिससे मकान और बन सकें। उसके बाद जो आंकड़े सरकार ने दिये हैं, उस दिन नारायण दत्त जी ने साफ साफ कह दिया कि हर साल मकान बनने की संख्या कम होती गयी है। जितने १९५०-५१ में मकान बने उतने १९५२-५३ में नहीं बने। हर साल कुछ न कुछ संख्या बड़े बड़े शहरों में बहुत कम होती चली गयी है। तो यह तो दिक्कतें हैं। इसके बाद भी हमारे संशोधक महोदय कहते हैं कि किरायेदारों पर यह और मुसीबत लाद दी जाय जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। रेंट कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ५२-५३ की, उसके पेज २५ की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है :—

"Under the circumstances, we are in favour of curtailing litigation, providing effective remedy to the landlord to get his house vacated, when he genuinely needs it, and also helping the tenant thus evicted, from being thrown out helplessly on the street. If the District Magistrate is made the final authority for granting permission to evict after providing alternative accommodation to the tenant".

यानी सरकार ने जो इच्छा व्यक्त की वह यह कि किसी किरायेदार को निकालना जरूरी समझा जाय तो किरायेदार के रहने की पहले व्यवस्था करा दी जाय, उसके रहने का इन्तजाम हो जाय तब जाकर जिस मकान में वह रहता है उस मकान से उसको हटाया जा सकता है। मगर यह संशोधन तो इतनी दूर तक ले जाया जाता है, इतनी आफत का पहाड़ किरायेदारों पर इसके जरिये लादा गया है कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह संशोधन कैसे आया। मैं अपने मित्र श्री जोरावर वर्मा की बड़ी क़द्र करता हूं, जिनको मैं समझा कि प्रगतिशील विचारों के हैं परन्तु समझ में नहीं आता कि वह इस दलदल में कैसे फंस गये। कैसे उनके दिमाग़ में इस तरह का संशोधन आया। किसी मकान मालिक एसोसियेशन की तरफ से अगर कोई सम्मानित सदस्य गैलरी में बैठे हों तो वह सुन लें, क्योंकि हम अपने विचारों को छिपाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोग समझ जायं कि इसलिये सरकार खड़ी है और किस लिये राजनारायण खड़ा है। इसलिये मैं सफ़ाई के साथ कहना चाहता हूं कि इस समय जो परेशान हैं, मुसीबतजदा हैं, असहाय हैं, पहले उनके रहने का इंतजाम होना चाहिये। इस कमेटी की रिपोर्ट पर यद्यपि उस पर सामान्य वादविवाद नहीं हुआ, लेकिन हमको कई जगहों पर बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है और बनारसी-दास जी के जहां तहां संकेतों से जो ध्वनि निकलती है उससे यही प्रकट होता है कि वे भी मकान मालिकों के बारे में चिन्तित दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ समय के लिये उनके बारे में भी चिन्तन करें जो सही

मानी में दौलत पैदा करते हैं, शहरों में या देहातों में हैं क्योंकि उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। प्रस्तावक महोदय बतायेंगे कि अगर बनारस में किसी आदमी के दस मकान हैं और जिनका किराया १० हजार रुपये महीना आता है और उनमें से अगर ४ मकान का किराया नहीं आता तो क्या इस संशोधन से यह मतलब नहीं निकाला जायगा कि उन चारों मकानों के किरायेदारों को जो बिना सूचना दिये हुये कहीं चले गये हैं बगैर किराया दिये हुए मकान बन्द करके, मकान मालिक मकान को खुलवा कर उनका सामान नीलाम करा देगा और अपना किराया वसूल कर लेगा : क्या इसमें कोई जस्टिफिकेशन है, कोई इक्विटी है। मगर यह सरकार इसको उचित नहीं समझती। सरकार उतनी दूर तक जाने के लिये तैयार नहीं है, जितनी दूर तक इस पर विरोधी दल के कहलाने वाले लोग चाहते हैं कि सरकार उतनी दूर तक जाय। अब हम सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि इसके ऊपर काफी प्रकाश डाल चुके हैं और मेरा अनुरोध यह है कि ऐसे संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिये क्यों कि यह किरायेदारों के पक्ष को हानि पहुंचाने वाला है और किरायेदारों के ऊपर आपत्ति लाने वाला है और हम लोग इस संशोधन को कतई स्वीकार नहीं कर सकते। हां, ऐसा संशोधन सरकार को मानना चाहिये और हम भी उसका समर्थन करने के लिये उद्यत होंगे और सही माने में उसका समर्थन होना भी चाहिये कि जो आज परेशान हैं उनकी मुसीबत कम हो और उनकी परेशानी कम हो और किसी न किसी तरह से उन बड़े महाजन लोगों की आमदनी पर अंकुश लगना चाहिये और उस अंकुश से उन पर नियंत्रण होना चाहिये। अगर इस प्रकार का कोई संशोधन आ जाय कि कोई मकान मालिक शहर में एक हजार रुपये से अधिक महीना आमदनी नहीं कर सकेगा तो यह बहुत अच्छा संशोधन होगा और हम उसका समर्थन करेंगे। उससे अधिक जो उसकी आमदनी होगी उसको सामाजिक कल्याण में लगाया जाय। ऐसा संशोधन आये तो सदन में मान्य हो सकता है। मगर सरकार यह नहीं चाहती है कि किरायेदारों को पीछे मकान मालिकों को नाराज किया जाय। वह तो ऐसे संशोधन करना चाहती है कि अगर कोई किरायेदार नोटिस मिलने पर किराया देता हो तो उसका सामान नीलाम बिना नोटिस के कर दिया जाय और आप उसका सामान सम्भाल लें। ऐसे संशोधन के लिये तो सरकार तैयार हो सकती है, मगर जिसमें समाज का कल्याण हो वह काम करने के लिये सरकार हिचकती है। मैं अन्त में इतना ही निवेदन करूंगा कि इस सदन में इस प्रकार के संशोधन का चर्चा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से यह आशा करता हूं कि वह स्वयं उठ कर कह देंगे कि मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं। ऐसे संशोधन को इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में नहीं आना चाहिये। इतना कह कर मैं अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस लें लें।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। अगर्चे हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस संशोधन में कई बातें ऐसी हैं जो जरूरी हैं, लेकिन उन जरूरी बातों के होते हुये भी मैं यह नहीं समझता हूं कि इस संशोधन को जिस शक्ल में रखा गया उसी शक्ल में ही पास हो जाय। इस संशोधन में चार चीजें हैं। सब से पहली बात यह है कि अगर कोई किरायेदार हमेशा ही नोटिस देने पर किराया नहीं देता है तो ऐसी सूरत में उसे निकाल दिया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इसको मान लिया गया तो जब कभी कोई नोटिस देगा तो इतना ही पर्याप्त हो जायगा कि किरायेदार मकान से निकाल दिया जाय। रसीद देना या न देना मकान मालिकों की इच्छा पर होता है। आप मान लीजिये कि वह रसीद नहीं देता है। और हमारी जो यह दफा है उसके मुताबिक वह उसको नोटिस देता है और उसे वह बेदखल कर सकता है। एक बार नोटिस देता है दूसरी बार देता है और तीसरी बार देता है यह तो इसमें है नहीं कि कितनी बार नोटिस देने पर खाली करा सकता है तो यह बिलकुल वेग सा है। यह सब रेंट कण्ट्रोलर के डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया गया है कि वह किसी को १, २,४, या ५ दफा में डिफाल्टर मान ले। १ से १,००० तक कुछ भी उसका डिस्क्रीशन हो सकता है यह एक कानून के लिये ठीक नहीं है। यह एक ऐसी वेग चीज है, जो ला में नहीं होनी चाहिये। जिस हालत में यह है उस हालत में यह कभी भी सदन को पास नहीं करना चाहिये।

[श्री नौरंगलाल]

दूसरा क्लाज पुरानी इमारतों के बारे में है । उसमें यह है कि जो पुरानी इमारत को गिराना चाहे वह उसको गिरा कर नई बनवा सकता है। अध्यक्ष महोदय, होता यह है कि रेंट कंट्रोलर आफिसर तो इंक्वायरी करने नहीं जाता । इंक्वायरी करने के लिये इंस्पेक्टर जाता है जिसे बड़ी आसानी से लोग खरीद लेते हैं । इस बात को वही तय करेगा कि मकान पुराना है या नहीं। मान लिया कि मकानदार ने उसको कुछ रुपया दे दिया और उसने लिख दिया कि वह पुराना मकान है। तो जो रिपोर्ट इंस्पेक्टर की होगी वही फैसला रेंट कंट्रोलर आफिसर के द्वारा होगा और इस प्रकार हजारों ऐसे आदमी निकाल दिये जायेंगे जिनको नहीं निकलना चाहिये। एक तरफ तो हम इस कानून के द्वारा किरायेदारों को सहूलियत पहुंचाना चाहते हैं दूसरी तरफ ऐसा लूपहोल बना रहे हैं जिससे वे सारी सहूलियतें खत्म हो जाती हैं। अगर सदन ने इस क्लाज को पास कर दिया तो इस ऐक्ट का सारा मकसद ही खत्म हो जायगा।

तीसरा क्लाज भी देखने में बड़ा इन्नोसेंट मालूम होता है लेकिन वह भी बड़ा खतरनाक है। किसी किरायेदार को १ महीने से एक भी दिन ज्यादा हो जाता है तो यह सूरत मकान मालिक के ऐक्शन लेने के लिये पर्याप्त है और वह किरायेदार के खिलाफ ऐक्शन ले सकता है। हो सकता है कि किसी मकान मालिक ने दो चार महीने तक तो बड़ी दोस्ती रक्खी हो और रसीद देता रहा हो। अब उसने देखा कि किरायेदार कहीं मेहमानबाजी में जा रहा है और मकान को ताला लगाकर चला गया है । बस यह इस महीने की रसीद नहीं देता और उसके पीछे सारी गड़बड़ हो जाती है। उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है और यह सब उसके पीछे हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से यह सदन इस प्रकार के क्लाज को पास कर देगा। आज कल जब कि मकानों की बड़ी क़िल्लत है और हर एक किरायेदार अपनी हिफाजत चाहता है तब इस प्रकार के क्लाज का पास हो जाना बड़ा ही खतरनाक है कि एक महीने को कोई बाहर चला जाय और पुलिस द्वारा उसका सामान उसकी गैर मौजूदगी में बाहर फेंक दिया जाय।

इसका जो चौथा भाग है वह भी बहुत हानिकारक है । मान लिया कि किसी का कोई रिश्तेदार आ जाता है और वह १५ दिन तक ठहरा रहता है । उस सूरत में मकानदार कह सकता है कि उससे किराया वसूल किया जा रहा है। अब इस बात को कौन तय करेगा कि उससे किराया लिया जाता है या नहीं। किरायेदार कहेगा कि मैं किराया नहीं लेता हूं और मकानदार कहेगा कि किराया लिया जाता है। अगर इसमें यह होता कि कोई गैर रिश्तेदार ठहरा हुआ हो तब तो कुछ हद तक बात ठीक हो सकती है। ऐसा अक्सर होता है कि रिश्तेदार आते हैं और १-१, २-२ महीने तक ठहरते हैं। कोई इम्तहान देने के लिये आता है और किसी काम के लिये आता है। एक तरफ तो मेहमान रह रहा होगा और दूसरी तरफ खाली करने के लिये नोटिस मिल जायगा। इसलिये रिश्तेदार के लिये यह चीज ठीक नहीं है, गैर आदमी होता तो दूसरी बात थी। लेकिन अगर रिश्तेदार के लिये भी यह लागू होता है तो यह तो अन्याय है। इस तरह से अगर यह चारों अंग पास हो जाते हैं तो फिर मकान मालिक हर मेहमान के आने पर नोटिस देकर किरायेदार पर दबाव डाल सकता है और उसको परेशान कर सकता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ये चारों क्लाज जो सदन के सामने प्रस्तुत हैं, ऐसे हैं कि अगर पास हो जाते हैं तो फिर एक यह वेग सा और डिस्क्रिमिनेटरी हो जायगा और इससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिससे लिटिगेशन बढ़ जायगा और किरायेदारों के प्रति इसका बुरी तरह से मिसयूज होगा और जो ऐक्ट का मकसद है वही खफ्त हो जायग.। इसलिये मैं श्री जोरावर वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो आपने प्रस्ताव रखा है यह सही है कि इससे आप थोड़ी बहुत मकान मालिकों की मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जितनी मदद मकान मालिकों की करेंगे उससे दस गुना या बल्कि उससे भी

ज्यादा किरायेदारों का नुकसान हो जायगा। जैसा कि विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण जी ने कहा कि कोई भी संशोधन हमें तब पास करना चाहिये जब हम देख लें कि किसको इससे ज्यादा नुकसान होता है। अगर मकान मालिकों को कम नुकसान पहुंचता हो और किरायेदारों को ज्यादा नुकसान पहुंचता हो तो हर्गिज इसको पास नहीं करना चाहिये। अगर दोनों का बैलेंस बराबर हो तब तो ठीक है, लेकिन मकान मालिकों को फायदा न पहुंचे और किरायेदारों को बहुत नुकसान पहुंचता हो तो इसको कभी भी नहीं पास करना चाहिये।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस समाप्त की जाय।

अधिष्ठाता—आप बैठ जायं।

श्री बनारसी दास—अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन जो श्री जोरावर वर्मा जी ने पेश किया है मैं समझता हूं कि इसका जो पहला खंड है उसकी तो आवश्यकता भी नहीं है। अगर गौर के साथ देखा जाय तो मालूम होगा कि मूल अधिनियम की धारा ३ के अनुसार जिसको कि अभी संशोधित किया गया है ३-ए में इस बात की व्यवस्था है कि यदि कोई टिनेंट लगातार तीन महीने तक किराया न दे तो एक महीने का नोटिस दे करके भी एक बेदखली का आधार हो सकता है। तो इसकी आलरेडी इसमें व्यवस्था है। इसमें जो नोटिस शब्द है वह बड़ा ही भ्रमात्मक है। नोटिस के लिये यह कहना कि किरायेदार हमेशा नोटिस पर किराया देते हैं इसकी वजह से काफी भ्रम है। और जहां तक मकानमालिकों के किरायेदारों से ज्यादा किराया वसूल करने की बात है इससे टिनेंट को बड़ी परेशानी होगी। इसी प्रकार से जो उनका दूसरा संशोधन (आई) है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर वह ओल्ड हो तो रिकंस्ट्रक्शन के लिये उसे खाली करा सकता है। जहां तक ओल्ड का सवाल है ऐसा भी देखने में आया है कि कोई मकान मालिक अपर स्टोरी बनवाना चाहता है इसलिये नीचे के टिनेंट को वह खाली कराना चाहता है या उसके मकान का सिर्फ एक हिस्सा ऐसा है जो गिरने के काबिल है और बाकी इमारत रहने के काबिल है तो काफी लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि टिनेंट निकल जाय। इसलिये इसको स्वीकार करने से जो हमारा अधिनियम है, जिस जरूरत को महसूस करके इसको लाया गया था उसके अन्दर काफी बाधा पड़ती है। इसलिये मुझे खेद है कि वह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तीसरा जो (जे) है, जिसके अन्दर यह है कि अगर कोई टेनेंट अपने मकान में ताला बन्द करके चला जाता है और इसकी शिकायत भी काफी है, जैसे टिनेंट सबलेट कर देते हैं और मकान को बन्द करके चले जाते हैं, लेकिन कठिनाई तो फिर भी उसके अन्दर बराबर रहेगी। अगर एकमात्र उसका जज मकान मालिक बना दिया जाय कि कौन मकान लाक करके चला जाता है तो मैं समझता हूं कि इससे काफी ऐसे जबरदस्ती मकान से बाहर निकाले जा सकते हैं और इससे लिटिगेशंस भी बढ़ जायगा तथा पेचीदगी भी बढ़ जायगी। अगर कोई मकान बन्द करके चला जाता है और उसका किराया अदा करता है और मान लीजिये कि वह किसी दूसरे को किराये पर उठा भी देता है तो सबलेटिंग के आधार पर उसको एजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए बन्द किया गया है तो उसके लिये हम यह नहीं कह सकते कि मकान उठाया गया है। इसी प्रकार से उन्होंने 'के' में रखा है कि अगर कोई किरायेदार १५ दिन से अधिक के लिये किसी रिश्तेदार या गेस्ट को रखता है (अ) बगैर किसी एलाटमेंट के तो उसको ट्रेसपासर ट्रीट किया जाय। जो हमारा सेक्शन ३ है उसमें खुद दिया हुआ है कि—"That the tenant has on or after the 1st day of October, 1946, sublet the whole or any portion of the accommodation without the permission of the landlord."

तो इसके मुताबिक अगर कोई रिलेशन को या गेस्ट को दे देता है तो उसको

[श्री बनारसी दास]

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इजाजत की भी जरूरत नहीं है, वह डायरेक्ट इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि लैंडलार्ड को यह ताक़त दे देना कि वही उस बात का वाहिद जज हो कि कोई मकान उठाया गया है या नहीं तो इससे तो ऐक्ट की जो मंशा है वही खत्म हो जायगी। इसलिये खेद है कि माननीय जोरावर वर्मा जी का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी का भी ऐसा मंशा नहीं है। वह चाहते हैं कि जो वास्तविक शिकायतें हैं कि अगर कोई हेबिचुअल डिफाल्टर है या कोई बुरी हालत में मकान हो गया है और उसका जीर्णोद्धार होना आवश्यक है या किसी ने सब-टेनेण्ट को उठा दिया है तो वह इन सब बातों को दूर करना चाहते थे, लेकिन जो इलाज उन्होंने तजवीज किया है उससे वह समस्या हल नहीं होती बल्कि और कठिनाई बढ़ जाती है। इसलिए आशा है कि वह इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा— अधिष्ठाता महोदय....

श्री नारायण दत्त तिवारी— मैं भी खड़ा था, श्रीमन्...

अधिष्ठाता—I do not see what is the difficulty.

मैंने निवेदन किया कि मेरी आंखों ने आपको देखा नहीं। अब तो मैंने माननीय जोरावर वर्मा को काल अपान कर लिया है।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्.....

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। कभी कभी देखने में आता है कि जब-जब यहां अधिष्ठाता महोदय पीठासीन होते हैं तो उनको संबोधित करते समय अधिष्ठाता महोदय, कहा जाता है। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष स्थान पर कोई भी रहे उसको सभापति या अध्यक्ष ही सम्बोधित करना चाहिये। अभी बम्बई विधान सभा में इस प्रकार की रूलिंग हुयी है।

अधिष्ठाता—इसके बारे में सोचकर कोई रूलिंग दी जायगी, इस समय मैं कोई रूलिंग इस बारे में नहीं दे सकता।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, वास्तव में जो संशोधन मैंने दे रक्खा था उसका सारांश तो माननीय बनारसी दास जी ने समझने की कोशिश की लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी बातें कहीं कि जिनसे मालूम होता है कि उन्होंने मुझे समझने में गलती की। श्री राजनारायण जी ने कहा कि माननीय जोरावर जी तो प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं वह प्रगतिशील विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं और शोषितों और पीड़ितों के लिये भी उनके उद्देश्य हृदय में पीड़ा रहती है। यह जो कुछ उन्होंने कहा वह तो ठीक है और मैं मानता हूं कि जो शोषित और पीड़ित नहीं हैं उनको भी जब लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो मैं समझता हूं कि वह कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि जिस दुख से हम दुखी हैं वह दुख दूसरों को भी दिया जाय यह मुनासिब नहीं है। माननीय नौरंग लाल जी ने कहा कि यह संशोधन मेरा बड़ा वेग है। केवल वेग या सेन्सलेस कह देने से ही तो पूरी व्याख्या नहीं हो जाती उनको बताना चाहिये था कि कौन सी बात इस में ऐसी थी। हरएक का जवाब इस समय मैं देने लगूं तो सदन का बहुत समय लग जायगा और जो वातावरण चल रहा है उसके अनुसार अब मुझे अधिक नहीं कहना चाहिये, लेकिन नेता विरोधी दल के लिये इतना और कह देना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि कुछ मकान मालिक यह कोशिश कर रहे हैं। मैं

उन्हें बता देना चाहता हूं कि वह जितने विरोध में होंगे मैं उससे ज्यादा हूं । लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनके साथ ही अगर कोई अन्याय होता है तो अन्याय को मिटाने के लिया हमें कुछ न कुछ करना चाहिये और वह बातें करनी चाहिये जिसकी राष्ट्रीय हितों के लिये आवश्यकता हो। इन बातों के साथ में अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ के उपखंड ३.....

अधिष्ठाता--आप जिस सिलसिले में खड़े हुए थे अब बोल सकते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जी नहीं, यह दूसरी बात है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

अधिष्ठाता---टेक्नीकली आपने अपना संशोधन तो मूव नहीं किया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं उस उपखंड का विरोध ही कर रहा हूं । निकाले जाने के लिये विरोध ही किया जाता है जहां तक मैं समझता हूं ऐसा ही है। आपकी क्या आज्ञा है ?

अधिष्ठाता--आप मूव कर दीजिये ।

***श्री नारायण दत्त तिवारी**--श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय। श्रीमन् अगर देखा जाय तो बढ़ाये जानेवाला उपखंड इस प्रकार है:

"that the tenant was allowed to occupy the accommodation as a part of his contract of employment under the landlord and his employment has been determined."

श्रीमन्, इस उपखंड की भाषा बहुत ही वेग और बहुत ही असीमित है । इसमें मान लिया जाय कोई भी किरायेदार जिसे सरकारी या गैरसरकारी किसी भी ढंग से किसी मकान किरायेदार के रूप में रखा गया हो उसका अगर ट्रांसफर हो गया हो तो ट्रांसफर लिया जाय कि लखनऊ से बरेली हुआ हो और वहां मकान न मिले, लखनऊ रहने की कोशिश करे और उसके बच्चे पढ़ते हों तो आप श्रीमन्, यह सोचें कि बीच अगस्त या सितम्बर के महीने में ट्रांस्फर हुआ हो तो क्या वह अपने लड़कों का एक साल खराब करे, उसको बरेली न मिले तो बच्चों को सड़क पर सुलाये क्या करे वह। अगर ऐसी पोजीशन किसी टेनेन्ट की हो चाहे वह सरकारी नौकर हो या किसी फैक्ट्री में काम करता हो अगर यह हमने अगर मान लिया तो क्या होगा कि तमाम जिसके सरकारी कर्मचारी जिनका ट्रांस्फर हो सकता है, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी मुसीबत आने वाली है और फिर इसमें किराये देने वाले का कोई सवाल नहीं । ऐसा हो सकता था अगर माननीय मंत्री जी यह कहते कि मकान में फ्री रहता है तो बात थी लेकिन जब कोई किरायेदार किराया देता है और उसका कन्ट्रैक्ट इम्पलायमेंट के ही लिये नहीं, किराये के लिये भी है । तो आपका कण्ट्रैक्ट आफ पेमेण्ट आफ रेंट है, कन्ट्रैक्ट आफ लैटिंग एकोमोडेशन भी है यानी जो अधिकार है मकान में रहने का, उसे छीन रहे हैं । तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इतना सीमित अधिकार रख देना कि जिला मैजिस्ट्रेट इसको मैरिट्स में भी न जाय, ऐसा मैं समझता हूं बहुत गलत है । माननीय बनारसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दास जी की जो रिपोर्ट है उसमें इस सम्बन्ध में कहा गया है । मैं आपका ध्यान पेज २४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय बनारसी दास जी की कमेटी ने कहा है कि:

"Only the District Magistrate who has been made responsible for providing accommodation to people without houses can judge it to an appreciable degree from his personal observation. So he is supposed to grant or withhold permission for filing suit for eviction in the civil court, after carefully weighing the comparative needs of the tenant and landlord in every case and also looking to the overall availability of accommodation in the town. In fact, this is a matter to be decided according to administrative convenience coupled with genuineness of the needs in individual cases. The genuineness of the need of the landlord for requiring his house back is rather a comparative term. It is impossible to lay down any precise rules to adjudge it."

तो लेटिंग के सम्बन्ध में हमारे उत्तर प्रदेश में, लेटिंग पर भी कंट्रोल है । तो लेटिंग के सम्बन्ध में तो हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एथारिटी मानते हैं । उस समय हम कन्ट्रैक्ट आफ इम्पालायमेंट को अहमियत नहीं देते । लेकिन निकालने के समय हम कांट्रैक्ट आफ इम्प्लयमेन्ट को अहमियत देते हैं तो कोई उचित बात नहीं है । लेटिंग करते समय तो हम एलाट करने वाला अधिकारी मानते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एलाटिंग एथारिटी को अलग कर देते हैं, यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अदालत जिस दृष्टिकोण से मामले को देखती है वह बिलकुल दूसरा होता है। जैसे इसी रिपोर्ट में आगे चलकर पेज २४ पर कहा गया है: "In many cases this is just possible that from the Administrative angle it may not be expedient to restore a house to the landlord, but on the otherhand, should the demand of the house-owner be judged by applying judicial mind, it may look quite reasonable. So if purely judicial mind is applied indetermine the demand of the house-owners, it may ultimately lead to large scale evictions from houses. This will obviously create a very difficult position, and to some extent may even defeat the fundamental purpose of control on accommodations. We are, therefore, in favour of placing power of allotment of houses and allowing evictions of tenants from them primarily in one and the same hands".

यह माननीय बनारसी दास जी की कमेटी की रिपोर्ट है । इसमें उनका कहना है अगर हम इसको बिना कोई नियम बनाये हुए या बिना किसी एलाटिंग एथारिटी के जांच किये हुए कोर्ट को यह मामला देते हैं तो कोर्ट डीटेल में तो नहीं जा सकता। मैजिस्ट्रेट घटनास्थल पर जाकर इन्क्वायरी नहीं कर सकता, वह तो अपने कोर्ट में एवीडेंस ले सकता है, लेकिन घटनास्थल पर जाकर कोई ऐसी जांच नहीं कर सकता कि कहां तक इसका इम्प्लायमेंट का कांट्रैक्ट खत्म हो गया है या नहीं हो गया है । फिर जो इसमें शब्द इस्तेमाल किये गये हैं हिज इम्पलायमेंट हैज बीन डिटरमिड अब यह भी हो सकता है कि मान लीजिये कि एक विभाग में इम्प्लायमेंट डिटरमिन हो गया हो और वह दूसरे विभाग में चला गया हो या ऐसा हो गया हो कि म्युनिसिपल बोर्ड में कर्मचारी हो और वहां उसकी नौकरी खत्म हो गयी हो लेकिन उसने गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लिया हो तो क्या उस समय हो सकता है ? लैन्डलार्ड कह सकता है कि चूंकि इसका इम्प्लायमेंट खत्म हो गया है तो कोर्ट भी निकाल देगा, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से वह गवर्नमेंट में ही लखनऊ में ही नौकर हो गया है तो क्या होगा कितनी बड़ी एनामली होगी । कोई जांच करने वाली एथारिटी नहीं है । तो इतने वेग शब्दों में जांच करने के अधिकार को खत्म करके सीधे अदालत में जाने देना मैं समझता हूं कि न्यायसंगत नहीं है । वैसे श्रीमन्, जिस प्रकार से यह मूल ऐक्ट में है धारा ३ कि "Subject to any order passed under sub-section (3) no suits shall without the

permission of the District Magistrate be filed in any civil court against a tenant for his eviction from any recommendation except on one or more of the following grounds."

उसमें यह इतना व्यापक अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है कि हम कितनी ही परिभाषाएं जोड़ दें उनके सम्बन्ध में पर्मीशन के लिये लैण्डलार्ड इजाजत मांग सकता है और मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि असीमित रखना भी घातक है कि लैण्डलार्ड किसी भी तरीके से किरायेदार को परेशान करने के लिये पर्मीशन की इजाजत मांगता रहे और बार-बार किरायेदार परेशान होता रहे . . . .

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---प्वाइंट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम १७७ (३) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"After a decision has been given on an amendment to any part of a motion an earlier part shall not be amended."..

इससे पहले जो अमेंडमेंट मूव हो चुके हैं वह खंड ४ में आप देखेंगे कि जो प्रस्तावित उपखंड १,२ और ३ हैं उनके बाद जोड़े जाने में है। उपखंड (३) में यह है कि (3) "After clause (*f*)of the said sub-section the following shall be added as a new clause (*g*) : जिनको लिया जाय उनको (g) के बाद रखने का प्रस्ताव था। उन पर बहस हो चुकी है और सदन का निर्णय भी हो चुका है संशोधन ५-ग, ५-गग, ५-घ में यही प्रस्ताव है कि उपखंड (g) के बाद (h) वगैरह जोड़ दिये जायं। इसके माने हैं कि (g) के बाद रखना चाहते हैं। अब यह प्रस्ताव कि खंड (g) को निकाल दिया जाय, अनियमित है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जो व्यवस्था का प्रश्न श्री अब्दुल मोईज खां ने उपस्थित किया है वह यहां पर लागू बिलकुल नहीं होता है, क्योंकि यह जो धारा (g) है कि यह आज संशोधन नहीं हुए हैं। यह पुराना ऐक्ट सन् १९४७ ई० में पास हुआ है। यह अमेंडमेंट जिसका मैं विरोध कर रहा हूं अभी नया बढ़ाया जा रहा है। सदन में इस पर अभी विवाद नहीं हुआ है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह ऐसे संशोधनों के लिये अपील करती है जिसके लिये माननीय सदस्य ने राजावीरेन्द्र शाह के संशोधन में कहा था कि इसके पहले जो संशोधन श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का आ चुका है, उतना नहीं लिया जायगा, बल्कि जितना नया है वही लिया जायगा, इसलिये यह सर्वथा असंगत है।

अधिष्ठाता---मैं माननीय अब्दुल मुईज खां के प्वाइंट आफ आर्डर को रूल आउट करता हूं और माननीय नारयण दत्त तिवारी अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जितनी असीम शक्ति डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गई है उस सीमा को देखते हुये आवश्यकता तो इस बात की थी कि इन नियमों के बाद इसमें कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये था कि अगर कोई मकान मालिक किरायेदार को परेशान करने के लिये अर्जी देता है तो उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान ईस्ट पंजाब के रेंट कंट्रोल ऐक्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह मकान मालिक की परमीशन की दरख्वास्त पर विचार करे या अदालत करे तो इसकी धारा १३ की उपधारा (५) में लिखा है कि बल्कि मैं तो इसका विरोध करते हुए सिफारिश करूंगा कि सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि आगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट से परमीशन लेकर किरायेदार को परेशान करने के लिये मकान मालिक

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कोई कदम उठाता है तो जुर्माना या सजा की भी कोई बात रखी जानी चाहिये थी, वर्ना इतनी असीम शक्ति रखना गलत होगा। हां, अगर ऐसा है कि मकान मालिक को वास्तव में जरूरत है, एक बात की मंत्री जी को याद दिलाऊं। अगर मान लिया जाय किसी आदमी की नौकरी खत्म होती है या ट्रांसफर होता है तो क्या वह वहां जायगा या वहां न जाकर वहीं रहना चाहे जहां पहले काम करता था। यह बात तो मैं समझता हूं कि कामनसेंस की है। साधारण समझ की बात है कि जिस आदमी का ट्रांसफर बरेली होगा वह बरेली रहना ही पसन्द करेगा, बनिस्बत लखनऊ रहने के, जहां वह पहले रहता था। वह तो कोशिश करेगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके बरेली जाऊं। उस पर यह तोहमत लगाना कि अगर उसकी मुद्दत खत्म हो गयी तो वह कोर्ट में कोई नालिश पेश कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह मकान मालिक के हाथ में खतरनाक हथियार देना होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं और विशेष रूप से इसकी शब्दावली का।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन माननीय नारायण दत्त जी का जो भाषण हुआ, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ कहूं। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि माननीय नारायण दत्त जी गालिबन समझे ही नहीं हैं कि यह है क्या? उन्होंने बार बार कहा कि इसकी कोई सीमा नहीं रखी गयी। बार बार उन्होंने कहा कि अगर किसी आदमी का ट्रांसफर म्युनिसिपैलिटी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर दिया जाय तो उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। इसका मतलब और अर्थ केवल इतना ही है कि यदि लैंडलार्ड, मालिक मकान, और किरायेदार के बीच में ऐसा सम्बन्ध है कि किसी मुआहिदे के अन्दर उस किरायेदार को मालिक मकान ने जगह दी और अगर मुआहिदा टूट गया और वह रिश्ता कायम नहीं रहा तो जाहिर है कि उस किरायेदार को वह जगह छोड़नी पड़ेगी। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिये कि अगर एक मालिक मकान किसी को अपने यहां रखता है कि तुम फलां काम करो और जब तक तुम उस काम पर हो तुमको अख्तियार है कि तुम मकान में रहो। जब काम खत्म हो गया तो दूसरा आदमी आकर उस जगह रहेगा। उसका तात्पर्य यह है कि अगर ऐसी अवस्था उत्पन्न हो तो उस हालत में मालिक मकान को यह अख्तियार होगा कि अगर किरायेदार हटता नहीं है तो उसको हटा दिया जाये। इसमें माननीय नारायणदत्त जी ने जो जो माने पहनाये हैं और अर्थ पहनाये हैं वह इन शब्दों से तो निकलते नहीं हैं, उनके कल्पना जगत में भले ही निकलते हों।

श्री नारायणदत्त तिवारी—म्यूनिसिपैलिटी लैंडलार्ड नहीं हो सकती क्या?

श्री शिवनाथ काटजू—इसमें कहा गया है कि—

"(*g*) that the tenant was allowed to occupy the accommodation as a part of his contract of employment under the landlord and his employment has been determined."

अगर वाटर वर्क्स में, वह भी म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर आता है, एक इंजीनियर को एक मकान में रखा गया। वह इंजीनियर इंजीनियर नहीं रहा, दूसरा आया तो वह कहां रहेगा? नारायण दत्त जी कह रहे हैं कि इंजीनियर जाकर ६ मील दूर रहे, तो कम से कम कानून तो यह नहीं है, वास्तविकता नहीं है, रिअलिज्म नहीं है। हां, कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि जिसको कहा जाय कि हर तरह से पूरा है। कमी कुछ न कुछ रहेगी। जाहिर है कि जहां पर मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता है उसमें कहीं न कहीं तकलीफ होगी, लेकिन हमको देखना है कि कितनी होगी और कहां होगी और उसमें हम क्या कर सकते हैं।

जो नक्शा सामने रखा गया है, वह इसीलिये रखा गया है कि जब वह रिश्ता ही नहीं रहा जिसके अन्दर कि किरायेदार को रखा गया था तो जाहिर है कि उसको वह जगह छोड़नी पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त जी के संशोधन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उन्होंने रेंट कंट्रोल एंक्वायरी कमेटी से समर्थन हासिल करने की कोशिश की, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनका ध्यान छब्बीसवें पन्ने की तरफ आकर्षित करूंगा, जिसमें विशेषतः इस समस्या पर विचार किया गया है जिसमें लिखा है कि—

"There are many employees who keep some accommodation for housing their employees. Tenants of these houses occupy them by virtue of their employment under their landlord. Their tenancy should naturally terminate when they are no longer in his service. If it is not done, efficiency of mills and many commercial and industrial establishments, providing accommodations to their employees, would be impaired. Difficulty in this connection is being particularly experienced in the industrial areas of Kanpur. We consider it to be a genuine grievance of landlords and recommend that new sub-clause, with the following wordings, should be added to sub-section (*a*) of Section 3 :

> "That the accommodation was let to the tenant for use as residence by reason of his being in the service or in the employment of the landlord and that the tenant has ceased to be in service or employment".

तो रेंट कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने इस समस्या पर बड़ी गम्भीरता क साथ विचार किया और जैसा कि मेरे मित्र माननीय काटजू साहब ने अभी कहा नारायणदत्त जी ने गौर के साथ इस क्लाज को पढ़ने की कोशिश नहीं की। उसमें जैसा कहा गया वह बहुत साफ़ है—

"That the tenant was allowed to occupy the accommodation as part of his contract of employment under the landlord and his employment has been determined."

तो जब कांट्रेक्ट हुआ और कांट्रेक्ट की एक बेसिस हुई कि जब तक तुम नौकर रहोगे उस मकान के अन्दर रहोगे और जब कांट्रेक्ट खत्म हो जायगा तो तुमको मकान खाली करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता—पंजाब की आपने मिसाल दी—कहां पर यह सवाल पैदा होता है कि लैंडलार्ड को कोई वाइड पावर्स दी जा रही है। कोई स्कूल है, उसके मैनेजमेंट की तरफ से टीचर्स के लिये मकान बने हुए हैं और एक प्रिंसिपल के कंट्रेक्ट के पार्ट में यह भी है कि आपको इस मकान में रक्खा जायगा। कांट्रेक्ट खत्म होने के बाद प्रिंसिपल साहब हट गये। तो नारायणदत्त जी चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब उस मकान में बने रहें और मैनेजर जो कि लैंडलार्ड की डेफनीशन में आता है, लैंडलार्ड के माने यह हैं कि जो रेंट वसूल करता हो वह लैंडलार्ड है तो मैनेजर लैंडलार्ड हो सकता है, तो प्रिंसिपल साहब को इजेक्ट करने के लिये वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाये, कमिश्नर का दरवाजा खटखटाये परमिशन लेने के लिये और दूसरे प्रिंसिपल साहब बाहर जाकर अपने रहने की जगह तलाश करते फिरें। तो एम्प्लायमेंट के पार्ट की शक्ल में अगर कोई स्कूल, कालेज, फैक्टरी, या कोई इंडस्ट्री या गवर्नमेंट यह कांट्रेक्ट करती है कि जब तक कोई आदमी नौकर है तब तक तो मकान में रहेगा और बाद में उसे खाली करना होगा तो यह कोई हार्डशिप नहीं होती, बल्कि नारायणदत्त जी जो दूसरा उसका स्थान लेने वाला है उसकी कठिनाई को बढ़ाना चाहते हैं। इससे उत्पादन भी कम होगा और समाज के हित का सम्पादन नहीं होता। इसलिये जो नारायणदत्त जी क्लास (g) को निकालने का संशोधन

[श्री बनारसी दास]

लाये हैं उससे कोई मंशा पूरी नहीं होती। और आपने जो रेंट कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से पढ़ा वह तो इस सम्बन्ध में था कि मकान मालिकों ने अपनी कुछ मांगें पेश कीं, वे चाहते थे कि बिना परमिशन लिये उनको इजेक्टमेंट का सूट फाइल करने की इजाजत दे दी जाय। तो इस सम्बन्ध में वह कमेटी विचार कर रही थी। इसी सिलसिले में उन्होंने लिखा था कि जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एलाटमेंट का अख्तियार देते हैं तो उसी को अख्तियार देना चाहिये कि आया वास्तव में उस लैंडलार्ड का दावा सही है या नहीं और नारायण दत्त ने पढ़ दिया इस धारा के सम्बन्ध में। तो नारायण दत्त जी अगर रेंट इन्क्वायरी कमेटी से समर्थन चाहते थे तो उनको चाहिये कि अपने संशोधन को कि मौजूदा क्लाज (g) निकाल दिया जाय, वापस ले लें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि मेरे पर्याय को माननीय बनारसी दास जी और माननीय काटजू महोदय ने नहीं समझा। जहां तक इस संशोधन को पढ़ने का या समझने का संबंध है मैंने पूरा पूरा जितना समझ सकता था समझने की चेष्टा की।

उनके संशोधन में यह शब्द हैं—

"that the tenant was allowed to occupy the accommodation as a part of his contract of employment under the landlord and his employment has been determined."

पहले तो इसमें यह देखने योग्य है कि अगर कंट्रेक्ट आफ एम्प्लायमेंट में टिनेंट को आकोमोडशन मिली है तो उसका अलाटमेंट किसने किया होगा। उसके अलाटमेंट का सवाल ही नहीं आया होगा बल्कि हम इस भूमिका से लें कि टिनेंट को जो अलाटमेंट हुआ होगा वह अलाटिंग अथारिटी ने नहीं किया होगा बल्कि स्वयं लैंडलार्ड ने किया होगा। एक बात यह होती है। दूसरी बात यह होती हैकि इसका कोई रीजिनेबिल रेंट भी तय नहीं हुआ होगा। न कोई ऐग्रीड रेंट होगा। लैंडलार्ड ने जो रेंट तय किया वही हो गया या ऐसा भी हो सकता है कि मुफ्त में रहने का मौका दिया हो। इस भूमिका से जब इस बात को देखते हैं कि एक तरफ तो अलाटमेंट जिस प्रकार माननीय बनारसी दास जी कह रहे हैं कि अकोमोडशन का एलाटमेंट नहीं हुआ, किराया भी जिसका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तय नहीं किया और कहते हैं कि एम्प्लायमेंट डिटरमिन होगा। तो ऐसी सुपरफ्लुअस बात को कहना जिसमें टिनेंट खुद बखुद निकल सके—मान लीजिये कि किसी मजदूर को हटा दिया तो पहले तो उसे खुद शर्म आयेगी। वह खुद ही चला जायगा। जहां पर वह समझता है कि अन्याय हो गया, खाली ही नहीं करता तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के प्रतिबन्ध से हटा देना चाहते हैं। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि अगर कानपुर की ही मिसाल ली जाय, क्योंकि कानपुर की उसमें मिसाल दी गई है, अगर कानपुर में ही इस प्रकार के इविक्शन होने लगे तो कानपुर में जो थोड़े बहुत मजदूर रह रहे हैं, जहां कि हाउसिंग प्राबलम को सुधारने के लिये माननीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कानपुर के स्लम्स को आग लगा दो कल को कानपुर के मजदूर कहां जायंगे? क्या माननीय बनारसी दास जी चाहते हैं कि कि स्लम्स में भी मजदूर न रहें, तो क्या खुले मैदान में जाकर रहें। उसमें खास तौर से कानपुर का नाम दिया हुआ है। तो हाउसिंग प्रोग्राम आप का ढीला हो, एक तरफ आप अपने वादे को समय में पूरा न कर सकें, आपकी स्कीम में रुपया इतना कम है, आप स्लम्स को हटाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ रिलीफ आज उनको है उसको भी ले लेना चाहते हैं। एक तरफ सुपरफ्लुअस और दूसरी तरफ अन्यायपूर्ण।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, नारायणदत्त जी ने जो यह आपत्ति की, आपका अर्थ यह है कि जब कि इस प्रकार का कोई मकान जो एम्प्लायमेंट का हाउस है, जो अकोमोडेशन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की व्याख्या में ही नहीं आता तो शायद अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं पड़ता, उसमें इसके लाने की क्या जरूरत है। लेकिन यदि वह ग़ौर से देखें तो कमेटी की रिपोर्ट में जैसे कानपुर को, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो मिसाल के तौर पर कहा गया है, लेकिन उसमें लिखा है कि ज्यादातर एम्प्लायर्स की तरफ से यह ग्रीवांसेज रखे गये हैं। कोशिश तो इसलिये जहां तक इस मौजूदा विधेयक का सवाल है उसकी व्याख्या में भी जो कि अभी हाल के अन्दर स्वीकार की गई है, इस तरह की फैक्टरी हो, जहां पर पहले उस अकोमोडेशन की व्याख्या में से नहीं निकाला गया, कोई मकान अलाटेड, स्कूल्स कालेज या वर्कशाप या फैक्टरी के अन्दर है वह अलाटेड अब तक चला आता है। इस वक्त मौजूदा संशोधन जो उसकी व्याख्याओं में किया गया है, वह केवल इतना किया है—

"But does not include any accommodation used as a factory or for an industrial purpose where the business carried on in or upon the building is also leased out to the lessee by the same transaction."

वह तो अब हमने किया है, लेकिन एकमोडशन की जो परिभाषा है कि वह भी सीमित है। जो मकान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा लेटआउट किये जाते हैं और मान लिया जाय कि वे पार्ट आफ दि एम्प्लायमेंट हैं जैसे एक आदमी ने आउट हाउस में प्राइवेट नौकर को रख लिया है और अब दूसरा नौकर रखना चाहता है तो क्या नारायणदत्त जी यह चाहते हैं कि उसे आउट हाउस से निकालने का अख्तियार न हो? जहां एकमोडेशन पार्ट आफ एम्प्लायमेंट में दी गई हो वहां एविक्शन के लिये इसकी जरूरत नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरा मतलब तो यह था...

अधिष्ठाता—या तो प्वाइंट आफ आर्डर हो या प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन हो तभी आप खड़े हो सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल का जो प्रिएम्बिल है—

"to provide for the continuance, during a limited period, of powers to control the letting and the rent of residential and non-residential accommodation and to prevent the eviction of tenants therefrom."

'देअर फ्राम' शब्द इसमें है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देअर फ्राम शब्द को देखते हुए कि उन्हीं एकमोडशंस के लिये जिनको लेट हाउस किया है या जिनके रेंट का कंट्रोल किया है उन्हीं पर एविक्शन का कंट्रोल होगा, इसमें जिनके लेटिंग पर या रेंट पर कंट्रोल नहीं है उनके एविक्शन पर भी कंट्रोल नहीं होगा।

श्री बनारसी दास—मैंने जो निवेदन किया उसको शायद माननीय नारायणदत्त जी ने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने यह अर्ज किया था कि ऐसी बहुत सी एकमोडेशंस है जैसे कि इंस्टीटचूशंस उनको भी इस ऐक्ट के क्षेत्र में मकान एलाट किये गये हैं वह आदमी अगर उसको खाली नहीं करता है तो उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के परमीशन की आवश्यकता नहीं है। नारायण दत्त जी का कहना यह है कि जब वह ऐक्ट उन बिल्डिग पर लागू नहीं होता तो उसको फिर इजेक्टमेंट के लिये आधार बनाने की क्या जरूरत है। मैं यह कहता हूं कि जो एकमोडेशंस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा आज भी किराये पर उठाई गई हैं उनके बारे में आखिर इजेक्ट करने का क्या तरीका होना चाहिये और जो खास कर पहले से उठा दी गई हो। नारायण दत्त जी चाहते हैं कि इसके निकालने से इस ऐक्ट की मंशा पूरी नहीं होती है, जो उद्देश्य के अन्दर लिखा है वह मूल ऐक्ट के उद्देश्य के अन्दर आता है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ३–ए का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा ३–ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Determination of annual reasonable rent by the District Magistrate.

"(3)-(A) (1)The District Magistrate may on the application of a person who has been allotted any accommodation to which sub-clause (1) of clause (*f*) of section 2 applies declare the annual reasonable rent payable therefor. The District Magistrate may likewise on the application of person who has been allotted any accommodation or of the landlord determine the reasonable annual rent of the accommodation to which any of the remaining provisions of the said clause may be applicable.

(2) In determining the reasonable annual rent the District Magistrate shall take into account—

(*a*) if the accommodation was constructed on or after July 1, 1946, the cost of land and the cost of construction, maintenance and repairs thereof, its situation and any other matter, which in the opinion of the District Magistrate is material, and

(*b*) if it is accommodation falling under sub-clause (2) or para. (i) of sub-clause (3) of clause (*f*) of Section 2, the principles therein set forth, and

(*c*) if it is accommodation falling under para. (ii) of sub-clause (3) of clause (*f*) aforesaid the principles set forth in clause (*a*) of sub-section (1) of section 6.

(3) Subject to the result of any suit filed under sub-section (4) of section 5, the rent declared or determined by the District Magistarte under this section shall be the annual reasonable rent of the accommodation."

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा (३) की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:—

"Provided that if at any time after the first determination of the reasonable annual rent, the District Magistrate is satisfied that the comfort or conveniences afforded by the accommodation at the time of the aforesaid determination has materially decreased owing to its non-repair by the house owner, he shall determine the annual rent by diminishing it as far as possible proportionately with the decrease in its comfort or convenience".

इसमें जो मेरा मंशा है वह यह है कि प्रायः यह होता है कि जिस समय पहले पहल मकान रहने के लिये दिया जाता है तो उस समय वह अच्छे तरीके से सजा हुआ होता है और नाना प्रकार की सुखसुविधायें उसमें रहती हैं लेकिन जिस समय रेंट निश्चित हो जाता है और किरायेदार को वह रहने के लिये देता है तो फिर मकान की मरम्मत वग़ैरह वह नहीं कराता है। उसके अन्दर जो सुख-सुविधायें रहती हैं, बिजली और पानी वग़ैरा की उनको दूर करने की कोशिश करता है या उनके अन्दर अगर कोई खराबी आ गयी है तो उनको सुधारने की कोशिश नहीं करता है या और जो फरनीचर हैं उसकी मरम्मत नहीं कराता है जिसके कारण किरायेदार को नाना प्रकार की कठिनाई होती है और असुविधा होती है। मकान मालिक यह समझने लगता है कि जब एक बार किराये की रकम निश्चित हो गयी तो फिर उसके लिये कोई जरूरी नहीं है कि उसको वह सुख-सुविधायें प्रोवाइड करे और उनको ज्यों का त्यों रखे। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यदि किसी प्रकार की सेफ्टी

किरायेदारों के लिये हो जाय और मकान मालिक के लिये यह जरूरी हो जाय कि वह मरम्मत करावे तो यह उचित होगा और वह किसी प्रकार से किरायेदार के लिये असुविधा पैदा नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि किरायेदार के लिये इस प्रकार की सहूलियत होनी चाहिये कि वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस बात की अपील कर सके कि जो सुविधा उसको पहले मिली हुई थी वह अब नहीं है और उसमें कमी कर दी गयी है और उसके अनुसार उसका रेंट कम कर दिया जाय। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, यह संशोधन जो श्री जोरावर वर्मा ने पेश किया है यदि इसको स्वीकार कर लिया जाय तो किराया निश्चित करने में काफी समय लगेगा और इस दौरान में मकान अलाट हो जायगा तो किराया भी बढ़ता चला जायगा। दूसरी बात यह है कि यदि तीन महीने का किराया बाकी रह जायगा तो मकान मालिक उसको बेदखल करने के लिये नालिश कर सकता है। इसलिये इस उपधारा का मंशा केवल इतना ही था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलाटमेंट के साथ-साथ यह अधिकार भी दिया जाय कि टेनेंट के कहने के अनुसार किराया निश्चित कर सके और उस किराये के प्रतिकूल अगर टेनेंट को शिकायत हो तो फिर वह सिविल कोर्ट में तय करने के लिये जाय। यदि जोरावर जी का संशोधन मान लिया गया तो जांच करने में और किराया निश्चित करने में बहुत समय लगेगा और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां भी फैसला आखिरी नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम्बन्ध सम्पत्ति से है इसलिये यह सिविल कोर्ट जायगा। तो हमारी जो मंशा थी कि मुकदमेबाजी कम हो और किराया भी साथ में ही तय हो जाय और वह अदा भी हो जाय तो उसमें दिक्कत पैदा होगी। इस ऐक्ट में ७-डी मौजूद है जिसमें लैंडलार्ड को आदेश दिया गया है कि जो सुविधा मकान के अन्दर थी उनको रखना होगा और अगर वह किसी सुविधा को काटेगा तो फिर ७-ई भी उसमें है कि अगर कोई भी सुविधा जो टेनेन्ट को हासिल है अगर वह नहीं देता है तो वह लैंडलार्ड को एक महीने का नोटिस देकर पूरी करा सकता है। अगर वह पूरी नहीं करता है तो वह मुन्सिफ के यहां जाकर फैसला करा सकता है कि फलां सुविधा से उसको वंचित रखा गया है और उसने रिपेयर नहीं करायी है। तो इसकी व्यवस्था तो पहले मूल अधिनियम में मौजूद है। जब किसी सुविधा के घट जाने से कोई किराया वह कम कर सकता है तो इसके माने यह है कि अगर कोई सुविधा बढ़ा दी जाती है तो उसी अनुपात से उसका किराया बढ़ा भी दिया जा सकता है तो जोरावर जी के अमेंडमेंट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यह भी हो जाता है कि अगर सुविधा बढ़ा दी जाय तो वह किराया बढ़ा भी सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि टेनेंट्स की कठिनाइयां और भी बढ़ जायेंगी क्योंकि जब मकान की हालत गिरने पर किराया कम किया जा सकता है तो उसका ओटोमेटिक नतीजा यह हो जाता है कि ऐमिनिटीज के बढ़ाने पर किराये के बढ़ाने का भी अधिकार होना चाहिये और लैन्डलार्ड्स ज्यादा किराये की मांग भी करने लगेंगे जो कि मौजूदा अधिनियम के अनुसार हो नहीं सकता। जोरावर जी चाहते हैं कि किराया कम हो जाय लेकिन उसके साथ-साथ उनके ऊपर मुसीबत आ सकती है और न्याय पाने के बजाय टेनेंट्स की परेशानी बढ़ जायगी। जो न्याय वह चाहते ह वह उनको मूल अधिनियम की धारा ७-डी और ७-ई के द्वारा मिल जायगा। इसको और भी सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिये मैं माननीय जोरावर जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

(इस समय अधिष्ठाता ने श्री जोरावर वर्मा का नाम पुकारा और श्री नारायण दत्त तिवारी भी अपने स्थान पर खड़े थे।)

अधिष्ठाता—(श्री नारायण दत्त तिवारी से) इस वक्त मैंने जोरावर वर्मा जी को पुकारा है, आप बैठ जायं। (श्री नारायण दत्त तिवारी के न बैठने पर) माननीय नारायण दत्त जी आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। श्री जोरावर वर्मा जी को राइट आफ रिपलाई है, मैंने उन्हीं को पुकारा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर श्रीमन् मुझे बोलने की आज्ञा नहीं देंगे तो मुझे मजबूर होकर सदन छोड़ना पड़ेगा ।

अधिष्ठाता—मेरी राय में यह बात आती है कि जब माननीय मंत्री बोल चुके हैं तो जोरावर जी को राइट आफ रिप्लाई है। अगर आप मुझे कोई ऐसा नियम बतला दें कि आप मंत्री महोदय और उनके बीच में बोल सकते हैं तो मैं आपको इजाजत दे सकता हूं।

श्री राजनारायण—इसमें एक दिक्कत यह है कि मंत्री जी की तरफ से हमेशा माननीय बनारसी दास ही बोलने के लिये खड़े नहीं होते। हम लोगों को शंका यह रहती है कि बनारसी दास जी के बाद माननीय मंत्री कुछ कहेंगे तब इस सदन को माननीय बनारसीदास जी के बाद बोलने का मौका मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि अभी माननीय बनारसी दास जी बोले हैं अब माननीय नारायण दत्त जी बोल लें, फिर मंत्री जी इसका जवाब दे दें।

अधिष्ठाता—यह दूसरी बात है। बनारसी दास जी ने जब पहले राइट के बजाय दूसरे राइट को एक्सरसाइज किया है तो फिर उनके बाद मूवर को ही बोलने का अधिकार है। माननीय नारायण दत्त जी मुझे कोई ऐसा नियम दिखला दें कि माननीय अन्न मंत्री के बाद बीच में कोई दूसरा सदस्य बोल सकता है तो मुझे उनको इजाजत देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं जहां तक समझता हूं माननीय मंत्री के जवाब देने के बाद माननीय जोरावर वर्मा जी को ही बोलना चाहिये।

श्री अब्दुल मुईज खां—श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान नियम १८५(३) की ओर ले जाना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है कि—

"A member who has moved a substantive motion or an amendment to a clause of a Bill or has made a motion for reduction or omission of an item under the budget demands, may speak again by way of reply, and if the motion or the amendment is moved by a private member the Minister to whose department the matter under discussion relates shall have right of speaking after the mover whether he has previously spoken in the debate or not."

इसका मतलब श्रीमन् यह है कि जिस समय मूवर मूव कर दे और मंत्री महोदय उसका रिप्लाई दे दें तो उनके रिप्लाई दे देने का उस समय तक असर नहीं पड़ता जब तक कि मूवर उसका कोई रिप्लाई न दे दे। जब मूवर रिप्लाई दे देता है तब मंत्री महोदय का रिप्लाई आखिरी होता है। मेंबर के बाई वे आफ रिप्लाई बोलने पर मंत्री महोदय को बोलने का अधिकार है, लेकिन जिस समय मेम्बर ने अपना अमेंडमेंट ही मूव किया है और उसके बाद ही मंत्री महोदय बोले हैं तो उससे फर्दर डिवेट क्लोज नहीं हो जाती। इस प्रकार माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। मेम्बर के बाई वे आफ रिप्लाई बोलने पर और मंत्री महोदय के जवाब देने पर ही डिवेट क्लोज हो सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे फिर दुख होता है कि श्री अब्दुल मुईज खां ने जो नियम अभी पढ़ा है वह बजट डिमांड के लिये बना हुआ नियम है। फिर भी मुझे इस बात का अधिकार है कि यह जो डिस्कशन, प्रिंसिपल आफ पालिसी है, जो अमेंडमेंट पर बहस करने के लिये नियम बने हुए हैं। मैं माननीय स्पीकर की रूलिंग भी आपको दिखला सकता हूं। अगर आप मुझे ५ मिनट की इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ कर सुना सकता हूं।

अधिष्ठाता—क्या रूलिंग आपके पास है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस समय तो मेरे पास नहीं है। मैं लाइब्रेरी से मंगा कर दिखला सकता हूं। लेकिन यह तो कई बार हो चुका है।

अधिष्ठाता—अगर यह बात सही है जैसा कि आप कहते हैं तो मैं आइन्दा आपको मौका दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं अकेला सदस्य खड़ा हुआ था इस सदन में बोलने के लिये।

अधिष्ठाता—जिस वक्त श्री जोरावर वर्मा ने अपना संशोधन मूव किया था उस वक्त आप बोलने के लिये नहीं खड़े हुये। इसलिये मैंने अन्न मंत्री जी को बोलने के लिये पुकारा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं खड़ा हुआ था।

अधिष्ठाता—जी नहीं, आप नहीं खड़े हुये थे। अगर आप खड़े हुये होते तो मैं आपको बोलने का मौका अवश्य देता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी माननीय सदस्य के अधिकार पर कुठाराघात हो और स्वयं इस तरह से मेरे अधिकार पर कुठाराघात कर रहे हैं तो मैं इस रूलिंग के विरुद्ध इस सदन के बाहर निकल जाऊंगा।

अधिष्ठाता—मैं किसी भी माननीय सदस्य के अधिकार पर कुठाराघात नहीं करता जहां तक मेरी अपनी बुद्धि काम कर रही है अब उनकी बुद्धि का काम है, अगर वे बाहर जाना ही चाहते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सदन में इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि माननीय बनारसी दास ने जवाब दिया और उसके बाद भी हमको बोलने की इजाजत माननीय अध्यक्ष ने दी। ऐसी अवस्था में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय नारायण दत्त जी को बोलने के लिये थोड़ा समय दे दिया जाय उसके बाद माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे।

(उपर्युक्त भाषण के बीच श्री नारायण दत्त तिवारी सदन से बाहर चले गये।)

श्री बनारसी दास—मैंने उस समय माननीय मंत्री जी की तरफ से ही जवाब दिया था।

अधिष्ठाता—जिस तरह का इंटरप्रिटेशन आपने किया है मैं नहीं समझता कि माननीय स्पीकर ने ऐसा ही इंटरप्रिटेशन किया होगा। मैं समझता हूं कि जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वह सही है।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, माननीय बनारसी दास जी ने जो ऐक्ट है यह बतलाया कि उसमें इसका प्राविजन किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं है। आपकी आज्ञा से मैं इसकी मूल अधिनियम की धारा ७-डी पढ़ देना चाहता हूं :—

"7-D. (1) No landlord shall without just or sufficient cuase cut off or withhold any of the amenities enjoyed by the tenant.

(2) The tenant in occupation of an accommodation may, if the landlord has contravened the provisions of this section, make an application to the District Magistrate complaining of such contravention.

(3) If the District Magistrate on inquiry finds that the tenant has been in enjoyment of the amenities and that they were cut off or withheld by the landlord without just or sufficient cause, he shall make an order asking the landlord to restore such amenities.

(4) If the landlord fails to restore the said amenities, within the time fixed by the District Magistrate it shall be competent for the District Magistrate to direct that the tenant may have such amenities restored and the cost thereof may be deducted from the rent which is payable to the landlord."

अध्यक्ष महोदय, किराया तय कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सुविधा कम कर दी गयी है तो रेंट कम हो जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विषय को विचार लें कि सचमुच यह जो प्रतिबन्ध है यह बहुत आवश्यक है। उन्होंने यह भी

[श्री जोरावर वर्मा]

कहा कि जब सुविधायें बढ़ा दी जायं तो किराया भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें सुविधा बढ़ाये जाने की बात ही क्या है? जो सुविधा प्रारम्भ में किराया तय करते वक्त थी उसमें अगर कमी कर दी जाय तब रेंट कम कर दिया जाय। आपने यह भी कहा कि किराया तय करने में वक्त लगेगा और बड़ी कठिनाई होगी। जिस समय किराया तय हुआ था उस वक्त अगर सुविधा थी और वह कम कर दी जाय तब तो यह ठीक है कि किराया कम कर दिया जाय तो ऐसी परिस्थिति में यह बंधन होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि जिस वक्त कोई मकान एलाट हो और यदि कोई किरायेदार चाहे कि अगर उसकी कुछ सुविधायें और आराम में कमी हो गई है तो उस के किराये में भी उसी अनुपात में कमी की जाय। मैंने निवेदन किया था कि ऐसा करने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने भी उस वक्त बड़ी कठिनाई होगी कि वह किस अनुपात में किराया कम करे और यह एक ऐसा विषय बन जायगा कि जो सिविल कोर्ट में तय हो सकेगा क्योंकि इसका संबंध किसी सम्पत्ति को वैलुएशन से हो जाता है, अगर किराया कम होता है तो सम्पत्ति का मूल्य भी घट जाता है और अगर किराया बढता है तो सम्पत्ति का मूल्य भी बढ जाता है और सम्पत्ति की कीमत मालूम करना केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक ही सीमित न रहेगा और वह चीज सिविल कोर्ट में भी जायगी और हमारा जो मन्शा है किराया तय करने का वह पूरा न हो सकेगा। इसलिये हमने जो ऐक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक बार असेस करने का अधिकार दिया है वह काफी है। उसमें है कि वह सन् ४२ के असेसमेंट पर होगा या सन् ४६ के पहले का किराया और उस पर २५ प्रतिशत की वृद्धि यह होगा और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज न हो तो जमीन की कीमत, वहां की परिस्थिति, वहां के दूसरे मकानों की हालत देखकर वह तय किया जायगा। तो मैं समझता हूं कि आप जो चाहते हैं वह इस तरीके पर मौजूद है और आपके संशोधन की जरूरत नहीं है। इसलिये इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रीजनेबिल रेन्ट जैसे है वही रहे और जो सुविधायें ७(डी) और ७ (ई) के अन्दर हैं उनके द्वारा अगर कोई चाहे तो आर्डर करा सकता है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि--

खंड ५ में प्रस्तावित धारा 3—A की उपधारा (2) के अन्त में निम्नांकित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"Povided that if at any time after the first determination of the reasonable annual rent, the District Magistrate is satisfied that the comfort or conveniences afforded by the accommodation at the time of the aforesaid determination has materially decreased owing to its non-repair by the house owner, he shall determine the annual rent by diminishing it, as far as possible proportionately with the decrease in its comfort or convenience."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

य० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ४ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

Prohibition against tenant premium.

"(4) It shall not be lawful for a landlord to take or receive any premium or other additional payment of any sort, whatsoever over and above the rent for admission of a tenant to any accommodation."

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री कालीचरण जी की ओर से अधिकार है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस संशोधन को मैं मूव कर दूं।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता जी, मेरा संशोधन इसी प्रकार का है। मुझे पेश करने का अधिकार मिलना चाहिये।

अधिष्ठाता—क्या आपके पास उनकी ओर से कोई रिटिन अनुमति है? नियमों के अनुसार लिखित आर्डर होना चाहिये लेकिन यहां की क्या प्रथा रही है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल—प्रथा तो यही है कि अगर कोई किसी से कह देता है तो उसकी तरफ से मूव कर दिया जाता है लेकिन अगर काली चरण जी के इस संशोधन को श्री जोरावर जी ही मूव कर दें तो कोई आपत्ति मुझे नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(4) It shall not be lawful for a house owuer to take or receive for admitting a tenant to any accommodation any premium or other additional payment of any sort whatsoever, over and above the rent payable therefor under the provision of this Act."

अधिष्ठाता महोदय, प्रायः यह देखा जाता है कि जब कोई मकान खाली होने वाला हो या खाली हो गया हो और उसका अलाटमेंट न हुआ हो तो उसका चूंकि रीजनेबिल रेंट फिक्स्ड होता है लेकिन मकान मालिक ऐसे किरायेदार की तलाश में रहता है जिन्हें बहुत ही आवश्यकता होती है, मकान लेने की। ऐसी परिस्थिति में मकान मालिक या तो एडवांस ले लेता है या ऐसी शर्त ठहरा लेता है कि अगर किराया १० है तो १५ दिया करे ऐसी परिस्थिति में इस ऐक्ट के अन्दर अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि जो प्राविजन मैंने रखा है यह उसके स्थान पर रख दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। चूंकि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिये आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री बनारसी दास—मुझे श्री जोरावर वर्मा जी का यह संशोधन स्वीकार है लेकिन केवल एक संशोधन मैं चाहता हूं और वह यह कि जहां उन्होंने लिखा है "for a house owner" इसके बजाय "for a landlord" रख दें।

श्री जोरावर वर्मा—मुझे स्वीकार है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(4) It shall not be lawful for a landlord to take or receive for admitting a tenant to any accommodation any premium or other additional payment of any sort whatsoever, over and above the rent payable therefor under the provisions of this Act."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

खंड ६ में प्रस्तावित धारा (4) के आरम्भिक शब्द "It shall not be lawfnl for a landlord to" के स्थान पर शब्द "No landlord shall" रखे जायं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह समझता हूं कि चूंकि यह अभी पास हुआ है कि खंड ६ की (४) प्रस्तावित धारा और इसके जो शब्द आप निकालना चाहते हैं वह भी पास हो गये हैं, इसलिये आपका कोई अमेंडमेंट उठता नहीं।

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं वीरेंद्रपति यादव जी अपना अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह संशोधन बहुत छोटा सा है और केवल शब्दों का हेरफेर उसमें सम्मिलित है। यह कानून में जो लिखा गया है कि मालिक मकान के लिये यह लाफुल न होगा कि जो उचित तरीके से रुपया मिले उससे अधिक नहीं ले सकेगा। मैं यह समझता हूं कि कानून के अन्दर एक स्पष्ट डाइरेक्टिव होना चाहिये कि इस तरह का कोई कार्य भी कानून के खिलाफ होगा। केवल इतना कह देना कि अमुक कार्य लाफुल न होगा, मैं समझता हूं इसके माने न होंगे कि किसी तरह से कानून की किसी धारा का उल्लंघन होता है हालांकि इसका सारांश तो वही है जो मैं कह रहा हूं और हैंडिंग भी वही रखा गया है इस संशोधन के संबंध में "prohibition against taking premium" लेकिन जो शब्द आये "It shall not be lawful" तो मैं समझता हूं एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए कि अमुक कार्य कानून उल्लंघन करेंगे और "It shall not be lawful" अगर यह बदसूरत रहता है तो इन शब्दों का मतलब यह नहीं निकाला जायगा कि कानून का उल्लंघन होता है। इस तरह से इस सेक्शन को भी और सेकशंस का पेनल बनाया है और उसके लिये दंड भी वहां पर रखा गया है। तो यह शब्द रहते हैं तो मैं समझता हूं कि उसका इंटरप्रीटेशन अदालत में यह होगा कि कानून का टूटना नहीं हुआ। लाफुल का न होना कानून का उल्लंघन नहीं करना है तो मैं समझता हूं कि आप के जो शब्द थे पहले ऐक्ट में कि "नो लैंडलार्ड शैल टेक आर रिसीव" वही रहने दिया जावे क्योंकि जब कानून इस बात की मुमानियत करता है तो वह तो अनलाफुल, कानून के खिलाफ वैसे ही होता है, यह लिखना कि यह लाफुल नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। जो शब्द पहले के कानून में हैं वही ठीक होंगे। अगर ये शब्द इस तरह से रहे तो मुझे संदेह है कि अदालतों में जो इस तरह के बीच करेंगे इस सेक्शन का, उनके खिलाफ मुकदमा चलाये जाने पर इन्हीं शब्दों के इंटरप्रिटेशन पर वह मुक्त हो सकेंगे। ये शब्द स्पष्ट तौर से यह नहीं कहते कि कानून का उल्लंघन होता है।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, अभी संशोधन जोरावर वर्मा जी का स्वीकार किया जा चुका है कि मूल अधिनियम की धारा ४ के शब्दों की जगह पर ये शब्द होने चाहिये। तो वीरेंद्रपति जी का जो संशोधन है वह तो मूल अधिनियम की धारा ४ में एक संशोधन है। वैसे उनके संशोधन का आशय जो है वह तो मेरी शब्दावली के अन्दर भी मौजूद है। कोई अन्तर नहीं पड़ता तो अब जब कि हम इसे मंजूर कर चुके हैं इस धारा को तो मुझे कोई आवश्यकता ऐसी नहीं महसूस होती कि कोई शब्दो में परिवर्तन किया जाय जब कि माननीय वीरेंद्रपतिजी का आशय स्वयं उसके अन्दर निहित है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—हमारे सभासचिव जी जब अपने मस्तिष्क में इतने स्पष्ट हैं कि इसमें दो इन्टरप्रिटेशन नहीं हो सकेंगे तो मैं उसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधितखंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम का धारा ५ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित कर दिया जाय:—

"(4) If the landlord or the tenant claims that the annual reasonable rent of any accommodation to which the Act applies is inadequate or excessive or that the reasonable annual rent declared by the District Magistrate under section 3-A is not correct or if the tenant claims that the agreed rent is higher than the annual reasonable rent, he may institute a suit

for declaration or as the case may be for fixation of rent in the Court of the Munsif having territorial jurisdiction, if the annual rent claimed or payable is Rs.500, or less, and in the Court of the Civil Judge having territorial jurisdiction if it exceeds Rs.500, provided that the Court shall not vary the agreed rent unless it is satisfied that the transaction was unfair, and in the case of lease for a fixed term made before April 1, 1942, that the term has expired."

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८—मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ५-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"5-A. (1) Where the tax referred to in clause (i) of sub-section of section 128 of the U. P. Municipalities Act, 1916, has been increased after July 1, 1946, in the case of any accommodation constructed before the said date, the landlord may on and from the commencement of the U. P. Control of Rent and Eviction (Amendment) Act, 1954, and, notwithstanding anything in this Act or any Order made thereunder, to the reasonable annual rent payable for the accommodation by the tenant an amount equal to one-third of the difference between the amount of the tax assessed before July, 1946 and the amount assessed after this date. The amount so added to the rent shall be payable by the tenant to the landlord along with the rent.

(2) Where the question arises whether the tax referred to in sub-section (1) has increased in respect of any accommodation it shall be referred to the District Magistrate who shall determine the same."

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ५–ए के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"5-A. (1) In the case of any accommodation constructed before July 1, 1946, the landlord may on and from the commencement of the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction (Amendment) Act, 1954, add, notwithstanding anything in this Act or any order made thereunder, to the reasonable annual rent payable for the accommodation by the tenant, an amount equal to five per cent. of its municipal assessment. The amount so added to the rent shall be payable by the tenant to the landlord along with the rent.

(2) When the question arises as to the amount payable under sub-section (1) in respect of any accommodation, it shall be referred to the District Magistrate who shall determine the same."

अधिष्ठाता—इसका अनुवाद आप हिन्दी में कर दीजिये।

श्री राम नरेश शुक्ल—इन दी केस आफ ऐनी एकोमोडेशन कंस्ट्रक्टेड बिफोर जुलाई वन, १९४६—१ जुलाई, १९४६ के पहले जो मकान बन गये हैं उनके संबंध में दी लैंडलार्ड में .....

अधिष्ठाता—अगर ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत पड़ती हो तो सारांश कह दीजिये—

श्री राम नरेश शुक्ल—एक जुलाई, १९४६ से पहले जो मकान बने हैं उनमें म्युनिसिपल असेसमेंट का ५ फीसदी बढ़ सकता है, अगर इसका प्रश्न उठे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस मामले को तय करे ।

यह संशोधन, अधिष्ठाता महोदय मैंने इसलिये दिया है कि इसके पहले जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें किरायेदारों को तकलीफ होगी । इससे असेसमेंट का केवल ५ फीसदी ही बढ़ सकता है और वह प्रश्न जिलाधीश के पास जायगा अगर उठे । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

*श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राम नरेश जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं । माननीय राम नरेश जी ने यह कहा कि इस विधेयक में जो संशोधन रखे गये हैं उससे किरायेदारों को तकलीफ होगी और यह जो इनका संशोधन है उससे किरायेदारों को आराम पहुंचेगा इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल अधिनियम में जो संशोधन है, उससे बहुत आराम पहुंचाने वाला उनका संशोधन अवश्य है । हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इस बात का खतरा था कि सरकार का जो मूल विधेयक में संशोधन है वह सदन स्वीकार करेगा और सरकार ने अपने को हार से बचाने के लिये माननीय राम नरेश द्वारा ऐसे संशोधन को ला दिया जिसे सदन किसी तरह से अपने गले के नीचे उतार दे ।

यह एक ऐसा संशोधन है जो किसी तरह से स्वीकार नहीं होना चाहिये । अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि आखिर मकान किराये को जो म्युनिसिपल असेसमेंट ४६ के बाद उस पर ५ प्रतिशत बढ़ाने की चर्चा माननीय राम नरेश जी शुक्ल कर रहे हैं उसका कारण क्या है । मैं सीधी बात समझता हूं और सीधी बात ही कहना चाहता हूं आज जो अवस्था बाजार के लोगों की है या शहर में रहने वालों की है वह लड़ाई के जमाने से ज्यादा खराब है । जो दुकानदार हैं उनकी बिक्री बहुत कम हो रही है और खरीद फरोख्त करने वालों की आमदनी घट रही है । जो नौकरी पेशा लोग थे, माना कि वह आज भी डियरनेस अलाउन्स पा रहे हैं, लेकिन उनको भी अपनी जिन्दगी की जरूरत का सामान लेने में एक भारी कठिनाई है और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह अपने खर्चे चलाने में बहुत ही मजबूर रहते हैं । यह भी इसी के साथ-साथ वह लोग जो अपने खेती बारी के सामान से ज्यादा पैसा लेते थे उनकी खेती बारी का सामान भी आज सस्ता हो रहा है तो इस प्रकार से जो लोग मध्यम वर्ग में रहते थे, उनकी आमदनी आज घट रही है और खेती बारी के सामान सस्ते होने की वजह से जनरल डिप्रैशन की तरफ सारे बाजार का रुख है । जब जनरल डिप्रैशन का रुख है तो उस हालत में किराये के बढ़ाने का कोई तुक मालूम नहीं होता । मैं माननीय राम नरेश जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह सरकार के इस चक्कर में न आवें । सरकार ने तो बहुत ही ऐसी होशियारी से संशोधन को लाने का उपाय किया है कि मूल विधेयक में तो उसने रखा कुछ इस से ज्यादा आप माननीय राम नरेश जी को फंसा करके सरकार ने यह कोशिश की कि आप इस तरह का संशोधन ला दीजिये, जो किसी तरह से माननीय रामनरेश जी के प्रभाव में आने वाले और उनकी बात पर विश्वास करने वाले सदस्य हैं, वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें । अधिष्ठाता महोदय, मैं भी उनके मुकाबिले में नहीं बढ़ना चाहता था । जब उन्होंने इस संशोधन को रखा तो मैं तो यही समझता था कि यह तो बड़ी उदारता है उनकी, लेकिन जब मैं सोच पाया तो मेरी समझ में असली बात आयी कि यह सरकार के चक्कर में फंसे हुये हैं । माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने कहा कि जो पूरा विधेयक है वह लैंडलार्ड के लिये है और पूरे विधेयक का एक अंग यह भी है तो इस तरह से मैं माननीय रामनरेश जी को सचेत करना चाहता हूं । वह सचेत होकर सरकार के चक्कर में न आवें और मकान के किरायेदारों की तकलीफ को समझते हुये मेहरबानी करके अपने संशोधन को वापस ले लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं माननीय रामनरेश जी शुक्ल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। इस समय हमारे प्रांत में जो मकानों की समस्या है उसको तीन भागों में बांट दिया गया है। एक तो ऐसे मकान जो सन् १९४६ के पहले के हैं और एक ऐसे जो १९४६ की ३० जून के बाद और पहली जनवरी १९५१ के पहले के हैं और एक पहली जनवरी, १९५१ के बाद के हैं। तो इन तीन पर तो बाद में सदन में विचार विनिमय होगा, मगर इस समय जो विषय विचाराधीन प्रस्तुत है वह उन मकानों के बारे में है जो पहली जुलाई १९४६ के पहले बने हुये हैं। तो पहली जुलाई, १९४६ के पहले जो मकान बने हुये हैं उनके बारे में जो विधेयक प्रस्तुत है उस में "One-third of the difference between the amount of the tax assessed before July, 1946, and the amount assessed after this date. The amount so added to the rent shall be payable by the tenant to the landlord along with the rent."

तो जो विधेयक यहां प्रस्तुत है, श्रीमन्, उसके मुताबिक सन् १९४६ की पहली जुलाई के पहले जो असेसड थे और इसके बाद जो असेसमेंट है, इन दोनों के अन्तर का एक तिहाई अब किरायेदारों के किराये में बढ़ा दिया जायगा और किरायेदार इस जोड़ी हुई रकम के साथ देगा। यह तो विधेयक की मंशा है और माननीय रामनरेश जी शुक्ल इस एक तिहाई की जगह ५ परसेंट रखना चाहते हैं। यह प्रस्तावक महोदय की मंशा है। श्रीमन्, इसी पर माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है कि यह खंड ही निकाल दिया जाय उस समय बात होगी। इस समय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामनरेश शुक्ल जी आखिर इस ५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी को ही क्यों मानते हैं। यह असेसमेंट में जो बृद्धि हुई है यह क्यों हुई है। इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसकी कुछ लाइनें आपकी खिदमत में पढ़ देना चाहता हूं। वह सरकार की मन्शा को व्यक्त करेगी। रिपोर्ट के पेज ८ पर लिखा है :—

"Apparently these arguments might sound well but let not the main purpose of the control on accommodation recede into oblivion, while considering this issue. The present economic atmosphere of the country is strongly for the regulation of prices for keeping down the general price level. It is only in pursuance of this policy that rents of accommodation and prices of a large number of essential commodities have been frozen to suitable levels. This type of general price control is not only in the interest of any particular section of the society, but it benefits all in some way or the other. Shelter is one of the basic needs of mankind. The rents of living and commercial accommodations are bound to have their repercussions on the prices of essential commodities. The landlords as a class, therefore, cannot ultimately get away from the ill-effects of the spiral of rising rents of their houses. Considering these and some other points, already covered in the previous chapter, we are, on principle, opposed to any idea of increasing the rent level. We, however, cannot lightly brush aside the demand of the house-owners for some additional allowance to cover the increased taxation of the local bodies. These taxes are basically different from those levied on income. They are imposed in lieu of certain amenities provided by the local bodies to their citizens. Such amenities are enjoyed by tenants and are therefore for the betterment of the town as a whole."

श्रीमन्, इससे एक तथ्य यह निकलता है कि जब यह कमेटी बैठी थी तो उसके सामने भी एक विस्तृत रूप में यह सवाल आया था कि आज जो मकान मालिक किराये में वृद्धि की मांग कर रहे हैं उनकी मांग को जायज करार दिया जाय या न दिया जाय और इस बात का विवेचन करते समय वह कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, आज मुल्क की जो परिस्थिति है और सोसायटी में जो एसेंशल नीड्स आफ दि लाइफ (जीवन की मौलिक आवश्यकता) है हमको उन्हीं को मद्देनजर रखना चाहिये।

[श्री राजनारायण]

और नीड्स आफ दि लाइफ को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहां गरीबी को मिटाना नीड्स है, खाना कपड़ा देना नीड्स है, मकान देना नीड्स है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे सामने आज जो प्रमुख सवाल है वे यही हैं। तो माननीय रामनरेश जी शुक्ल से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वह ५ फीसदी की ही वृद्धि क्यों चाहते हैं, किस प्रिन्सिपिल को सामने रख कर ५ प्रतिशत की वृद्धि चाहते हैं। छिद्रेष्वनर्थाः बहुली भवन्ति। जहां एक भी छोटा सा छिद्र हुआ तो वह बड़ा भयंकर विस्फोट करता है। तो पहले तो श्रीमन्, जो उसमें वृद्धि करने का प्रिंसिपिल (वसूल) है उसी पर हम अटैक (हमला) करना चाहते हैं।

अगर हम इसको मान लेंगे तो सरकार का तर्क आयेगा १/३ बढोत्तरी का, उसमें माननीय रामनरेश शुक्ल जी तो लाचार रहेंगे.....

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको विधेयक का संशोधन स्वीकार है?

श्री राजनारायण—वह तो कतई नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसको पढ़ लीजिये।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी ने पढ़ने को कहा, वह तो जिस बुद्धि विभ्रम जन्य विभाग भ्रांति में विचरण कर रहे हैं उसके फलस्वरूप किसी दूसरे नतीजे पर आ जाते हैं। उसी का यह द्योतक है।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इस बढोत्तरी के सिद्धांत को नहीं मानना चाहिये। जैसे कि एक मकान मालिक है, माननीय रामनरेश शुक्ल मकान मालिक हैं और मैं किरायेदार हूं। माननीय रामनरेश शुक्ल ने अपने मकान के बनाने में एक हजार रुपया लगाया। मैं उनका पुराना किरायेदार हूं, और बराबर किराया देता चला आ रहा हूं उसमें कई हजार रुपया उन्होंने मुझे से वसूल कर लिया। तो मैं माननीय रामनरेश शुक्ल से पूछना चाहता हूं कि यह कहां का न्याय है, कहां की मानवता है, कहां की इक्विटी का प्रिंसिपल (समानता का सिद्धान्त) है कि माननीय रामनरेश जी यह कहें कि चूंकि कुछ वाटर टैक्स लाइट टैक्स या कुछ टैक्स बढ़ जायगा जिसको हम को देना पड़ता है इसलिये १/३ किरायेदार दे दें।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमन्, मैं एक प्वाइण्ट आफ एक्सप्लेनेशन पर खड़ा हुआ हूं।

श्री राजनारायण—मैं बैठना नहीं चाहता। प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

अधिष्ठाता—प्वाइन्ट आफ एक्स्प्लेनेशन में भी पूछ सकते है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—एक्सप्लैनेशन का मौका तब किसी माननीय सदस्य को दिया जाता है जब उन्होंने कोई भाषण दिया हो। लेकिन आप अपने एक्सप्लैनेशन में कोई नयी चीज कहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सदन का समय बरबाद न हो।

अधिष्ठाता—काटजू जी, आपने कोई भाषण तो दिया नहीं, आप एक्सप्लेनेशन में क्या कहना चाहते हैं?

श्री शिवनाथ काटजू—मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो ५(ए) छपा है इसमें गलती रह गयी है और इसका संशोधन करना बहुत आवश्यक है। इसकी भाषा में गलती रह गयी है। उसी के ऊपर सारा डिबेट हो रहा है उसकी शक्ल जो है मेरे ख्याल में लाइन चार में.....

अधिष्ठाता—ज्यादा अच्छा होगा कि माननीय मंत्री जी से आप बातचीत कर लें जाकर।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय काटजू जी को भाषा का भ्रम हो गया। मगर मैं समझता हूं कि उनको भाव में भ्रम नहीं होगा। इसलिये मैं भाव को बहुत सफाई के साथ व्यक्त कर रहा हूं माननीय रामनरेश शुक्ल जी, मैं समझता हूं कि मुझको अच्छी तरह समझ रहे हैं और सदन भी अच्छी तरह से समझ रहा है। मैं रामनरेश जी से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि ५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी क्यों चाहते हैं। जो हाउस टैक्स, लोकलटैक्स में अंतर है १९४६ के पहले और बाद में उसमें पांच फीसदी बढ़ोत्तरी क्यों चाहते हैं। क्या माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने जो बहैसियत मकान मालिक के राजनारायण किरायेदार का खून चूस लिया है और इतने दिनों मैंने जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उनको किराये के रूप में दिया है, और मकान मालिक की हैसियत से इतने दिनों की उनकी महंतयी है, अब भी उनकी प्यास किरायेदार को चूसने के बाद बुझी नहीं। अब भी किसी न किसी इनडाइरेक्ट तरीके से हमारे माननीय रामनरेश शुक्ल जी मालिक मकान किरायेदार राजनारायण को चूसना चाहते हैं। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय रामनरेश शुक्ल जी किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुये पांच फीसदी का संशोधन नहीं रख सकते। हां, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात हो कि सरकार ने ३३ फीसदी रखने की बात कही और माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने पांच फीसदी की बात कह दी, तो शायद कोई कम्प्रोमाइज का फारमूला (समझौता का सिद्धांत) निकला हो, और सरकार कह दे कि मैं माननीय रामनरेश शुक्ल के संशोधन को मान लेती हूं, तो वह दूसरी बात है। मगर मैं तो मूल पर कुठाराघात करना चाहता हूं। माननीय रामनरेश जी बढ़ोत्तरी के उस सिद्धांत को मानें जो सरकार ने माना है जिसके लिये पचासों तरह के तर्क दिये गये कि बिजली का टैक्स, क्वार्टर का टैक्स, मरम्मत का बोझा, मकान मालिक पर पड़ता है जो कि किरायेदार भोगता है, उसे मकान मालिक क्यों भुगतें।

दो दृष्टिकोण है। एक तो वह अपनाना होगा जो किरायेदार के पक्ष में है जिसे न्याय का पक्ष कहा जायगा और दूसरा वह अपनाना होगा जो मकान मालिक के पक्ष में होगा, जिसे मैं अन्यायी दृष्टिकोण कहूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस समय मकान मालिकों पर जो लोकल टैक्स बढा दिया गया है उसके १/३ को किराये में बढ़ा देने के प्रस्ताव को माननीय रामनरेश जी अपने संशोधन से काटना चाहते हैं, तो माननीय रामनरेश जी को ५ परसेंट की बढ़ोत्तरी के अपने संशोधन को भी न रखना चाहिये। माननीय गेंदा सिंह जी के नाम पर आगे जो संशोधन आया हुआ है कि यह खंड ही निकाल दिया जाय। उसको रामनरेश जी को मान लेना चाहिये वरना रामनरेश जी का जो मकसद है वह पूरा नहीं होगा। मैं रामनरेशजी या जो उनके संशोधन के समर्थक हैं उनसे जानना चाहूंगा कि ५ परसेंट की वृद्धि का क्या तर्क है। उनका तर्क यह होगा कि किराये दार को सहूलियतें मिल रही हैं। अगर सहूलियत होती है तो इससे सारे समाज का उत्थान होता है, सारी नागरिकता फलती फूलती है, उसका विकास होता है। अगर १/३ सरकार लगा देगी और ५ परसेंट राम नरेश जी शुक्ल लगा देंगे तो उसका क्या करेंगे, जबकि किरायेदार ने इतने दिनों तक मकान मालिक को कमा२ कर किराया दिया है, अपनी मेहनत से मकान मालिक को खिलाया पिलाया है। अगर मकान मालिक पर कुछ बढोत्तरी हो जाती है, तो इससे उसका क्या नुकसान हो जाता है इस सवाल को तो देखा नहीं जाता ऊपर से बात को ले लिया जाता है। अगर ऊपर से देखा जाय तो यही मालूम होगा कि रामनरेश जी और सरकार जब यह कहतीहै कि जो मकान पहले से उठे हुये हैं और सन् ४२ के लोकल रेट्स के हिसाब से और २५ फीसदी के हिसाब से उनके किराये में वृद्धि हो गई है और उसे मकान मालिक को देना होता है लेकिन फायदा किरायेदार उठाता है तो रामनरेश और सरकार का पक्ष उचित मालूम होता है और राम नरेश जी जो ५ परसेंट ले रहे हैं वह बहुत ही उचित और इक्विटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन है। इसलिये रामनरेश जी के संशोधन को मान लेना चाहिये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रामनरेश जी का संशोधन जो एक भावना प्रधान संशोधन है, जो किसी एक बात को लेकर रक्खा गया है, उसको अगर माने लेते हैं तो जो हमारी दलीलें सरकारी दृष्टिकोण के विपक्ष में हैं वे कमजोर हो जायगी। इसलिये निहायत अदब के साथ राम नरेश जी से दरख्वास्त करूंगा कि अब तो वह इसे वापस ले लें और जो आगे रामनारायण जी का संशोधन है उसके पक्ष में बोलने की तैयारी करें।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, माननीय शुक्ल जी ने जो संशोधन रक्खा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जो प्रस्तावित अधिनियम है और उसमें जो टैक्स बढ़ा है उसका १/३ रेंट टेनेंट को देने के लिये रिकमेंड किया गया है मैं समझता हूं कि माननीय नेता सदन अगर रेंट कंट्रोल एक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर ही विश्वास करते हैं, अगर उसे स्वीकार करते हैं, तो राम नरेश जी का जो संशोधन है वह अधिक उपयोगी होगा रिपोर्ट के पृष्ठ ३३ पर जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। यह विचार श्री व्रजेन्द्र स्वरूप जी का है जो इस कमेटी के सदस्य थे।

पेज ३३ पर यह है कि—

"It is recommended in the report that the increase in the local taxes of houses since 1946 should be shared by the landlord and the tenant in proportion of 2/3rd and 1/3rd respectively. I think this recommendation is not just and fair to the house owners particularly in view of the fact that these taxes, as is acknowledged in the report were generally imposed in lieu of certain amenities provided by the local bodies to their citizens and most of these amenities are enjoyed by the tenants. In my opinion it will not be just and fair to saddle the landlords with the burden of any portion of the increase in such local taxes. I, therefore, suggest that where rent is fixed taking into account any such taxes and there has been an increase in such municipal taxes rates and cesses in respect of the accommodation since 1946, the landlord should be entitled to add it to the rent which has been so fixed for the accommodation."

इसमें श्री व्रजेन्द्र स्वरूप जी ने यह दलील पेश की है कि जो कुछ सुविधाएं दी गई हैं वह सुविधायें म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा टेनेन्ट को दी गई हैं वह मकानमालिक को नहीं दी गई हैं इसलिये उन्होंने यह सिफारिश की है कि लोकल टैक्स टेनेन्ट पर जाना चाहिये। इस अधिनियम में भी एक तिहाई का प्रस्ताव था। यदि १०० रुपये टैक्स लगता है तो उसका तिहाई हिस्सा टेनेन्स को देना चाहिये लेकिन शुक्ल जी ने ५ फीसदी की बात रखी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही जस्ट है इसमें जो मूल अधिनियम है उसमें यह दिया हुआ है कि सन् १९४६ ई० के पहले के जो मकान हैं उनमें मकान मालिक चाहें तो ५० फीसदी किराया बढ़ा सकते हैं।

"Provided that the enhanced rent shall not exceed the rent, if any, payable on October 1, 1946 by more than 50 percent. thereof."

ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय शुक्ल जी ने बाया मीडिया निकाला है कि ५ फीसदी रखा जाय। कोई कहता है कि तैंतीस परसेंट रखा जाय और कोई कहता है कि २५ परसेंट रखा जाय। मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल इस रिपोर्ट को मानते हैं और इस बात को उचित समझेंगे कि इतना बढ़ा दिया जाय। मैंने जो उदाहरण पेश किया है वह उदाहरण के लिये काफी है। इसलिये शुक्ल जी ने जो संशोधन रखा है कि ५ परसेंट बढ़ा दिया जाय और वह टेनेंट को देना चाहिये मैं समझता हूं कि यह उचित है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

†**श्री कुंवर कृष्ण वर्मा** (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन श्री रामनरेश शुक्ल जी ने पेश किया है मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी विरोधी दल के नेता ने यह दलील पेश की थी कि जो कुछ भी उन्नति होती है, जो कुछ भी तरक्की होती है वह सभी के लिये है और इसलिये हम यह कहें कि टेनेण्ट को भी इसका भार अपने ऊपर लेना चाहिये यह ग़लत है और यह जितना भार है वह सब लैंड लार्ड को अपने ऊपर लेना चाहिये। मैं नहीं समझ सका कि यह उनकी कौन सी दलील है और इसको किस तरह से वह उचित बतलाते हैं। यह जरूर है कि आज कल के

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमाने में यह देखा जाता है कि अधिकारों के लिये हम बहुत चिल्लाते हैं कि उसको यह अधिकार मिलना चाहिये । लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको क्या करना चाहिये, हमको भी कोई भार उठाना चाहिये या नहीं, इस बात पर हम ध्यान नहीं देते । अगर कोई उन्नति होती है, अगर कोई तरक्की होती है और उससे हमको कोई फायदा होता है तो हमको भी उसका बार लेना चाहिये, उसके बारे में हमको हिस्सा बटाना चाहिये । यह बहुत गलत उसूल है और नियम होगा कि हम यह समझें कि हमारे समाज में एक ही वर्ग भार उठाये और दूसरे वर्ग उससे मुक्त रहे । हमारे विरोधीबल के नेता ने जो इस रिपोर्ट में उनके माफिक बातें थी वे तो पहले ही पढ़ दीं लेकिन उसके आगे की बातें केवल सरसरी तौर पर उपस्थित कीं । मैं आपकी आज्ञा से उस भाग को भी पढ़ देना चाहता हूं जो कि इस संशोधन की माफिकत में है । इसमें यह चीज रखी गयी है—

"We however, cannot lightly brush aside the demand of the house-owners for some additional allowance to cover the increased taxation of the local bodies. These taxes are basically different from those levied on income. They are imposed in lieu of certain amenities provided by the local bodies to their citizens. Such amenities are enjoyed by tenants and are therefore the betterment of the town as a whole. In case of Government buildings and some of the private ones also, the Water-tax and House-tax is paid by tenants themselves. In fact the former is strictly levied in lieu of water supplied to tenants for their household purposes. But it can also not be forgotten that in most of the cases local taxes including House-tax and Water-tax, were paid by the house-owner even before the advent of state control of rents. In fact rents of buildings were fixed by the landlords in such a way so as to cover these taxes as well. But all the same there can also be no denying the fact that the rise in local rates has been very steep during the last decade in most of the towns, virtually slashing the real rents of the buildings. We, are, therefore, of the opinion that the increased incidence of taxation should, in part, be borne by the tenants also.

We think that the position about the rents of accommodations was carefully considered by the State Government and the Legislatiure before enacting this legislation in 1947. They, perhaps, taking into account the increased cost of maintenance of houses, etc. had allowed a premium of 25 per cent. on the assessment of 1942 in fixing the "reasonable rent". So we would be on the safe ground, if we take that the need for raising the rent arising out till 1946 has justly been met by this increase. It is, therefore, recommended that the increase in local taxes of houses since 1946 should be shared by the landlord and the tenant in the proportion of 2/3 and 1!3 respectively."

इस रिपोर्ट का आशय साफ-साफ यह है कि जो कुछ भी टैक्सेज बढ़ाये गये हैं उनके एवज में बहुत सी सहूलियतें बहुत से आराम मकान में रहने वालों को पहुंचाये गये हैं । अगर मकान में कोई टेनेन्ट रहता है तो जितनी भी सहूलियतें, आराम और फायदे हैं वह उस टेनेंट को मिलते हैं, उनको टेनेंट ही भोगता है तो कौन सा ऐसा नियम हो सकता है कि कोई शख्स जो किसी चीज से पूरा पूरा फायदा उठाता है, वह तनिक भी उसके भार में हिस्सा न बटाये । यह चीज मेरी समझ में नहीं आती कि जब यह बात कही जाती है कि आराम तो टेनेंट उठाये लेकिन उसका पूरा पूरा बार लैंडलार्ड पर पड़े । मैं तो यह समझता हूं कि जो भी टैक्स में वृद्धि हुई है उसमें उस टेनेंट को भी भाग लेना चाहिये । अब सिर्फ हमारे सामने यह सवाल रह जाता है कि उस बार का कितना हिस्सा उसके कंधे पर डाला जाय और कितना बार लैंडलार्ड पर डाला जाय । कहा जाता है कि किरायेदार लैंडलार्ड को रुपया जमा करके देता है । मैं पूछना चाहता हूं कि

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

क्या लैंडलार्ड ने उसमें कोई रुपया नहीं लगाया, क्या उसने रुपये के कमाने में कोई मेहनत नहीं की, क्या उसने उस मकान के बनवाने में कोई मशक्कत नहीं की। क्या उस सबके एवज पाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या जितने भी लोकल टैक्सेज बढ़ते जा रहे हैं उनका नाम मात्र को भी बार किरायेदार पर नहीं पड़ना चाहिये? मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सा नियम और उसूल होगा? इसलिये मैं यह समझता हूं कि टेनेंट को इसका कुछ भाग लेना है, यह हो सकता है कि एक तिहाई उसके लिये बहुत ज्यादा हो जाय, इसलिये मैं समझता हूं कि ५ प्रतिशत जो श्री रामनरेश जी शुक्ल ने रखा है वह बहुत ही उचित है और इस संशोधन को सरकार को मान लेना चाहिये।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, श्री रामनरेश शुक्ल जी ने जो संशोधन रखा है इसके सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रश्न जिसका सामाजिक न्याय से सम्बन्ध है.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मेरा ख्याल है कि माननीय सभासचिव के अलावा और भी लोग खड़े हुए थे लेकिन आपने यह नयी परम्परा कायम की है। मेरे ख्याल से पहले डिबेट के क्लोजर के लिये कोई माननीय सदस्य मूव करता तब आप माननीय मंत्री जी को बुलाते लेकिन आपने और लोगों को मौका नहीं दिया और माननीय मंत्री जी को बुला लिया। आपके इंटरप्रिटेशन से हम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। कुछ और लोग खड़े थे, लेकिन आपने नयी परम्परा कायम की है।

अधिष्ठाता—यह तो मामूली प्रिंसिपल की बात है कि स्पीकर की निगाह जिसके ऊपर पहले पड़ जाय। बड़ी मुश्किल की बात है कि आप ख्वामख्वाह ऐसी बातें कह रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्लोजर का मोशन नहीं हुआ और अगर आप सोचते हैं कि पहले इस प्रकार का अमेंडमेंट पेश हो जाय और उसके बाद आप माननीय मंत्री जी को खड़ा करा दें तब तो यह स्पीकर के अधिकार के परे चीज है। अगर आप ऐसा समझते हैं तब तो बड़ा मुश्किल है।

अधिष्ठाता—मैं रामनारायण त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि विरोधी दल की तरफ से माननीय गेंदा सिंह जी बोले, एक और भी माननीय सदस्य बोले, मैंने काफी मौका दिया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं रूलिंग चाहता हूं कि और माननीय सदस्य खड़े हों तो क्या आप उनको बोलने का मौका नहीं देंगे?

अधिष्ठाता—आपके कहने का मतलब यह है कि जब तक माननीय सदस्य खड़े होते रहें तब तक मैं उनको बोलने का मौका देता जाऊं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्लोजर न मूव हो और माननीय मंत्री भी न खड़े हों तो आप किसको बुलायेंगे?

अधिष्ठाता—जहां तक मौका देने की बात है जब तक माननीय सदस्य खड़े होते हैं मैं उनको बोलने का मौका देता हूं। लेकिन अब यहां बोलने का मौका नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आपने आज से जो नयी परम्परा कायम की है उसके विरोध में होते हुए भी हम लोग यहां बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ यह बड़ा अन्याय है।

अधिष्ठाता— पहले श्री राजनारायण जी बोले, फिर माननीय गेंदा सिंह जी बोले उसके बाद जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो फिर जोरावर वर्मा जी बोले।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, प्वाइंट यह है कि मान लीजिये कि किसी ने अमेंडमेंट मूव किया और उसके बाद मंत्री जी खड़े होते हैं और फिर आपकी आईज उनको कैच कर ले, हो सकता है कि माननीय मंत्री जी में कोई विशेष बात हो, जिससे वे जल्दी ही आपकी आईज की कैच में आ जाते हों तो....

अधिष्ठाता—जी नहीं, मैं आपको पहले देखता हूं।

श्री राजनारायण—ऐक्चुअली होता यही है।

अधिष्ठाता—जब काफी सदस्य खड़े हों और माननीय मंत्री जी भी खड़े हों तो मैं माननीय मंत्री जी को मौका न देकर के माननीय सदस्यों को ही मौका दूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि इस पर काफी बहस हो चुकी है तब मैंने जरूरी समझा कि माननीय मंत्री जी को बुलाया जाय और उनको मौका दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब वे खड़े भी नहीं हुए और क्लोजर का मोशन भी नहीं आया तो फिर आपने कैसे समझ लिया कि हम लोग नहीं बोलेंगे?

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि इस संशोधन पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—वह कौन सी रूलिंग है?

अधिष्ठाता—क्या आप मुझे बोलने का मौका नहीं देना चाहते? अच्छा आप ही पहले बोल लीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे नियम बतलाया जाय कि वह कौन सा नियम है जिसके अनुसार आप ऐसा समझते हैं?

अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठ जायं। स्पीकर को यह अधिकार है कि जब वह देखता है कि किसी संशोधन पर काफी बहस हो चुकी है तो चाहे कोई मंत्री खड़ा हो चाहे न खड़ा हो तो वह उसे काल आन कर सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जब वह खड़ा हो तभी उसको बुलाया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं पूछना चाहता हूं कि किस नियम के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे वह नियम बतलाया जाय।

अधिष्ठाता—यह तो आर्डिनरी प्रिंल की बात है। अगर आप हाउस के बाहरसिप पूछें तो मैं बतला सकता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—हाउस के बाहर क्यों, आप यहीं बतलाइये।

अधिष्ठाता—तो आप मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पढ़ लीजिये, उससे आपको मालूम हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आप धारा बतला दीजिये कि उसकी कौन सी धारा है ताकि मुझे मालूम हो जाय।

अधिष्ठाता—आप कृपा कर बैठ जायं।

†श्री अब्दुल मुईज खां—मैं एच प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मूवर महोदय ने जब अपना अमेंडमेंट मूव किया उसके बाद भी अगर अन्न मंत्री जवाब दे देते तो भी एक दूसरा स्टेज अन्न मंत्री महोदय के जवाब का आता, जब कि मूवर महोदय जवाब देते हाउस के डिबेट का उसके बाद अन्न मंत्री महोदय उसका जवाब देते लेकिन यह देखा गया कि मूवर महोदय ने संशोधन मूव कर दिया और उसके बाद कई माननीय सदस्य गण ने भाषण दिये, अब उसके बाद अगर अन्न मंत्री महोदय हाउस के डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको पूरा अधिकार है कि हिस्सा लेने का लेकिन उनका वह अधिकार फिर भी सुरक्षित रहता है कि डिबेट के अन्त में मूवर महोदय जवाब देते हैं उसका अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं तो वह अधिकार उनका रह जाता है।

अधिष्ठाता—बिल्कुल सही आप कहते हैं।

श्री बनारसी दास—सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय शुक्ल जी ने पेश किया है उसका मकसद यह है कि सन् ४६ से पहले के मकानों में जिनमें म्युनिसिपल टैक्सेज में वृद्धि हुई है उनका केवल एक तिहाई किरायेदार अदा करते थे और दो तिहाई मालिक मकान देते थे उनमें अब वह चाहते हैं कि किरायेदार म्युनिसिपल असेसमेंट का ५ प्रतिशत और दें जो किराये में जोड़ दिया जाय; उनका ख्याल है कि आज की दशा में हिसाब लगाने मे कठिनाई होती है लेकिन उसमें एक सैद्धान्तिक प्रश्न माननीय राजनारायण जी ने खड़ा किया और कहा कि यह जो ५ प्रतिशत की किराये में वृद्धि होगी उसका सम्बन्ध म्युनिसिपल टैक्सेशन से नहीं है। इसलिये हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात की जाय जिससे माननीय राजनारायण जी या दूसरे सदस्यों को आपत्ति हो। इसलिये जो मौजूदा बिल में संशोधन है वही ज्यादा उचित मालूम पड़ता है और जो संशोधन शुक्ल जी ने पेश किया है उसके लिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि राजनारायण जी सिद्धान्त के रूप में चाहते हैं कि म्युनिसिपल टैक्सेज की वृद्धि के रूप में लिया जाय लेकिन रेन्ट में वह किसी प्रकार की वृद्धि चाहते हैं या नहीं, इसमें कोई दो बात नहीं हैं। इसलिये इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं इस संशोधन को स्वीकार करना उचित नहीं समझता और मैं आशा करता हूं कि माननीय शुक्ल जी अपने संशोधन को वापस कर लेंगे क्योंकि मौजूदा संशोधन के सिद्धान्त को स्वयं माननीय राजनारायण जी भी स्वीकार करते हैं। इसलिये मैं अन्त में फिर शुक्ल जी से कहूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री राम नरेश शुक्ल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी मेरे बड़े मित्र हैं और मैं उनसे बहुत मुहब्बत करता हूं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिये सदा प्रयत्न करता रहता हूं कि वह थोड़ा बहुत मुझ से प्रसन्न रहें, लेकिन उन्होंने इसका मतलब यह लगाया कि मैं कोई ऐसी चीज घुमा फिरा कर रख रहा हूं। मैं उनके लिए क्या कहूं और मेरे पुराने मित्र श्री राजनारायण जी ने भी कुछ ऐसी बात कही और सिद्धान्त का भी प्रश्न उन्होंने उठाया और वह खुद किरायेदार बन गये और मुझे मालिक मकान बना दिया हालांकि मैं तो खुद किरायेदार हूं और मेरे पास कोई मकान नहीं है। हां, राजनारायण जी के मकान जरूर बनारस में होंगे, मैं नहीं जानता लेकिन जरूर दो चार मकान उनके। अब मैं ज्यादा वक्त हाउस का नहीं लेना चाहता। मैं इसे वापस लेता हूं हालांकि एक बड़ा सीधा सादा संशोधन था। अगर विरोधी दल इस बात को मान लेता तो मैं समझता था कोई लाभ ही होता। अब मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)—पाइंट आफ आर्डर। क्या मुहब्बत की बिना पर कोई एवान के अन्दर तरमीम वापस ले सकता है या पेश कर सकता है?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसी दास— सभापति महोदय, रतनलाल जी ने जो संशोधन रखा है वह शाब्दिक और मूल विधेयक के अन्दर थोड़ी गल्ती रह गई है। इसे मान लिया जाय।

अधिष्ठाता— अभी तो जोरावर वर्मा जी का संशोधन रामनरेश शुक्ल जी के है, बाद।

श्री जोरावर वर्मा— मैं पेश नहीं करता।

श्री बनारसी दास—सभापति महोदय, विधेयक की छठी पंक्ति में जहां शब्द "and" है वहां उसकी जगह "add" रख दिया जाय।

अधिष्ठाता—इसे मूव कौन कर रहा है?

श्री बनारसी दास— यह मैं स्वयं रख रहा हूं।

अधिष्ठाता— प्रश्न यह है खंड ८ में प्रस्तावित धारा 5—A की उपधारा (i) की पंक्ति ६ में शब्द "and" के स्थान पर "add" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—(श्री गेंदा सिंह) नियमतः आप इसको पेश नहीं कर सकते हैं। मगर आप अपोज कर सकते हैं। यह जो सेक्शन है खंड ८ में इसको अपोज कर सकते हैं।

***श्री गेंदासिंह**—अधिष्ठाता महोदय, मैं संशोधन न पेश करके यही आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो नया क्लाज रखा जा रहा है उसकी आवश्यकता ही नहीं है और इसे नहीं रखना चाहिये। इस संबंध में मैं यह निवेदन कर दूं कि कुछ नाराज हो करके माननीय रामनरेश जी ने अपने संशोधन को वापस ले लिया और ऐसा मुझे लगता है कि उसको कुछ अपने मित्रों का संकेत भी मिला कि वह ५ प्रतिशत बढाने के लिये भी तैयार नहीं है। फिर उनसे कुछ संकेत हमको भी ऐसा मिला कि मैंने यह समझा कि अब हमारा जो यह संशोधन है कि इस पूरे क्लाज को ही निकाल दिया जाय जिसमें कि कुछ वृद्धि करने की चर्चा की गई है, उसके पक्ष में हैं। तो मैं तो अधिष्ठाता महोदय, ऐसा समझता हूं कि मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि माननीय अन्न मंत्री जी इस बात को अब स्वीकार करें। उस समय किसी तरह से भी चाहे उसका नाम किराया रख दिया जाय या चाहे जो रख दिया जाय लेकिन मकान के बदले में अगर कुछ देने की जरूरत पड़ती है किरायेदार को पहले से ज्यादा तो ऐसी चीज करने की आवश्यकता इस समय नहीं हो रही है हमनें कई दलीलें यह भी सुनी कि मकान का किरायेदार जो है उनकी कुछ एमेनिटीज बढ गई हैं और जो एमेनिटीज बढ़ी हुई है उसके बदले में उनको कुछ अदा करना चाहिये। मैं समझता हूं कि शहरों में जिस तरह की अमेनिटीज बढ़ी हुई है वह भले ही किसी एक शहर के तजुर्बे पर इस बात को कह दिया जाय कि उनके मकानों के करीब सिनेमाघर बन गये, उनके बच्चे सिनेमा में जाते है और जो खर्च से पैसा बचा रख सकते थे, वह ऐसे भी निकलकर के सिनेमा वालों के पास चले जाते है तो ऐसी अमेनिटीज तो कुछ बढ़ी हुई है जरूर लेकिन ऐसी ऐमेनिटीज अधिष्ठाता महोदय कुछ खास खास शहरों में बढ़ी हुई है। बहुत से शहर ऐसे हैं कि जहां पर यह अमेनिटीज नहीं बढी है, हां उनकी जिन्दगी इस वक्त खर्चीली जरूर हो गई है जो कि मकानों में रहते है और खर्चीली और भी होने का अन्देशा है। मैं यह समझता हूं कि मकान की मरम्मत में, मकान के मेंटेन करने में मकान के मालिक का खर्च होगा। लेकिन उसी के साथ साथ मैं यह जानना चाहता हूं माननीय अन्न मंत्री जी से कि वह तो इन सब बातों की भी जानकारी रखते है कि जो मकान

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

बनने के सामान है उन सामानों की कीमत अब कम हुई है या नहीं। अगर कम हुई है तो माना हमने थोड़ी देर के लिये कि म्युनिसिपल असेसमेंट में कुछ कीमत बढ गई होगी सन् ४६ के बाद। लेकिन सन् ४६ का सवाल नहीं है। सन् १९५३-५४ का सवाल है। सन् ५३-५४ में जो सामान का दाम गिरा है उसको दृष्टि में रखते हुये मकान की मरम्मत को दृष्टि में रखते हुये इस वक्त उनकी आमदनी को दृष्टि में रखते हुये और एक जनरल डीप्रेशन जो सारे बाजार में आ रहा है। सारे सामान में आ रहा है, उसको दृष्टि में रखते हुये मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की इस वक्त किरायेदार के ऊपर रकम बढाना उचित नहीं है। हो सकता है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है, इस हमारे कुछ माननीय मित्रों ने बड़ा जोर दिया कि कुछ देर के पहले उस कमेटी के सामने ऐसी बात आयी हो कि सामान जो है वह मंहगा मिलता है इसलिये मकान की मरम्मत में उनका ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो फिर अगर साल भर पहले की बात है तो साल भर के भीतर जो परिवर्तन इधर हुये है, जो प्राइस आम तौर पर गिरी है उसकी तरफ तो कमेटी का ध्यान नहीं गया। अब उस ओर हम समझते हैं कि ध्यान माननीय सदन का जाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रख कर इस वक्त म्युनिसिपल असेसमेंट को न कबूल करें बल्कि जो पुराना हिसाब है उसी को रहने दिया जाय यह ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। मैं इतनी बात कहकर माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि उन्होंने जो रामनरेश जी शुक्ल से यह तय कर लिया है कि उनका अमेंडमेंट वापस हो जायगा तो मैं यह एक्सेप्ट करता हूं कि माननीय रामनरेश जी का अमेंडमेंट इसी वजह से वापस हुआ है कि वह वही पुरानी बात रखना चाहते हैं और जो नई बात रखी गई थी विधेयक में उसमें जो सरकार ने विचार कर लिया कि विधेयक के इस नये अंश को निकाल लें अगर यह बात सच है तब तो माननीय अन्न मंत्री जी की बड़ी मेहरबानी होगी और सदन का समय बच जायगा और इसको निकाल कर हम विधेयक के आगे की कार्यवाही करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह जो विधेयक प्रस्तुत है, उसमें यह है कि धारा ५ के बजाय निम्नलिखित नई धारा ५-ए बढा दी जाय मैं इसका विरोध कर रहा हूं—

"5-A. (1) Where the tax referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 128 of the U. P. Municipalities Act, 1916, has been increased after July 1, 1946, in the case of any accommodation constructed before the said date, the landlord may on, and from the commencement of the U. P. Control of Rent and Eviction (Amendment) Act, 1954, add, notwithstanding anything in this Act or any order made thereunder, to the reasonable annual rent payable for the accommodation by the tenant an amount equal to one-third of the difference between the amount of the tax assessed after this date. The amount so added to the rent shall be payable by the tenant to the landlord along with the rent."

यह धारा है श्रीमन्, अब सीधा सादा मतलब है कि जुलाई १९६ के पहले जो टैक्स असेस हुआ और इसके बाद जो डिफ्रेंस है उसका १/३ किरायेदार को देना पड़ेगा। उसका सीधा सादा मतलब यह है कि और हमें इसका विरोध है। यह सदन को अच्छी तरह से प्रगट है क्योंकि जब हम श्री रामनरेश के ५ फीसदी के बढने वाला संशोधन कबूल नहीं कर सकते थे तो सरकार की ओर से जो विधेयक की धारा प्रस्तुत है उसको हम कैसे मान सकते हैं?

इसलिये मैं निहायत अदब के साथ सरकार से अपील करूंगा कि इस समय किरायेदार के ऊपर टैक्स का बोझ न बढाये श्री बनारसी दास जी ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में कहा है कि हम टैक्स नहीं बढा रहे हैं, बल्कि जो ज्यादा असेसमेंट हो आया है उसका १/३ देने की बात कह रहे हैं। यह शब्द दूसरे है। चाहे भले ही कहें कि किराया नहीं बढा रहे हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह पैसा किरायेदार की पाकिट से निकलेगा और मकान मालिक के पास जायेगा। विधेयक दूसरे का पूरा श्रीमन्, ४ वर्ष तक के लिये बढ रहा है तो १/३ बढोत्तरी जो यह अन्तर है मकान मालिकों के पक्ष में जायगा। चाहें गरीबी बढती चली जाय सामान के भाव

बढते चले जायं, मकान बन पायें या न बन पायें और लोगों को ठहरने के लिये स्थान मिल पायं या न मिल पाये, मगर किराया अवश्य बढ़े । इसको हम एविक्शन का क्लाज कहते है जो बढाने की बात सरकार कर रही है अगर हम इंडायरेक्टली मान लें तो यह किरायेदारों की बेदखली का क्लाज है, नाम दूसरा है तो मैं समझूंगा कि मैं कोई ज्यादती करूंगा इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किराये का बोझ गरीब किरायेदार नहीं बरदाश्त कर पायेगा। सरकार की तरफ बार-बार जो रिप्रेंजेंटेशन मकान मालिकों की ओर से आये हैं वे ठीक है, क्योंकि सारी रिपोर्ट में श्रीमन्, जो माननीय बनारसीदास की रिपोर्ट है, अगर उसको देखा जाय तो हर दूसरे तीसरे पेज में रेप्रेंजेंटेशन का जिक्र है। किरायेदारों का रेप्रेंजेंटेशन उनके पास पहुंच नहीं पाता है। तो कम से कम इस सदन में मैं किरायेदार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय बनारसी दास की सेवा में विनम्र निवेदन करता हूं कि बनारसी दास जी स्वयं इस खंड को निकाल दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइन्ट आफ़ आर्डर, मैं समझता हूं अब ५ बज चुके हैं .....

अधिष्ठाता—प्वाइन्ट आफ आर्डर का सवाल ही नहीं था, हम उठने ही वाले थे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
६ सितम्बर, १९५४।

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ट ७ पर)

प्रश्न संख्या १ से संबंधित सूची

१—मेरठ
२—अलीगढ़
३—आगरा
४—एटा
५—बरेली
६—बिजनौर
७—बदायूं
८—मुरादाबाद
९—पीलीभीत
१०—रामपुर
११—फर्रुखाबाद
१२—कानपुर
१३—इलाहाबाद
१४—बांदा
१५—हमीरपुर
१६—झांसी
१७—जालौन
१८—बनारस
१९—मिर्जापुर
२०—नैनीताल
२१—अल्मोड़ा
२२—टेहरी गढवाल
२३—बाराबंकी

विधान सभा सदस्य प्रदेश

नत्थी (ख)

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

सूची

क्रम संख्या	जिला		ज० उ० कोष में दिसम्बर ३१, सन् १९५३ तथा रुपया जमा करने वालों की संख्या	ज० उ० कोष में दिसम्बर ३१, सन् १९५३ तक जमा की गई धनराशि	दिसम्बर ३१, सन् १९५३ तक जारी की गई सनदों की संख्या	रकम जिसके एवज में स्तम्भ ५ में दी गई सनदें जारी
१	२		३	४	५	६
१	देहरादून	..	१२,०३१	१४,२६,६६२	१०,८७७	१३,६६,१२०
२	सहारनपूर	..	१,०९,२८६	१,८०,३१,३९९	१,००,१५१	१,७५,५५,५९२
३	मुजफ्फरनगर	..	१,५०,१६०	२,८३,२८,९०५	१,४९,४२१	२,८०,००,०७९
४	मेरठ	..	१,७९,७५२	३,०८,४२,१९२	१,७८,८३२	३,०३,७९,१८९
५	बुलन्दशहर	..	१,००,६९७	१,७०,९१,८५०	९६,७४०	१,६९,६८,२६०
६	अलीगढ़	..	७७,२६८	१,६७,७५,७०१	७२,२४०	१,४६,३४,०५२
७	मथुरा	..	६२,१९२	१,०७,६२,१४९	६०,९८५	१,०५,८८,४८२
८	आगरा	..	८८,१३५	१,१९,२१,२८७	८२,६४७	१,१३,२६,८७७
९	मैनपुरी	..	६७,८८४	६३,९५,८३३	६५,२१९	६१,९८,५१६
१०	एटा	..	८५,९५९	८३,१९,५१३	७८,८५२	७९,१५,३७३
११	बरेली	..	५९,४७३	४३,०३,९७३	५२,४०३	२७,१४,००६
१२	बिजनौर	..	४६,६६०	६१,३४,८८६	३६,१५४	४९,५६,५२६
१३	बदायूं	..	८१,७९५	४९,१८,६३४	७२,६२६	४१,६३,६९३
१४	मुरादाबाद	..	६५,६०६	६७,३५,२३६	५८,७३१	५९,५१,१३७
१५	शाहजहांपुर	..	३२,७३४	१६,८८,३५४	२८,४०८	१४,९७,१९४
१६	पीलीभीत	..	२७,१७८	२०,५७,९८९	१६,६०६	१७,८१,९५४

क्रम संख्या	जिला		ज० उ० कोष में दिसम्बर ३१,सन् १९५३ तथा रुपया जमा करने वालों की संख्या	ज०उ०कोष में दिसम्बर ३१, सन् १९५३ तक जमा की गई धनराशि	दिसम्बर ३१, सन् १८५३ तक जारी कोगई सनदों की संख्या	रकम जिसके एवज में स्तम्भ ५ में दी गई सनदें जारी
१	२		३	४	५	६
१७	फरुखाबाद	..	८६,७२४	६०,१३,५४२	७९,७३४	५९,९७,९४०
१८	इटावा	..	५४,१०४	५६,४५,९५६	५२,२०७	५४,७३,२६८
१९	कानपुर	..	९८,५५४	८४,५५,३८६	९०,८७०	८१,७६,९७५
२०	फतेहपुर	..	५३,७०८	४३,१०,४२४	५२,०८१	४२,३४,६४९
२१	इलाहाबाद	..	१,४४,२२८	९०,१२,४७८	१,२३,८७३	७५,११,५२३
२२	झाँसी	..	७६,३७७	४४,११,५३०	७२,११४	उपलब्ध नहीं है
२३	जालौन	..	३५,३७०	२८,८२,११८	३१,४२१	२७,७९,७९०
२४	हमीरपुर	..	८०,८२३	५७,५८,२७९	७५,९७३	४६,७७,००३
२५	बांदा	..	७१,२८३	४४,८०,२८६	६७,३५४	४२,२५,१९२
२६	बनारस	..	५०,०३१	२८,१९,००३	४३,७३८	२६,८८,९५२
२७	मिर्जापुर	..	४५,४०४	४५,८५,५९६	४०,९६२	४२,१७,५१३
२८	जौनपुर	..	१,०७,४४५	४८,१५,३९३	१,०६,१३०	४२,४३,०१०
२९	गाजीपुर	..	७०,५६३	२७,३७,८७९	६७,३१२	२१,९८,८२९
३०	बलिया	..	७७,५८७	२६,७६,२२२	७६,८०९	उपलब्ध नहीं है
३१	गोरखपुर	..	३,००,८७२	१,००,४६,९१२	२,८५,९३३	९४,०७,७७४
३२	देवरिया	..	२,६२,५०८	८३,१८,५९५	२,१०,५२६	६८,३०,६२९
३३	बस्ती	..	४,३६,०६३	१,७४,१७,०३५	३,८२,८६१	१,४६,०९,५३५
३४	आजमगढ		२,२१,१९६	४८,५८,६५६	१,८९,४२८	४१,७९,३१६
३५	नैनीताल	..	४,५४१	६,०८,७७२	४,०९५	५,५२,८१२
३६	लखनऊ	..	२६,१३५	२३,०४,९०७	१७,२९७	१९,६३,४४४
३७	उन्नाव	..	३७,४२७	३७,९०,१६५	३४,२१७	३३,९९,२५५

३८	रायबरेली	..	४६,३६७	५०,२६,२७६	४३,७५६	उपलब्ध नहीं हुआ
३६	सीतापुर	..	२६,८५०	३४,२७,५२६	१८,१४५	३०,३०,८६०
४०	हरदोई	..	३०,३८८	२३,८०,६३५	२८,६७५	२०,५३,७२६
४१	खीरी	..	१७,३८४	२६,६८,१११	१७,११४	२६,८२,६८१
४२	फैजाबाद	..	७४,८७७	४७,७३,२४४	६१,३१०	३४,५८,१६६
४३	गोंडा	..	१,३२,१३६	८४,६२,७८८	६४,५८०	६१,११,०८०
४४	बहराइच	..	३६,६८३	४५,५०,६२१	३२,६३०	३२,०४,४३५
४५	सुल्तानपुर	..	१,०८,३४७	५७,५५,५७८	७६,६४७	५१,३५,८२६
४६	प्रतापगढ़	..	४२,५३१	३२,०७,३५०	३८,६६०	५६,२७,०४८
४७	बाराबंकी	..	३६,६६७	५७,३६,०७२	३७,७००	४७,४८,४६२
	कुल योग	..	४१,५२,२८३	३३,८०,०१,६०२	३६,८८,६४४	२६,६७,१५,७८३

नहीं दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ग)

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर।)

Copy of Revenue (A) Department G. O. No. 6350/I-A—114D-53, dated September 24, 1953 to the Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh.

I am directed to say that it has been brought to the notice of Government that in the flood-affected areas there is a demand for the refund of Bhumidhari deposits in cases where no sanads have so far been issued because either the full amount has not been deposited or there is some dispute between the various claimants. The request appears to be reasonable and I am to request you to issue necessary instructions to the effect that the refund need not be made difficult in this period of distress. It should, however, be clearly laid down that the refund should be made after deducting all Government dues, including those dues the realization whereof has been stayed.

2. Ten copies of the instructions which you may issue in this connexion may please be forwarded for the information of Government.

अदर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४१ एल० ए—१९५४—८५० ।